दिल्ली विश्वविद्यालय

स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सूचना बुलेटिन (2020-2021)

कुलपति का संदेश

दिल्ली विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है !

वर्ष 1922 में स्थापित होने के बाद से, दिल्ली विश्वविद्यालय का लोकप्रिय नाम डी.यू. ने स्वयं को भारत में उच्च शिक्षा की प्रमुख संस्था के रूप में प्रतिष्ठित किया है। भारत की राजधानी में स्थित यह विश्वविद्यालय राष्ट्र में ज्ञान का एक प्रकाश स्तम्भ है और तृतीयक शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए इसे एक रूपक(मेटाफॉर) के रूप में मान्यता दी गई है।

उत्तर एवं दक्षिण दो परिसरों के माध्यम से कार्यरत यह विश्वविद्यालय और इसके महाविद्यालय दिल्ली में चारों तरफ फैले हुए हैं और न केवल बौद्धिक प्रवचनों के लिए, बल्कि सांस्कृतिक पारस्परिक विचार-विमर्श हेतु जीवंत स्थान के रूप में कार्य करता है।

अपने 91 महाविद्यालयों, 16 संकायों, 86 विभागों, 20 केंद्रों और 03 संस्थानों से युक्त यह विश्वविद्यालय उत्कृष्ट संकाय, उन्नत पाठ्यक्रमों, अपने क्षेत्र में अग्रणी शिक्षाशास्त्र, व्यापक पाठ्येतर गतिविधियाँ और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ लगभग सभी ज्ञान के क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत शृंखला के माध्यम से विशिष्ट शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कई भूतपूर्व महान विद्यार्थियों की मातृ संस्था के रूप में इसने मानव प्रयास के विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं की पहचान बनायी है, विश्वविद्यालय बौद्धिक संसाधनों के विशाल समूह से संपन्न है। विश्वविद्यालय को यह गौरव प्राप्त है कि विदेशी राज्यों के कई प्रमुखों और भारत के एक प्रधानमंत्री इसके विद्यार्थी रहे हैं जबकि एक अन्य ने इसके संकाय को सुशोभित किया है। भारत के कई प्रख्यात साहित्यकार, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, विधिवेता, लोकसेवक, रक्षाकर्मी, राजनीतिज्ञ, खिलाड़ी, फिल्मी हस्ती, पत्रकार और उद्योगपति इस महान संस्था के विद्यार्थी अथवा संकाय सदस्य रहे हैं।

हमारे महाविद्यालय को उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए स्थापित विभिन्न अखिल भारतीय रैंकिंग के शीर्ष पर खुद को पाना कोई आश्चर्य नहीं है। हमारे लिए वर्ष 2019 महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि विश्वविद्यालय को एम.एच.आर.डी द्वारा प्रतिष्ठित इंस्टिट्यूशन ऑफ एमिनेंस(आई.ओ.ई) का दर्जा दिया गया है। इसने विश्व स्तर पर शीर्ष 50 से 200 संस्थानों में अपना स्थान बनाकर क्यू.एस वर्ल्ड युनिवर्सिटी रैंकिंग में अपने प्रदर्शन में सुधार किया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने ज्ञान सृजन और प्रसार के वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में उदार कलाओं, समाजिक विज्ञान एवं अत्याधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा और अनुसंधान की परिवर्तनीय शक्ति के सदुपयोग के जरिये 21वीं सदी के लिए एक विशिष्ट प्रक्षेप पथ की संकल्पना की है। जैसा कि विश्वविद्यालय अंत:विषय/बहु-विषयक दृष्टिकोण वाले कई अनुसंधान आधारित संस्थानों की स्थापना करके इंस्टिट्यूशन ऑफ एमिनेंस योजना के तहत अपने शोध क्षितिज को व्यापक बनाना शुरू करता है। हमें विश्वास है कि यह हमारे विद्यार्थियों को सक्रिय होने और बहुत परिपक्वता तथा आविष्कारशीलता के साथ इस सदी की चुनौतियों का सामना करने का अवसर देगा।

संस्थागत उत्कृष्टता की इस यात्रा में हम एक शैक्षिक माहौल का निर्माण और स्थायित्व प्रदान करने के माध्यम से भविष्य के नेतृत्वकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए दृढ़ता से समर्पित है, जो देश और दुनिया के सभी स्थानों के विद्यार्थियों को बिना किसी बाधा के उनकी क्षमता का एहसास करने में सक्षम बनाता है। हमारी सुदृढ़ प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण पारदिर्शता के लिए प्रतिबद्ध है और मानवीय हस्तक्षेप की संभावना से युक्त किसी भी अनाचार से अछूती है और सभी चयन मानदंडों को पूरा करते हुए उम्मीदारों के चयन को सबसे मजबूत क्षमता प्रदान करने वाला पक्षपत सुनिश्चित करती है।

हालांकि विश्वविद्यालय में विनियामक नीतियों और प्रणालियों की एक शृंखला हैं, वहीं हम सामाजिक आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु इन दायित्वों के निर्वहन से परे हैं। हम इन सवैंधानिक प्रावधानों और मूल्यों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील हैं और उन्हें पूरी तरह से पूरा करने हेतु प्रतिबद्ध हैं।

जैसा कि आप विश्वविद्यालय में आवेदन करने पर विचार करते हैं, हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि आपकी अकादमिक खोज ऐसे वातावरण में होगी जो आप में से प्रत्येक की व्यक्तित्व, सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूर्णता, सुरक्षा और समावेश प्रदान करता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में हम जीवन पर्यंत सीखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ईमानदारी, अखंडता, दयालुता, सहानुभूति, परोपकारिता और नैतिकता के हमारे संस्थागत और वैयक्तिक गुणों को अधिक महत्व देते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम(विश्व एक परिवार है) के हमारे मूल सांस्कृतिक दर्शन को अक्षुण्ण रखते हुए विश्वविद्यालय राष्ट्र-निर्माण के लिए समर्पित है जो हिंसा को समाप्त करने और भाईचारा के संवैधानिक और सार्वभौमिक मूल्यों का अनुपालन करने तथा इन मूल्यों के प्रचारक बनने की आपसे अपेक्षा करता है।

मैं आपको इस सम्मानित विश्वविद्यालय में असीम संभावनाओं की इस जीवन्त और रोमांचकारी यात्रा का अभिन्न हिससा बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालय के ध्येय वाक्य **'निष्ठा धृतिः सत्यम्'**(सत्य के प्रति पूर्ण समर्पण) में परिलक्षित मूल्य आपको सदैव प्रेरित करता रहेगा। मैं गारंटी देता हूं कि इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी समुदाय का हिस्सा बनना आपको समृद्ध एवं उन्नत करेगा और न केवल स्वयं अपितु मानवता के लिए अच्छे विकल्प एवं जीवन में समुचित भूमिकाओं के चयन करने में सक्षम बनाएगा ।

मैं आशा करता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ जुड़ना आपके लिए रूचिकर, स्वस्थ और फलदायी हो।

शुभकामनाओं सहित,

योगेश त्यागी

अस्वीकरण

- दिल्ली विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2020-2021 के लिए स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक सभी योग्य आवेदक इस सूचना बुलेटिन(बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन) की सामग्री को ध्यान से पढ़ें।
- विश्वविद्यालय को बिना किसी पूर्व सूचना के बुलेटिन के किसी भी भाग का परिसंशोधन करने, अद्यतन करने अथवा हटाने का अधिकार सुरक्षित है। ऐसे किसी भी परिवर्तन को स्नातक-पूर्व प्रवेश पोर्टल पर अद्यतन किया जाएगा।
- इस बुलेटिन के जारी होने के बाद किसी भी तरह से किया गया कोई भी बदलाव, स्नातक-पूर्व प्रवेश पोर्टल, https://ug.du.ac.in पर पोस्ट होने की तिथि से प्रभावी हो जाएगा।
- आवेदक नियमित रूप से अपडेट के लिए पोर्टल की जांच करने के लिए उत्तरदायी हैं। इस बुलेटिन और पोर्टल से तालमेल नहीं करने के परिणामस्वरूप होने वाली शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र भरने से पहले, सूचना बुलेटिन की सामग्री को ध्यान से पढ़ें और दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 और संविधियों(स्टेच्यट्स) से परामर्श करें। दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेश, नियम और विनियम विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.du.ac.in पर उपलब्ध हैं, जो उनके लिए बाध्यकारी होंगे।
- यह सूचना बुलेटिन विभिन्न संकायों, विभागों, केंद्रों, महाविद्यालयों, दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्य संस्थानों और संबंधित स्रोतों से एकत्रित किए गए समावेश(इनपुट) का एक संग्रह है। इस बुलेटिन में नियमों और विनियमों और अन्य प्रासंगिक जानकारी के प्रामाणिक आधिकारिक जानकारी को दोहराने के लिए संभव सीमा तक उचित ध्यान रखा गया है। हालांकि, इसे किसी भी मामले में, तात्कालिक संदर्भ के रूप में प्रदत्त की गई जानकारी की पूर्णता और सटीकता के बारे में व्यक्त अथवा निहित वारंटी के रूप में नहीं माना जाएगा।
- दिल्ली विश्वविद्यालय बुलेटिन में दी गई किसी जानकारी के आधार पर की गई किसी भी कार्रवाई से जनित किसी भी हानि अथवा क्षति के लिए किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी दायित्व को अस्वीकार करता है, जोकि अनजानी चूक, लिपिकीय त्रुटियों अथवा किसी अन्य कारण से हो सकती है।
- आवेदक, संबंधित दस्तावेजों को जमा करने और / अथवा निर्धारित तिथि और समय के भीतर शुल्क का भुगतान नहीं करने सहित प्रवेश के लिए किसी भी आवश्यकता के अनुपालन न होने की स्थिति में प्रवेश का अपना अधिकार खो देगा।
- यदि किसी भी स्तर पर किसी आवेदक के प्रवेश से संबंधित मूल दस्तावेज फर्जी / गैर-वास्तविक अथवा मनगढ़ंत अथवा किसी अन्य तरीके से खराब पाए जाते हैं, तो उक्त आवेदक को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और यदि पहले ही प्रवेश पा चुका है, तो इस संबंध में बिना किसी पूर्व सूचना के प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। यदि पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद भी ऐसा पाया जाता है, तो आवेदक की डिग्री रद्द कर दी जाएगी और उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, ई.सी.ए, खेल और संगीत के लिए प्रवेश परीक्षाओं/परीक्षणों(ट्रायल) तथा प्रमाण-पत्र के सत्यापन के लिए आवेदकों की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए प्रक्रियाओं में किसी भी परिवर्तन को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अपनी वेबसाइट पर नियत समय में अधिसूचित किया जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट को देखते रहें और निर्देशानुसार कार्य करें।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी(|एन.टी.ए) को दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक-पूर्व प्रवेश परीक्षा 2020 **के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का काम सौंपा गया है :**

बी.ए. (ऑनर्स) व्यापार अर्थशास्त्र [बी.ए.(ऑनर्स) बी.ई.];
प्रबंधन अध्ययन स्नातक(बी.एम.एस);
व्यापर प्रशासन स्नातक (वित्तीय निवेश विश्लेषण) [बी.बी.ए.(एफआईए)];
बी .टेक.(सूचना प्रौद्योगिकी और गणितीय नवाचार) [बी .टेक.(आई टी और एम आई)];
बी.ए. (ऑनर्स) मानविकी और सामाजिक विज्ञान [बी.ए.(ऑनर्स) एच.एस.एस];
प्राथमिक शिक्षा स्नातक(बी.ईएल.ईडी.);
शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षण और खेल में विज्ञानं स्नातक [बीएस.सी (पी.ई, एच.ई और एस.)];
बी.ए.(ऑनर्स) मल्टीमीडिया और जन-संचार [बी.ए.(ऑनर्स) एम.एम.सी];
पत्रकारिता में पांच वर्षीय एकीकृत प्रोग्राम(एफ.वाई.आई.पी.जे.).

निम्नलिखित 20 शहरों में स्थित केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी :

अहमदाबाद	बैंगलोर	भोपाल	भुबनेश्वर
चंडीगढ़	चेन्नई	दिल्ली(एन.सी.आर)*	गुवाहटी
हैदराबाद	इम्फाल	जयपुर	जम्मू
कोलकाता	मुंबई	नागपुर	पटना
रांची	श्रीनगर(जे. एंड के.)	तिरुवनंतपुरम	वाराणसी

***दिल्ली/एन.सी.आर में शामिल हैं : दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, साहिबाबाद और गाजियाबाद।**

विषय-सूची

1.	**स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों 2020-21 में प्रवेश**	
	1.1 ऑनलाइन पंजीकरण हेतु शुल्क	
2.	**विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों में मेरिट आधारित प्रवेश**	
2.1	मेरिट आधारित स्नातक-पूर्व प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम-वार मेरिट सूची	
	2.1.1. पाठ्यक्रम -विशिष्ट पात्रता मानदंड में छूट	
	2.1.2. पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता का पता लगाना और विषय की मेरिट सूची की गणना करना.....	
	2.1.3. सी.बी.एस.सी के इतर बोर्डों के लिए विशेष अनुदेश	
2.2.	कला संकाय द्वारा प्रस्तुत बी.ए.(ऑनर्स) पाठ्यक्रमों में मेरिट आधारित प्रवेश	
2.3.	सामाजिक विज्ञान संकाय द्वारा प्रस्तुत बी.ए.(ऑनर्स)/ बी.ए.(वोकेशनल) पाठ्यक्रमों में मेरिट आधारित प्रवेश	
2.4.	बी.ए.(प्रोग्राम) में मेरिट आधारित प्रवेश	
2.5	अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी संकाय द्वारा प्रस्तुत बी.ए.(ऑनर्स) पाठ्यक्रमों में मेरिट आधारित प्रवेश	
2.6	अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी संकाय द्वारा बी.वोकेशनल पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत पाठ्यक्रमों में मेरिट आधारित प्रवेश	
2.7	वाणिज्य एवं व्यावसाय अध्ययन संकाय द्वारा प्रस्तुत बी.कॉम(ऑनर्स)/बी.कॉम पाठ्यक्रमों में मेरिट आधारित प्रवेश	
2.8	गणितीय विज्ञान संकाय द्वारा प्रस्तुत बी.एससी.(ऑनर्स) पाठ्यक्रमों में मेरिट आधारित प्रवेश	
2.9	विज्ञान और अंतर-आयामी और अनुप्रयुक्त विज्ञान संकाय द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रमों में मेरिट आधारित प्रवेश	
2.10	स्नातक-पूर्व मेरिट आधारित प्रवेश प्रक्रिया	
3.	**स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों में प्रवेश-परीक्षा आधारित प्रवेश**	
3.1	राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के बारे में(एन.टी.ए)	
3.2	प्रवेश-परीक्षा का सामान्य स्वरूप	
	3.2.1 प्रवेश परीक्षा से संबंधित सूचना	
3.3	पाठ्यक्रम जिनमे प्रवेश-परीक्षा के आधार पर प्रवेश होगा	
3.4	प्रवेश-परीक्षा आधारित प्रवेश सहित स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए पात्रता और चयन प्रक्रिया	
	3.4.1 अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान और मानविकी संकाय द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम	
	3.4.2 क्लस्टर नवाचार केंद्र द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम	
	3.4.3 शिक्षा संकाय द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम	
	3.4.4 अंतर-आयामी और अनुप्रयुक्त विज्ञान संकाय द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम	
	3.4.5 इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम	
	3.4.6 सामाजिक विज्ञान संकाय द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम	

	3.4.7 संगीत और ललित कला संकाय द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम	
3.5	प्रवेश-परीक्षा आधारित स्नातक-पूर्व प्रवेश प्रक्रिया	
4.	**एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी/आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण**	
4.1	अनुसूचित जाति(एस.सी) और अनुसूचित जनजाति(एस.टी) आवेदकों के लिए सीटों का आरक्षण	
4.2	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी, नॉन-क्रीमी लेयर, केंद्रीय सूची) के लिए सीटों का आरक्षण	
4.3	आर्थिक कमजोर वर्ग(ई.डब्ल्यु.एस) के लिए आरक्षण नीति	
5.	**दिव्यांग; सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के बच्चों/विधवाओं; कश्मीरी विस्थापितों; जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति; नामांकित सिक्किम छात्रों; वार्ड कोटा के लिए आरक्षण**	
5.1	दिव्यांगों(पी.डब्ल्यु.बी.डी) के लिए सीटों का आरक्षण	
	5.1.1 दिव्यांगों(पी.डब्ल्यु.बी.डी) के लिए शुल्क में छूट/माफी	
5.2	सशस्त्र सेनाओं(सी.डब्ल्यु) के कार्मिकों के बच्चों/विधवाओं के लिए आरक्षण	
5.3	कश्मीरी विस्थापितों(के.एम) (अतिरिक्त सीटों) के लिए आरक्षण	
5.4	जम्मू और कश्मीर के विद्यार्थियों के लिए प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना	
5.5	सिक्किम के विद्यार्थियों के लिए सीटों का नामांकन	
5.6	वार्ड कोटा के लिए सीट	
6	**पाठ्येतर और खेल कोटा (अतिरिक्त सीट)**	
6.1	पाठ्येतर गतिविधियों(ई.सी.ए) के अंतर्गत प्रवेश के लिए दिशा-निर्देश	
6.2	खेल के आधार पर प्रवेश के लिए दिशा-निर्देश	
7.	**नॉन-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड(एन.सी.डब्ल्यु.ई.बी) में प्रवेश**	
8.	**अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में प्रवेश**	
9.	**प्रवेश हेतु अपेक्षाएं**	
9.1	अर्हक परीक्षाएं	
9.2	अपेक्षित आयु	
9.3	समकक्षता मानदंड	
9.4	ग्रेड परिवर्तन [ए.सी. संकल्प संख्या 319, दिनांक 22/3/1976 के अनुसार]	
	9.4.1 आई.बी विद्यार्थियों को प्रवेश (आई.बी ग्रेड से अंक योजना)	
	9.4.2 कैंब्रिज विश्वविद्यालय (अंतरराष्ट्रीय परीक्षा) के विद्यार्थियों को प्रवेश	
9.5	पुनः जाँच/पुनर्मूल्यांकन	
10.	**पंजीकरण के समय अपेक्षित दस्तावेजों की सूची**	
11.	**प्रवेश शिकायत समितियां**	
परिशिष्ट		
परिशिष्ट । : विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण अध्यादेश		
परिशिष्ट ।। : बी.ए(प्रोग्राम) में महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित डिस्प्लीन प्रश्नपत्रों का संयोजन (कंबीनेशन) और सीटें		
परिशिष्ट ।।। : बी.ए(वोकेशनल स्टडीज) हेतु संबंधित व्यावसायिक(वोकेशनल) विषय		

परिशिष्ट IV : ट्रायल के लिए खेल श्रेणियों की संभावित सूची	
परिशिष्ट V : आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण	
परिशिष्ट VI : ओ.बी.सी. प्रमाणपत्र का प्रारूप	
परिशिष्ट VII : शैक्षिक रियायत प्रमाणपत्र का प्रारूप	
परिशिष्ट VIII : सी.बी.एस.ई से इतर कुछ बोर्ड से विषयों/प्रश्न पत्रों के नामों में फर्क के लिए समतुल्यता	
परिशिष्ट IX : पी.सी.एम/पी.सी.बी/सर्वश्रेष्ठ चार हेतु उदाहरण	
परिशिष्ट X : सी.बी.सी.एस की संरचना	
परिशिष्ट XI : छात्रावास की सुविधा	
परिशिष्ट XII : प्रवेश वापस लेने/रद्द होने पर शुल्क की वापसी के नियम	
परिशिष्ट XIII : महाविद्यालयों की फंडिंग की स्थिति	
परिशिष्ट XIV : अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न	

1. स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों 2020-21 में प्रवेश

दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक-पूर्व(यू.जी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश **मेरिट आधारित**(अर्थात् XII वीं कक्षा बोर्ड/अर्हक परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर) अथवा **प्रवेश परीक्षा आधारित**(अर्थात् इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा चयनित पाठ्यक्रम के आधार पर लिखित/प्रायोगिक परीक्षणों पर आधारित) हैं।

- सभी आवदेकों को दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल https://ug.du.ac.in के माध्यम से पंजीकरण करना होगा।
- वर्ष 2020-21 के लिए सभी स्नातक-पूर्व प्रवेश केवल इस पोर्टल के माध्यम से प्रशासित किए जाएंगे।
- किसी भी आवेदक का ऑफलाइन प्रवेश नहीं होगा।
- विश्वविद्यालय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करने वाले केवल योग्य आवेदकों के प्रवेश पर विचार किया जा सकता है।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा घोषित किए गए शेड्यूल के अनुसार प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए आवेदकों को प्रवेश प्रक्रिया के अंत में केवल दिल्ली विश्वविद्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
- अन्य सभी प्रवेश प्रकियाएं दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातक–पूर्व प्रवेश पोर्टल(पंजीकरण की प्रक्रिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर घोषित की जाएगी) पर आवदेक द्वारा अपने बनाए गए अद्वितीय(यूनिक) आई.डी का उपयोग करके पूरी की जानी हैं।

स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए पात्रता मांनदंड

- आवेदक का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। (**विदेशी विद्यार्थियों की श्रेणी** के अंतर्गत प्रवेश के इच्छुक आवेदक विदेशी विद्यार्थियों के पंजीकरण वेबसाइट http://fsr.du.ac.in पर **अलग से आवेदन करें**)
- आवदेक को भारत में अथवा विदेश में एसोसिएशन ऑफ इंडियन युनिवर्सिटीज(ए.आई.यू) द्वारा 10+2 प्रणाली के समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड/विश्वविद्यालय की कक्षा XII की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदक को योग्यता और पात्रता की गणना के लिए आवश्यक प्रत्येक विषय में अलग-अलग "उत्तीर्ण" होना अनिवार्य है(प्रायोगिक परीक्षा यदि कोई हो तो)। **"कम्पार्टमेंट"** परिणाम वाले आवेदक **आवेदन करने के पात्र नहीं है**।
- स्नातक–पूर्व पाठ्यक्रमों में प्रवेश के उद्देश्य से अंतर(गैप) वर्ष(वर्षों) वाले आवेदक को कोई नुकसान नहीं होगा।
- यू.आर/एस.सी/एस.टी/ओ.बी.सी/ई.डब्ल्यु.एस श्रेणियों के अंतर्गत आवेदक सभी महाविद्यालयों/विभागों के पाठ्यक्रमों(अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को छोड़कर, जहां कुछ श्रेणियां लागू नहीं भी हो सकती हैं) में योग्यता और प्रवेश परीक्षा दोनों के आधार पर प्रवेश पाने के लिए पात्र हैं।
- सिख और ईसाई अल्पसंख्यकों से संबंधित आवेदक अल्पसंख्यक कोटा के अंतर्गत विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में भी प्रवेश ले सकते हैं।
- निम्नलिखित श्रेणियों को **"अधिसंख्य"** नामित किया जाता है :

  i) पी.डब्ल्यु.डी (विकलांग व्यक्ति);

  ii) सी.डब्ल्यू (पैरा-मिलिट्री सहित सशस्त्र बलों के सदस्यों की संतानें/विधवाएं);

  iii) के.एम (कश्मीरी प्रवासी);

  iv) जम्मू और काश्मीर के विद्यार्थियों हेतु प्रधानमंत्री की विशेष छात्रवृत्ति;

  v) एस.एस(सिक्किम के नामांकित विद्यार्थी);

  vi) डब्ल्यु.क्यू(वार्ड कोटा);

  vii) ई.सी.ए(पाठ्येतर गतिविधियां);

  viii) खेल

टिप्पणी : उपर्युक्त श्रेणी **i-viii** तक की श्रेणियां उन पाठ्यक्रमों पर लागू होती हैं जहां प्रवेश योग्यता(मेरिट) के आधार पर होता है। उपर्युक्त **i** और **ii** श्रेणियां केवल उन पाठ्यक्रमों पर लागू होती हैं जहाँ प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर प्रवेश होता है।

1.1 ऑनलाइन पंजीकरण के लिए शुल्क

यू.आर/ओ.बी.सी के लिए मेरिट-आधारित पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण शुल्क	रु. 250
एस.सी/एस.टी/दिव्यांग/ई.डब्ल्यु.एस हेतु पंजीकरण शुल्क	रु. 100
ई.सी.ए/खेल हेतु अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क	रु. 100
यू.आर/ओ.बी.सी के लिए प्रत्येक प्रवेश-परीक्षा पर आधारित पाठ्यक्रम के लिए अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क	रु. 750
एस.सी/एस.टी/दिव्यांग/ई.डब्ल्यु.एस के लिए प्रत्येक प्रवेश-परीक्षा पर आधारित पाठ्यक्रम हेतु अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क	रु. 300
प्रवेश निरस्तीकरण शुल्क	रु.1000

ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के बाद ही **ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया** पूरी होती है। **आवदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पंजीकरण शुल्क सही पोर्टल पर जमा किया जाए; विश्वविद्यालय के स्नातक-पूर्व प्रवेश पोर्टल पर आवेदक के डैशबोर्ड के माध्यम से किसी भी अन्य लिंक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी/फीस पर विचार नहीं किया जाएगा।**

आवदेकों को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण प्रक्रिया को समय पर पूरा करें और अंतिम दिन की प्रतीक्षा न करें।

पंजीकरण शुल्क, बाद के चरण में **आवेदक को पाठ्यक्रम अथवा संबंधित श्रेणी के लिए अयोग्य पाए जाने** सहित किसी भी परिस्थिति में **वापस नहीं किया जाएगा**। आवेदक को यह जांचने की सलाह दी जाती है कि वे जिस पाठ्यक्रम(पाठ्यक्रमों) के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसके सभी पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।

प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति **आवेदक के अध्ययन संबंधी पाठ्यक्रम में आवेदन करने के लिए निर्धारित पात्रता अपेक्षाओं को पूरा करने के अधीन** है। यदि कोई आवेदक संबंधित पाठ्यक्रम में आवेदन करने हेतु निर्धारित किसी पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है और प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होता है, तो **आवेदक स्वयं के जोखिम और लागत पर ऐसा करता है। यदि किसी भी स्तर पर, यह पाया जाता है कि पात्रता की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं, तो यदि प्रवेश दिया गया है, तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा।**

2. विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-आधारित प्रवेश

विश्वविद्यालय द्वारा अपने संबद्ध महाविद्यालयों के माध्यम से कला, सामाजिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान और मानविकी, वाणिज्य और व्यवसाय अध्ययन, गणितीय विज्ञान, विज्ञान और अंतर-विषयक(डिस्प्लिनरी) और अनुप्रयुक्त विज्ञान जैसे विभिन्न संकायों के अंतर्गत अध्ययन की विभिन्न शाखाओं के माध्यम से स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों की पेशकश की जाती है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने सभी स्नातक-पूर्व प्रोग्रामों हेतु च्वॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम(सी.बी.सी.एस) लागू किया है(पाठ्यक्रम संरचना से संबंधित जानकारी के लिए परिशिष्ट X देखें)। स्नातक-पूर्व स्तर पर प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए पात्रता के विभिन्न मानदंड नीचे सूचीबद्ध है। **आवेदकों को अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए कि वे अपेक्षाओं को पूरा करते है।**

इस सूचना बुलेटिन(बुलेटिन ऑफ इनफॉर्मेशन) में विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न मानदंडों और प्रक्रियाओं के माध्यम से इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया जाता है। सूचना बुलेटिन के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित लोगों के अलावा महाविद्यालयों द्वारा कोई अतिरिक्त पात्रता मानदंड नहीं निर्धारित है।

2.1 मेरिट-आधारित यू.जी प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम-वार मेरिट सूची

दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों/विभागों द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित पाठ्यक्रम-वार और श्रेणी-वार मेरिट सूची का पालन किया जाएगा।

कला, वाणिज्य, गणितीय विज्ञान, संगीत, सामाजिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान और मानविकी के संकायों के पाठ्यक्रमों हेतु आवदेक द्वारा दर्ज किए गए अंक(यू.जी. प्रवेश पोर्टल पर पंजीकरण के समय) पाठ्यक्रम-विशिष्ट संयोजनों के "श्रेष्ठ चार(बेस्ट फोर)" कुल अंकों की गणना के आधार पर तथा विज्ञान और अनुप्रयुक्त विज्ञानों के संकायों के अंतर्गत पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए "तीन विषयों" के रूप में काम करेंगे। इसे महाविद्यालय/विभागों द्वारा प्रथम कट-ऑफ अंकों की घोषणा से पहले यू.जी प्रवेश पोर्टल पर प्रदर्शित किया जा सकता है।

जिन आवदेकों के अंक सुझाए गए पाठ्यक्रम और श्रेणी-वार मेरिट सूची के प्रकाशन के बाद अद्यतन किए जाते हैं, उनके लिए अनुलग्नक के रूप में एक अलग अद्यतन सूची प्रकाशित की जाएगी।

उक्त मेरिट सूची सुविधा(फैसिलिटेट) के लिए आवदेक प्रासंगिक सूची **'ए'** और सूची **'बी'** से विषयों को चुन सकता है।

2.1.1. पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड में छूट

- एस.सी./एस.टी श्रेणियों के आवदेकों की पात्रता और योग्यता निर्धारित करने के लिए, उनको अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए निर्धारित संबंधित पात्रता मानदंड और निर्धारित प्रवेश योग्यता में 5% तक की छूट दी जाएगी। यदि 5% छूट देने के बाद भी ये आरक्षित सीटें रिक्त रहती हैं, तो संबंधित पाठ्यक्रम में सभी आरक्षित सीटों को भरने के लिए आगे आवश्यक सीमा तक छूट दी जाएगी। ऐसे मामलों में योग्यता उत्तीर्णता प्रतिशत मात्र है।
- ओ.बी.सी श्रेणी के आवेदकों की पात्रता और योग्यता निर्धारित करने के लिए, उन्हें अर्हक परीक्षा से संबंधित पात्रता में अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों की पात्रता अंकों में 10% छूट दी

जाएगी। उदाहरण के लिए यदि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनारक्षित श्रेणी के आवदेकों के लिए न्यूनतम पात्रता 40% है तो ओ.बी.सी. श्रेणी के लिए न्यूनतम पात्रता 36% होगी (अर्थात् 40% में से 40% का 10% घटाकर)।

- दिव्यांग(पी.डब्ल्यु.डी) श्रेणी के आवदेकों को अर्हक परीक्षा में सम्बद्ध पाठ्यक्रम की संबंधित पात्रता में 5% की सीमा तक की छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए यदि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनारक्षित श्रेणी के आवदेकों के लिए न्यूनतम पात्रता 40% है तो ओ.बी.सी. श्रेणी के लिए न्यूनतम पात्रता 36% होगी (अर्थात् 40% में से 40% का 10% घटाकर)।
- सी.डब्ल्यु श्रेणी के आवदेकों को अर्हक परीक्षा में सम्बद्ध पाठ्यक्रम की संबंधित पात्रता में 5% की सीमा तक की छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए यदि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनारक्षित श्रेणी के आवदेकों के लिए न्यूनतम पात्रता 40% है तो ओ.बी.सी. श्रेणी के लिए न्यूनतम पात्रता 36% होगी (अर्थात् 40% में से 40% का 10% घटाकर)।
- ई.डब्ल्यु.एस श्रेणी के अंतर्गत मेरिट आधारित प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड आरक्षित(यू.आर) श्रेणी के समान होगा।

2.1.2. **पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता और विषयों की मेरिट सूचियों का निर्धारण करना**

सूची 'ए' : भाषा विषय					
सूची $ए_1$					**सूची $ए_2$**
असमी मुख्य / असमी वैकल्पिक	गुजराती मुख्य / गुजराती वैकल्पिक	मैथिली मुख्य / मैथिली वैकल्पिक	ओड़िया मुख्य / ओड़िया वैकल्पिक	तमिल मुख्य / तमिल वैकल्पिक	अरबी मुख्य / अरबी वैकल्पिक
बंगाली मुख्य / बंगाली वैकल्पिक	हिंदी मुख्य / हिंदी वैकल्पिक	मलयालम मुख्य / मलयालम वैकल्पिक	पंजाबी मुख्य / पंजाबी वैकल्पिक	तेलगु मुख्य / तेलगु वैकल्पिक	फ्रेंच मुख्य / फ्रेंच वैकल्पिक
बोडो मुख्य / बोडो वैकल्पिक	कन्नड़ मुख्य / कन्नड़ वैकल्पिक	मणिपुरी मुख्य / मणिपुरी वैकल्पिक	संस्कृत मुख्य / संस्कृत वैकल्पिक	उर्दू मुख्य / उर्दू वैकल्पिक	जर्मन मुख्य / जर्मन वैकल्पिक
डोगरी मुख्य / डोगरी वैकल्पिक	कश्मीरी मुख्य / कश्मीरी वैकल्पिक	मराठी मुख्य / मराठी वैकल्पिक	संथाली मुख्य / संथाली वैकल्पिक		इतालवी मुख्य / इतालवी वैकल्पिक
अंग्रेजी मुख्य / अंग्रेजी वैकल्पिक	कोंकणी मुख्य / कोंकणी वैकल्पिक	नेपाली मुख्य / नेपाली वैकल्पिक	सिंधी मुख्य / सिंधी वैकल्पिक		पर्सियन मुख्य/ पर्सियन वैकल्पिक
					स्पेनिश मुख्य / स्पेनिश वैकल्पिक

सूची 'बी' (वैकल्पिक विषय)		
लेखांकन(एकाउंटेंसी)	कंप्यूटर विज्ञान / कंप्यूटर अनुप्रयोग / आसूचना (इन्फॉर्मेटिक्स) पद्धतियां	गणित
मानव विज्ञान(एंथ्रोपोलॉजी)	अर्थशास्त्र	दर्शनशास्त्र/तार्किक और दर्शनशास्त्र
जीव-विज्ञान/जैव-रसायन/जैव-प्रौद्योगिकी	भूगोल	भौतिक विज्ञान
व्यापार गणित	भू-विज्ञान	राजनीति विज्ञान
रसायन विज्ञान	इतिहास	दर्शनशास्त्र
नागरिक विज्ञान	गृह विज्ञान	समाजशास्त्र
वाणिज्य और व्यवसाय अध्ययन	विधिक अध्ययन	सांख्यिकी

कम्प्यूटिंग मेरिट स्कोर : सामान्य दिशा-निर्देश पाठ्यक्रम विशिष्ट पात्रता मानदंड मेरिट स्कोर निर्धारित करते हैं, जिस पर प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश आधारित होता है। यदि वे अर्हता प्राप्त करते हैं तो आवेदकों को इन मानदंडों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। पाठ्यक्रम विशिष्ट मानदंड का विवरण नीचे सेक्शन्स 2.2 - 2.9 में दिया गया है।

1. सभी शैक्षणिक विषयों को ''ऐच्छिक'' माना जा सकता है। कम्प्यूटेशन(पाठ्यक्रम-विशिष्ट मानदंडों के अधीन) के लिए पात्र विषय उपर्युक्त सूची 'ए' और सूची 'बी' में सूचीबद्ध हैं।
2. विश्वविद्यालय किसी भी अन्य प्रासंगिक विषयों को किसी विशेष पाठ्यक्रम के लिए अकादमिक अथवा वैकल्पिक के रूप में परिभाषित कर सकता है।
3. कला, वाणिज्य, गणितीय विज्ञान, संगीत, सामाजिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त समाजिक विज्ञान एवं मानविकी के संकायों में पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ''श्रेष्ठ चार(बेस्ट फोर)'' विषयों में अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के पाठ्यक्रम-विशिष्ट संयोजनों और विज्ञान तथा अनुप्रयुक्त विज्ञान के संकायों के अधीन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ''तीन विषयों'' के पाठ्यक्रम-विशिष्ट संयोजनों के माध्यम से मेरिट की गणना की जाती है।

2.1.3. सी.बी.एस.ई के इतर अन्य बोर्डों हेतु विशेष अनुदेश

1. यदि पेपर का शीर्षक उपर्युक्त सूची 'ए' और सूची 'बी' में निर्दिष्ट शीर्षकों से मेल नहीं खाता है, तो आवेदक के लिए अनिवार्य होगा कि उसने जिस अंतिम विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की हो, उस संस्थान के प्राचार्य/प्रमुख से यह प्रमाणित करते हुए एक विषय समतुल्यता प्रमाणपत्र प्रदान करें, कि पेपर की सामग्री एन.सी.ई.आर.टी की कक्षा XII के पाठ्यक्रम के समकक्ष है। इस समतुल्यता प्रमाणपत्र के साथ पेपर के पाठ्यक्रम के प्राचार्य/विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित एक प्रति संलग्न होनी चाहिए। हालांकि, ऐसे मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
2. यदि आवेदक ने "वनस्पति-विज्ञान" और "प्राणि-विज्ञान'' का अलग-अलग अध्ययन किया है, तो इन दोनों पेपरों के कुल अंक आपके प्रवेश-आवेदन पत्र में दिए गए ''जीवविज्ञान'' शीर्षक के अंतर्गत सैद्धांतिक और प्रायोगिक अंकों के संबंधित क्षेत्रों में दर्ज किए जाने चाहिए।
3. यदि आवेदक के अंकपत्र में कक्षा XI और कक्षा XII दोनों के अंक हैं, तो आवदेक को प्रवेश-आवेदन पत्रों में दिए गए संबंधित क्षेत्रों में **केवल कक्षा XII के अंक दर्ज** करने होंगे।
4. आवदेकों को सैद्धांतिक और प्रायोगिक में अलग-अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि पेपर में सैद्धांतिक घटक 70% से कम हो तब भी सैद्धांतिक और प्रायोगिक घटक वाले किसी भी पेपर के लिए आवेदक 70 (**सिद्धांत**) : 30 (**प्रायोगिक**) के अनुपात पर विचार किया जाएगा। आवेदक को

ऑनलाइन प्रवेश-आवेदन पत्र में, अपने अंकपत्र के अनुसार अंक और सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक प्रत्येक के लिए अधिकतम अंक और कुल योग अलग-अलग भरना चाहिए। **यदि सैद्धांतिक/प्रायोगिक का विभाजन(ब्रेकअप) निर्दिष्ट नहीं है**, तो आवेदक को ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म में उस पेपर के लिए केवल पहली फील्ड(**"**सिद्धांत**"**) में केवल कुल अंक दर्ज करने होंगे।(नमूना गणना हेतु परिशिष्ट **IX** का उदाहरण 1 देखें)

5. किसी भी गणना के लिए अंकपत्र में वर्णित ''आंतरिक मूल्यांकन'', यदि कोई हों, अंक का उपयोग नहीं किया जाएगा।(नमूना गणना हेतु परिशिष्ट **IX** का उदाहरण 2 देखें)
6. सैद्धांतिक और प्रायोगिक अथवा इनके योग से संबंधित अंकों की प्रविष्टि में किसी भी विसंगति की जिम्मेदारी केवल आवेदक की होगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण फॉर्म को भरने में अत्यधिक सावधानी बरतें क्योंकि प्रवेश में त्रुटियों से फार्म की अस्वीकृति हो सकती है।

2.2 कला संकाय द्वारा प्रस्तुत बी.ए.(ऑनर्स) पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-आधारित प्रवेश

पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और मेरिट की गणना हेतु विषयों का संयोजन
बी.ए. (ऑनर्स) अंग्रेजी	• अर्हक परीक्षा में कुल 45% अंक। • आवेदक को अर्हक परीक्षा में अंग्रेजी का अध्ययन किया और उत्तीर्ण होना चाहिए और "श्रेष्ठ चार(बेस्ट फोर)" प्रतिशत की गणना के लिए अंग्रेजी को शामिल करना चाहिए। • मेरिट सूची 'ए' और सूची 'बी' के विषयों में से एक भाषा और तीन सर्वश्रेष्ठ अकादमिक/वैकल्पिक विषयों की विशिष्टता(फीचरिंग) "श्रेष्ठ चार(बेस्ट फोर)'' के आधार पर निर्धारित की जाएगी। • सर्वश्रेष्ठ तीन संयोजन में सूची 'ए' और सूची 'बी' के अलावा अन्य किसी भी विषय को शामिल करने से कुल ''श्रेष्ठ चार(बेस्ट फोर)'' प्रतिशत में शामिल ऐसे विषय पर 2.5% की कटौती होगी। • ''श्रेष्ठ चार(बेस्ट फोर)'' प्रतिशत में 2% का लाभ उन आवेदकों को दिया जाएगा, जिन्होंने एक वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन किया है(सूची 'ए' देखें)
बी.ए. (ऑनर्स) हिंदी	• अर्हक परीक्षा में कुल 45% अंक। • अर्हक परीक्षा में कुल मिलाकर और हिंदी में 50% अंकों के साथ 40% अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले आवेदक भी संबंधित ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं। • आवेदक, जिन्होंने कुल मिलाकर कम से कम 40% अंकों के साथ भारतीय विश्वविद्यालय/बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है और ''हिंदी में प्रभाकर'' भी प्रवेश हेतु पात्र होंगे। • आवेदक को अर्हक परीक्षा में हिंदी का अध्ययन किया और उत्तीर्ण होना चाहिए और "श्रेष्ठ चार(बेस्ट फोर)" प्रतिशत की गणना के लिए हिंदी को शामिल करना चाहिए। • मेरिट सूची 'ए' और सूची 'बी' के विषयों में से एक भाषा और तीन सर्वश्रेष्ठ अकादमिक/वैकल्पिक विषयों की विशिष्टता(फीचरिंग) "श्रेष्ठ चार(बेस्ट फोर)'' के आधार पर निर्धारित की जाएगी। • सर्वश्रेष्ठ तीन संयोजन में सूची 'ए' और सूची 'बी' के अलावा अन्य किसी भी विषय को शामिल करने से कुल ''श्रेष्ठ चार(बेस्ट फोर)'' प्रतिशत में शामिल ऐसे विषय पर 2.5% की कटौती होगी। • ''श्रेष्ठ चार(बेस्ट फोर)'' प्रतिशत में 2% का लाभ उन आवेदकों को दिया जाएगा, जिन्होंने एक **वैकल्पिक** विषय के रूप में हिंदी का अध्ययन किया है(सूची 'ए' देखें)

बी.ए.(ऑनर्स) अरबी/ बंगाली /फारसी (पर्सियन) / पंजाबी / संस्कृत /उर्दू	• अर्हक परीक्षा में कुल 45% अंक। • अर्हक परीक्षा में कुल मिलाकर और हिंदी में 50% अंकों के साथ 40% अंक प्राप्त करने वाले आवेदक भी संबंधित ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं। • आवेदक, जिन्होंने कुल मिलाकर कम से कम 40% अंकों के साथ भारतीय विश्वविद्यालय/बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है और निम्नलिखित परीक्षाओं में से नीचे दिए गए ऑनर्स पाठ्यक्रम के संबंधित विषय में प्रवेश हेतु पात्र होंगे : • अरबी में मौलवी फ़ाजिल • फारसी(पर्सियन) में मुंशी फ़ाजिल • पंजाबी में ज्ञानी • संस्कृत में शास्त्री • उर्दू में अदीब फ़ाजिल • मेरिट उपर्युक्त सूची 'ए' और सूची 'बी' के विषयों में से एक भाषा और तीन सर्वश्रेष्ठ अकादमिक/वैकल्पिक विषयों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। • सर्वश्रेष्ठ तीन संयोजन में सूची 'ए' और सूची 'बी' के अलावा अन्य किसी भी विषय को शामिल करने से कुल "श्रेष्ठ चार(बेस्ट फोर)" प्रतिशत में शामिल ऐसे विषय पर 2.5% की कटौती होगी। • किसी भी भाषा पाठ्यक्रम में ऑनर्स में प्रवेश के लिए, 2% का लाभ कुल आवेदकों को "श्रेष्ठ चार(बेस्ट फोर)" प्रतिशत में दिया जाएगा, जिन्होंने उस विशेष वैकल्पिक भाषा का अध्ययन किया है। • यदि आवेदक ने परीक्षा स्तर पर किसी भाषा का अध्ययन नहीं किया हे और उस भाषा में ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहता है, तो "श्रेष्ठ चार(बेस्ट फोर)" कुल(एग्रीगेट) प्रतिशत पर 5% की कटौती की जाएगी।
बी.ए.(ऑनर्स) फ्रेंच/जर्मन/ इतालवी/स्पेनिश	• अर्हक परीक्षा में कुल 45% अंक। • मेरिट उपर्युक्त सूची 'ए' और सूची 'बी' के विषयों में से एक भाषा और तीन सर्वश्रेष्ठ अकादमिक/वैकल्पिक विषयों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। • सर्वश्रेष्ठ तीन संयोजन में सूची 'ए' और सूची 'बी' के अलावा अन्य किसी भी विषय को शामिल करने से कुल "श्रेष्ठ चार(बेस्ट फोर)" प्रतिशत में शामिल ऐसे विषय पर 2.5% की कटौती होगी। • किसी भी भाषा पाठ्यक्रम में ऑनर्स में प्रवेश के लिए, 2% का लाभ कुल आवेदकों को "श्रेष्ठ चार(बेस्ट फोर)" प्रतिशत में दिया जाएगा, जिन्होंने उस विशेष वैकल्पिक भाषा का अध्ययन किया है। • यदि आवेदक ने परीक्षा स्तर पर किसी भाषा का अध्ययन नहीं किया हे और उस भाषा में ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहता है, तो "श्रेष्ठ चार(बेस्ट फोर)" कुल(एग्रीगेट) प्रतिशत पर 5% की कटौती की जाएगी।

2.3 सामाजिक विज्ञान संकाय द्वारा प्रस्तुत बी.ए.(ऑनर्स)/बी.ए.(वोकेशनल) पाठ्यक्रमों में मेरिट आधारित प्रवेश

पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और मेरिट की गणना हेतु विषयों का संयोजन
बी.ए. (ऑनर्स) अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान / भूगोल /इतिहास / राजनीति विज्ञान / समाज कार्य/ समाजशास्त्र / दर्शनशास्त्र / मनोविज्ञान	• अर्हक परीक्षा में कुल 45% अंक। • मेरिट उपर्युक्त सूची 'ए' और सूची 'बी' के विषयों में से एक भाषा और तीन सर्वश्रेष्ठ अकादमिक/वैकल्पिक विषयों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। • सर्वश्रेष्ठ तीन संयोजन में सूची 'ए' और सूची 'बी' के अलावा अन्य किसी भी विषय को शामिल करने से कुल "श्रेष्ठ चार(बेस्ट फोर)" प्रतिशत में शामिल ऐसे विषय पर 2.5% की कटौती होगी। • उपर्युक्त चुने गए तीन अकादमिक/वैकल्पिक विषयों में से, एक संबंधित विषय होना चाहिए जिसमें प्रवेश मांगा गया है, जिसमें विफल रहने पर कुल "श्रेष्ठ चार(बेस्ट फोर)" प्रतिशत पर 2.5% की कटौती होगी। बी.ए(ऑनर्स) समाज कार्य और बी.ए(ऑनर्स) दर्शनशास्त्र पर कटौती लागू नहीं होगी। • बी.ए(ऑनर्स) अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान एवं बी.ए(ऑनर्स) मनोविज्ञान में "श्रेष्ठ चार(बेस्ट फोर)" के आधार पर प्रवेश होगा। • बी.ए(ऑनर्स) समाज कार्य एवं बी.ए(ऑनर्स) दर्शनशास्त्र में एक भाषा तथा तीन अकादमिक/वैकल्पिक भाषाओं सहित "श्रेष्ठ चार(बेस्ट फोर)" के आधार पर प्रवेश होगा।
बी.ए. (ऑनर्स) अर्थशास्त्र	• अर्हक परीक्षा में कुल 45% अंक। • बी.ए.(ऑनर्स) अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने हेतु आवदेक को अर्हक परीक्षा में गणित का अध्ययन किया होना चाहिए और उत्तीर्ण होना चाहिए। • मेरिट उपर्युक्त सूची 'ए' और सूची 'बी' के विषयों में से एक भाषा और तीन सर्वश्रेष्ठ अकादमिक/वैकल्पिक विषयों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। • उपर्युक्त चुने गए तीन अकादमिक/वैकल्पिक विषयों में से, एक संबंधित विषय होना चाहिए जिसमें प्रवेश मांगा गया है, जिसमें विफल रहने पर कुल "श्रेष्ठ चार(बेस्ट फोर)" प्रतिशत पर 2.5% की कटौती होगी। • सर्वश्रेष्ठ तीन संयोजन में सूची 'ए' और सूची 'बी' के अलावा अन्य किसी भी विषय को शामिल करने से कुल "श्रेष्ठ चार(बेस्ट फोर)" प्रतिशत में शामिल ऐसे विषय पर 2.5% की कटौती होगी।
बी.ए.(ऑनर्स) (वोकेशनल स्टडीज)	• अर्हक परीक्षा में कुल 45% अंक। • मेरिट उपर्युक्त सूची 'ए' और सूची 'बी' के विषयों में से एक भाषा और तीन सर्वश्रेष्ठ अकादमिक/वैकल्पिक विषयों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। • केवल बी.ए.(व्यावसायिक) में प्रवेश के लिए, संबंधित व्यावसायिक विषयों को अकादमिक/वैकल्पिक विषयों के बराबर माना जा सकता है और दो व्यावसायिक विषयों तक जो अध्ययन के पाठ्यक्रम के साथ संबंधित है, उन्हें "श्रेष्ठ चार(बेस्ट फोर)"(संबंधित व्यावसायिक विषयों की सूची के लिए परिशिष्ट III देखें, जिस पर कुल मिलाकर प्रति विषय 2.5% की कटौती लागू नहीं होगी) की गणना के लिए शामिल किया जा सकता है। निम्नलिखित पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं : 1) बी.ए.(वोकेशनल स्टडीज) मानव संसाधान प्रबंधन 2) बी.ए.(वोकेशनल स्टडीज) बीमा का प्रबंधन और विपणन 3) बी.ए.(वोकेशनल स्टडीज) विपणन प्रबंधन और खुदरा व्यापार 4) बी.ए.(वोकेशनल स्टडीज) सामग्री(मेटेरियल) प्रबंधन 5) बी.ए.(वोकेशनल स्टडीज) कार्यालय प्रबंधन और सेक्रिटेरियल प्रैक्टिस (ओ.एम.एस.पी) 6) बी.ए.(वोकेशनल स्टडीज) लघु और मध्यम उद्यम 7) बी.ए.(वोकेशनल स्टडीज) पर्यटन प्रबंधन

2.4 बी.ए.(प्रोग्राम) में मेरिट आधारित प्रवेश

आवदेक महाविद्यालयों द्वारा पेश किए गए संयोजनों में से दो "डिस्प्लीन" विषयों का संयोजन चुनते हैं(संबंधित महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत संयोजन और को देखने के लिए परिशिष्ट II देखें)। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मानदंड वांछित संयोजन पर आधारित है।

पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और मेरिट की गणना हेतु विषयों का संयोजन
बी.ए. प्रोग्राम (डिसिप्लीन विषय संयोजन आधारित प्रवेश)	• अर्हक परीक्षा में कुल 45% अंक। • मेरिट एक भाषा(मुख्य/वैकल्पिक/कार्यात्मक) और तीन सर्वश्रेष्ठ अकादमिक/वैकल्पिक विषयों के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जैसा कि सूची 'ए' और सूची 'बी' में ऊपर निर्दिष्ट किया जा सकता है। • एक गैर-सूचीबद्ध विषय(सूची'ए' और 'बी' में वैकल्पिक विषयों के अतिरिक्त) को बिना कटौती के "श्रेष्ठ चार(बेस्ट फोर)" की गणना में शामिल किया जा सकता है। • यदि बी.ए. प्रोग्राम में प्रवेश हेतु शाखा(स्ट्रीम) में बदलाव होता है तो "श्रेष्ठ चार(बेस्ट फोर)" प्रतिशत पर 5% की कटौती की जा सकती है। प्रत्येक महाविद्यालय के लिए विशिष्ट किसी भी कटौती के बारे में जानकारी महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जाएगी। • यदि "श्रेष्ठ चार(बेस्ट फोर)" की गणना हेतु एक से अधिक गैर-सूचीबद्ध विषय शामिल किए गए हैं, तो "श्रेष्ठ चार(बेस्ट फोर)" में 2.5% की कटौती, शाखा(स्ट्रीम) के बदलाव के कारण कटौती के अलावा हो सकती है, यदि कोई हो।

2.5 अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी संकाय द्वारा प्रस्तुत बी.ए.(ऑनर्स) पाठ्यक्रमों में मेरिट-आधारित प्रवेश

पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और मेरिट की गणना हेतु विषयों का संयोजन
बी.ए.(ऑनर्स) हिंदी पत्रिकारिता	• अर्हक परीक्षा हिंदी भाषा के साथ कुल 45% अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए। • कुल 40% अंक और हिंदी भाषा में 50% अंक प्राप्त करने वाले आवेदक भी प्रवेश हेतु पात्र हैं। • मेरिट हिंदी भाषा और तीन सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक/वैकल्पिक विषयों के आधार पर निर्धारित की जाएगी जैसा कि उपर्युक्त सूची 'ए' ओर सूची 'बी' में निर्दिष्ट है। • इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मास मीडिया को एक अकादमिक विषय के रूप में माना जाएगा।
बी.ए.(ऑनर्स) पत्रिकारिता	• अर्हक परीक्षा हिंदी भाषा के साथ कुल 45% अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए। • मेरिट अंग्रेजी भाषा और तीन सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक/वैकल्पिक विषयों के आधार पर निर्धारित की जाएगी जैसा कि उपर्युक्त सूची 'ए' ओर सूची 'बी' में निर्दिष्ट है। • इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मास मीडिया को एक अकादमिक विषय के रूप में माना जाएगा।

2.6 अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी संकाय द्वारा बी. व्यावसायिक(वोकेशनल) के माध्यम से प्रस्तुत पाठ्यक्रमों में मेरिट-आधारित प्रवेश

बी. वोकेशनल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एस.सी।एस.टी/ओ.बी.सी/ई.डब्ल्यु.एस श्रेणियों के लिए आरक्षण खंड 4 के दिशा-निर्देशों के अनुसार है। हालांकि, जीसस और मैरी महाविद्यालय में 50% सीटें क्रिश्चियन समुदाय के लिए आरक्षित है। दिव्यांग/सी.डब्ल्यु/के.एम आवेदकों के बी. वोकेशनल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अधिसंख्य(सुपरन्यूमेरी) सीटों हेतु आरक्षण खंड 5 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा। किसी अन्य श्रेणी में कोई अधिसंख्य सीट नहीं होगी।

पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और मेरिट की गणना हेतु विषयों का संयोजन
बी. व्यावसायिक (मुद्रण प्रौद्योगिकी)	• अर्हक परीक्षा में कुल 40% अंक। • मेरिट की गणना निम्नलिखित आधार पर की जाएगी : o एक भाषा(अंग्रेजी अथवा हिंदी)(मुख्य/ऐच्छिक/कार्यात्मक); o उपर्युक्त सूची 'ए' और सूची 'बी' में निर्दिष्ट गणित एवं कोई वैकल्पिक विषय; o प्रिंट डिजाइनिंग, प्रिंट ग्राफिक्स, ग्राफिक डिजाइन को संबंधित व्यावसायिक विषयों के रूप में स्वीकार किया जाएगा और वैकल्पिक के रूप में माना जा सकता है तथा अन्य वैकल्पिक विषयों के समतुल्य माना गया है। जिन्होंने संबंधित व्यावसायिक विषयों को उत्तीर्ण किया है। 2% का लाभ उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने संबंधित व्यावसायिक विषय उत्तीर्ण किया है और जो ''श्रेष्ठ चार(बेस्ड फोर) में शामिल है। • 1% का अतिरिक्त लाभ दिया जाता है यदि आवेदक ने एक से अधिक संबंधित व्यावसायिक विषय का अध्ययन किया है जो ''श्रेष्ठ चार(बेस्ड फोर) में शामिल है।
बी. व्यावसायिक (वेब डिजाइनिंग)	• अर्हक परीक्षा में कुल 40% अंक। • मेरिट की गणना निम्नलिखित आधार पर की जाएगी : o एक भाषा(अंग्रेजी अथवा हिंदी)(मुख्य/ऐच्छिक/कार्यात्मक); o उपर्युक्त सूची 'ए' और सूची 'बी' में निर्दिष्ट गणित एवं कोई वैकल्पिक विषय; o आई.टी, वेब डिजाइन और कम्प्यूटर विज्ञान को संबंधित व्यावसायिक विषयों के रूप में स्वीकार किया जाएगा और वैकल्पिक के रूप में माना जा सकता है तथा अन्य वैकल्पिक विषयों के समतुल्य माना गया है। जिन्होंने संबंधित व्यावसायिक विषयों को उत्तीर्ण किया है। 2% का लाभ उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने संबंधित व्यावसायिक विषय उत्तीर्ण किया है और जो ''श्रेष्ठ चार(बेस्ड फोर) में शामिल है। • 1% का अतिरिक्त लाभ दिया जाता है यदि आवेदक ने एक से अधिक संबंधित व्यावसायिक विषय का अध्ययन किया है जो ''श्रेष्ठ चार(बेस्ड फोर) में शामिल है।
बी. व्यावसायिक (स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन)	• 10+12 अथवा समतुल्य परीक्षाओं में में कुल 40% अंक। • मेरिट की गणना निम्नलिखित आधार पर की जाएगी : o एक भाषा(अंग्रेजी अथवा हिंदी)(मुख्य/ऐच्छिक/कार्यात्मक); o उपर्युक्त सूची 'ए' और सूची 'बी' में निर्दिष्ट कोई तीन वैकल्पिक विषय;
बी. व्यावसायिक (स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन)	o संबंधित व्यावसायिक विषयों को वैकल्पिक के रूप में माना जा सकता है तथा अन्य वैकल्पिक विषयों के समतुल्य माना गया है। जिन्होंने संबंधित व्यावसायिक विषयों को उत्तीर्ण किया है, जो ''श्रेष्ठ चार(बेस्ट फोर)'' में शामिल है, उन्हें 2% का लाभ दिया जाएगा। • 1% का अतिरिक्त लाभ दिया जाता है यदि आवेदक ने एक से अधिक संबंधित व्यावसायिक विषय का अध्ययन किया है जो ''श्रेष्ठ चार(बेस्ड फोर) में शामिल है। • अर्हक परीक्षा बायोलॉजी से उत्तीर्ण करने वाले आवदेकों को 2% का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
बी. व्यावसायिक (खुदरा प्रबंधन और आई.टी)	• 10+12 अथवा समतुल्य परीक्षाओं में में कुल 40% अंक। • मेरिट की गणना निम्नलिखित आधार पर की जाएगी : o एक भाषा(अंग्रेजी अथवा हिंदी)(मुख्य/ऐच्छिक/कार्यात्मक); o उपर्युक्त सूची 'ए' और सूची 'बी' में निर्दिष्ट कोई तीन वैकल्पिक विषय; o संबंधित व्यावसायिक विषयों को वैकल्पिक के रूप में माना जा सकता है तथा अन्य वैकल्पिक विषयों के समतुल्य माना गया है। जिन्होंने संबंधित व्यावसायिक विषयों को उत्तीर्ण किया है, जो ''श्रेष्ठ चार'' में शामिल है, उन्हें 2% का लाभ दिया जाएगा। • 1% का अतिरिक्त लाभ दिया जाता है यदि आवेदक ने एक से अधिक संबंधित व्यावसायिक विषय का अध्ययन किया है जो ''श्रेष्ठ चार(बेस्ड फोर) में शामिल है।

बी. व्यावसायिक (बैंकिंग प्रचालन**)**	• 10+12 अथवा समतुल्य परीक्षाओं में में कुल 40% अंक। • मेरिट की गणना निम्नलिखित आधार पर की जाएगी : o एक भाषा(अंग्रेजी अथवा हिंदी)(मुख्य/ऐच्छिक/कार्यात्मक); o उपर्युक्त सूची 'ए' और सूची 'बी' में निर्दिष्ट कोई तीन वैकल्पिक विषय; o वित्तीय लेखांकन, लागत लेखा और लेखापरीक्षा के तत्व(एलीमेंट), नकद प्रबंधन और हाउस कीपिंग, उधार संचालन, बैंक ऑफिस का प्रबंधन, जीवन बीमा का सैद्धांतिक अभ्यास, कॅपयूटर और जीवन बीमा प्रशासन, व्यवसाय-2 के लिए लेखांकन, वित्तीय बाजारों का परिचय-2 एवं व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग कौशल को संबंधित व्यावसायिक विषयों के रूप में स्वीकार किया जाएगा और वैकल्पिक के रूप में माना जा सकता है तथा अन्य वैकल्पिक विषयों के समतुल्य माना गया है। जिन्होंने संबंधित व्यावसायिक विषयों को उत्तीर्ण किया है। 2% का लाभ उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने संबंधित व्यावसायिक विषय उत्तीर्ण किया है और जो ''श्रेष्ठ चार(बेस्ड फोर) में शामिल है। • 1% का अतिरिक्त लाभ दिया जाता है यदि आवेदक ने एक से अधिक संबंधित व्यावसायिक विषय का अध्ययन किया है जो ''श्रेष्ठ चार(बेस्ड फोर) में शामिल है।
बी. व्यावसायिक (सॉफ्टवेयर विकास**)**	• 10+12 अथवा समतुल्य परीक्षाओं में में कुल 40% अंक। • मेरिट की गणना निम्नलिखित आधार पर की जाएगी : o एक भाषा(अंग्रेजी अथवा हिंदी)(मुख्य/ऐच्छिक/कार्यात्मक); o उपर्युक्त सूची 'ए' और सूची 'बी' में निर्दिष्ट गणित एवं कोई वैकल्पिक विषय; o आई.टी सिस्टम, बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग एवं डी.टी.पी, सी.ए.डी और मल्टीमीडिया को संबंधित व्यावसायिक विषयों के रूप में स्वीकार किया जाएगा और वैकल्पिक के रूप में माना जा सकता है तथा अन्य वैकल्पिक विषयों के समतुल्य माना गया है। जिन्होंने संबंधित व्यावसायिक विषयों को उत्तीर्ण किया है। 2% का लाभ उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने संबंधित व्यावसायिक विषय उत्तीर्ण किया है और जो ''श्रेष्ठ चार(बेस्ड फोर) में शामिल है। • 1% का अतिरिक्त लाभ दिया जाता है यदि आवेदक ने एक से अधिक संबंधित व्यावसायिक विषय का अध्ययन किया है जो ''श्रेष्ठ चार(बेस्ड फोर) में शामिल है।

2.7 वाणिज्य एवं व्यवसाय अध्ययन संकाय द्वारा प्रस्तुत बी.कॉम.(ऑनर्स)/ बी.कॉम पाठ्यक्रमों में मेरिट-आधारित प्रवेश

पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और मेरिट की गणना हेतु विषयों का संयोजन
बी.कॉम. (**ऑनर्स**)	• अर्हक परीक्षा में कुल 45% अंक। • आवेदक को बी.कॉम(ऑनर्स) में प्रवेश के अर्हक परीक्षा में परिशिष्ट VIII में निर्दिष्ट गणित/व्यावसायिक गणित/समकक्ष पेपर का अध्ययन किया और उत्तीर्ण होना चाहिए। • अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित के अनुसार एक भाषा और तीन सर्वश्रेष्ठ विषय शामिल हैं : o अंग्रेजी/हिंदी में कुल 45% अथवा इससे अधिक तथा निम्नलिखित विषयों में से सर्वश्रेष्ठ तीन विषयों का संयोजन : गणित, लेखा, अर्थशास्त्र और वोकेशनल स्टडीज /वाणिज्य। o सर्वश्रेष्ठ तीन के संयोजन वाली उपर्युक्त लिखित सूची 'बी' से अतिरिक्त किसी अन्य विषय को शामिल करने पर कुल योग से प्रति विषय की 1% की कटौती होगी। • सर्वश्रेष्ठ तीन के संयोजन वाली उपर्युक्त लिखित सूची 'ए' एवं सूची 'बी' से अतिरिक्त किसी अन्य को शामिल करने पर श्रेष्ठ चार के कुल योग से प्रति विषय 2.5% की कटौती होगी।

बी.कॉम.	• अर्हक परीक्षा में कुल 45% अंक। • अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित के अनुसार एक भाषा और तीन सर्वश्रेष्ठ विषय शामिल हैं : ○ अंग्रेजी/हिंदी में कुल 45% अथवा इससे अधिक तथा निम्नलिखित विषयों में से सर्वश्रेष्ठ तीन विषयों का संयोजन : गणित, लेखा, अर्थशास्त्र और वोकेशनल स्टडीज /वाणिज्य। ○ सर्वश्रेष्ठ तीन के संयोजन वाली उपर्युक्त लिखित सूची 'बी' से अतिरिक्त किसी अन्य विषय को शामिल करने पर कुल योग से प्रति विषय की 1% की कटौती होगी। • सर्वश्रेष्ठ तीन के संयोजन वाली उपर्युक्त लिखित सूची 'ए' एवं सूची 'बी' से अतिरिक्त किसी अन्य को शामिल करने पर श्रेष्ठ चार के कुल योग से प्रति विषय 2.5% की कटौती होगी।

2.8 गणित विज्ञान संकाय द्वारा प्रस्तुत बी.एससी.(ऑनर्स) पाठ्यक्रमों में मेरिट आधारित प्रवेश

पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और मेरिट की गणना हेतु विषयों का संयोजन
बी.एससी. (ऑनर्स) कंप्यूटर विज्ञान	मेरिट की गणना गणित के "श्रेष्ठ चार", एक भाषा और शैक्षणिक/वैकल्पिक विषयों के रूप में सूचीबद्ध दो अन्य विषयों के आधार पर की जाएगी, जैसा कि नीचे दी गई सूची 'ए' और सूची 'बी' में निर्दिष्टि है : • गणित में अपेक्षित 60% अथवा इससे अधिक अंक। • गणित, एक भाषा और भौतिकी, रसायन विज्ञान और कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना विज्ञान प्रैक्टिसेस के किसी दो सहित कुल चार विषयों में 60% अथवा इससे अधिक अंक। • अन्य शाखाओं(स्ट्रीम)(कक्षा XII में गणित सहित) के आवेदकों को अपेक्षित चार विषयों में कुल 2% का नुकसान होगा।
बी.एससी. (ऑनर्स) गणित/सांख्यिकी	• गणित में अपेक्षित 50% अंक और अर्हक परीक्षा में कुल 45%। • उपर्युक्त सूची 'ए' और सूची 'बी' में निर्दिष्ट एक भाषा, गणित और दो सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक/वैकल्पिक विषयों के आधार पर मेरिट निर्धारित की जाएगी।
बी.एससी. गणितीय विज्ञान	• उपर्युक्त सूची 'ए' और सूची 'बी' में निर्दिष्ट एक भाषा, गणित और दो सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक/वैकल्पिक विषयों के आधार पर मेरिट निर्धारित की जाएगी।

2.9 विज्ञान एवं अंतर-विषयक(इंटरडिस्प्लिनरी) तथा अनुप्रयुक्त विज्ञान संकाय के माध्यम से प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में मेरिट-आधारित प्रवेश

पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और मेरिट की गणना हेतु विषयों का संयोजन
बी.एससी. (ऑनर्स) मानव विज्ञान	• भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान (प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक में समेकित) के कुल अंकों का 55% अथवा इससे अधिक अंक और एक अनिवार्य भाषा अर्थात् अंग्रेजी में 50% अथवा इससे अधिक अंक। • मेरिट की गणना भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में कुल प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।
बी.एससी. (ऑनर्स) जैविक विज्ञान/ वनस्पति-विज्ञान / सूक्ष्म जीव-विज्ञान /प्राणि-विज्ञान	• भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/जैव-रसायन विज्ञान (प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक में समेकित) के कुल अंकों का 55% अथवा इससे अधिक अंक और एक अनिवार्य भाषा अर्थात् अंग्रेजी में 50% अथवा इससे अधिक अंक। • मेरिट की गणना भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/ जैव-रसायन विज्ञान में कुल प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।

बी.एससी. (ऑनर्स) रसायन विज्ञान/ भौतिक विज्ञान / पॉलीमर विज्ञान	• भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित के कुल अंकों का 55% अथवा इससे अधिक अंक और एक अनिवार्य भाषा में 50% अथवा इससे अधिक अंक। • मेरिट की गणना भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित में कुल प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।
बी.एससी. (ऑनर्स) इलेक्ट्रॉनिक्स / इंस्ट्रूमेंटेशन	• भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित के कुल अंकों का 55% अथवा इससे अधिक अंक और एक अनिवार्य भाषा में 50% अथवा इससे अधिक अंक। • मेरिट की गणना भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित में कुल प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।
बी.एससी.(ऑनर्स) भू-विज्ञान	• भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित/भू-विज्ञान/जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/जैव-रसायन विज्ञान/भूगोल के कुल अंकों का 55% अथवा इससे अधिक अंक और एक अनिवार्य भाषा में 50% अथवा इससे अधिक अंक। • प्रत्येक ऑनर्स पाठ्यक्रम के लिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित/भू-विज्ञान/जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/जैव-रसायन विज्ञान/भूगोल में कुल प्रतिशत के आधार पर मेरिट की गणना की जाएगी।
बी.एससी.(ऑनर्स) खाद्य प्रौद्योगिकी	• भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित/जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/जैव-रसायन विज्ञान(प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक में समेकित) के कुल अंकों का 55% अथवा इससे अधिक अंक और एक अनिवार्य अंग्रेजी भाषा में 50% अथवा इससे अधिक अंक। • मेरिट की गणना भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित/जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/जैव-रसायन विज्ञान में कुल प्रतिशत के आधार पर की जाएगी। • अर्हक परीक्षा में गणित एवं जीवविज्ञान दोनों का अध्ययन करने वाले आवेदकों को 3% की छूट दी जाएगी।
बी.एससी.(ऑनर्स) जैव-रसायन विज्ञान	• रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/जैव-रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान/गणित(प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक में समेकित) के कुल अंकों का 55% अथवा इससे अधिक अंक और एक अनिवार्य भाषा(अर्थात् अंग्रेजी) में उत्तीर्ण(पासिंग)। **अथवा** रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/जैव-रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान/गणित(प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक में समेकित) के कुल अंकों का 55% अथवा इससे अधिक अंक और एक अनिवार्य भाषा में 50% अंक। • मेरिट की गणना रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/जैव-रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान/गणित में कुल प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।
बी.एससी.(ऑनर्स) जैव-चिकित्सा विज्ञान	• एक अनिवार्य भाषा अंग्रेजी में 50% अथवा इससे अधिक अंक के साथ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/जैव-रसायन विज्ञान के कुल अंकों का 55% अथवा इससे अधिक अंक। • मेरिट की गणना भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/ जैव-रसायन विज्ञान में कुल प्रतिशत के आधार पर की जाएगी। • भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/जैव-रसायन विज्ञान वाले आवेदक जिन्होंने अर्हक परीक्षा में गणित में 60% अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/जैव-रसायन विज्ञान के ऊपर 3% लाभ दिया जाएगा।

बी.एससी.(ऑनर्स) गृह विज्ञान	• भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/जैव-रसायन विज्ञान के कोई तीन और सूची 'बी' से अन्य विषयों के कुल में 50% अथवा इससे अधिक अंक। • भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/जैव-रसायन विज्ञान के कम से कम एक विषय सहित कुल प्रतिशत के आधार पर मेरिट की गणना की जाएगी।

बी.एससी.(पास) गृह विज्ञान	• अनिवार्य भाषा अर्थात् अंग्रेजी और सूची 'बी' से किसी भी तीन शैक्षणिक वैकल्पिक विषयों के कुल पर मेरिट की गणना की जाए। • आवेदकों के लिए अंग्रेजी में उत्तीर्ण(पास) अंक अथवा इससे अधिक होना आवश्यक है।
बी.एससी. (प्रोग्राम) अनुप्रयुक्त जीवन विज्ञान/जीवन विज्ञान	• भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/जैव-रसायन विज्ञान (प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक में समेकित) के कुल अंकों का 45% अथवा इससे अधिक अंक और एक अनिवार्य भाषा(अर्थात् अंग्रेजी) में उत्तीर्ण(पासिंग)। **अथवा** भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/जैव-रसायन विज्ञान के कुल अंकों का 45% अथवा इससे अधिक अंक और एक अनिवार्य भाषा में 40% अंक। • मेरिट की गणना भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/ जैव-रसायन विज्ञान में कुल प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।
बी.एससी. (प्रोग्राम) रसायन विज्ञान और जैव-रसायन विज्ञान में विश्लेषणात्मक विधियों सहित अनुप्रयुक्त शारीरिक विज्ञान/ औद्योगिक रसायन विज्ञान सहित अनुप्रयुक्त शारीरिक विज्ञान	• भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान/कम्प्यूटर विज्ञान, गणित (प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक में समेकित) के कुल अंकों का 45% अथवा इससे अधिक अंक और एक अनिवार्य भाषा(अर्थात् अंग्रेजी) में उत्तीर्ण(पासिंग)। **अथवा** • भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान/कम्प्यूटर विज्ञान, गणित (प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक में समेकित) के कुल अंकों का 45% अथवा इससे अधिक अंक और एक अनिवार्य भाषा में 40% अंक। • मेरिट की गणना भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान/कम्प्यूटर विज्ञान, गणित में कुल प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।
बी.एससी. (प्रोग्राम) रसायन विज्ञान सहित शारीरिक विज्ञान/ इलेक्ट्रॉनिक्स सहित शारीरिक विज्ञान	
बी.एससी. (प्रोग्राम) कंप्यूटर विज्ञान सहित शारीरिक विज्ञान	

2.10 मेरिट-आधारित स्नातक प्रवेश प्रक्रिया

चरण(स्टेप) I : यू.जी. पोर्टल पर पंजीकरण

आवेदक अपने व्यक्तिगत उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड बनाने के लिए विश्वविद्यालय यू.जी पोर्टल का उपयोग करता है, अपने पंजीकरण प्रपत्र(फॉर्म) को भरता है, अपनी रुचि के पाठ्यक्रम चुनता है, और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करता है (पंजीकरण कैसे करें, इसके बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश

विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नियत समय पर अपलोड किया जाएगा)। **आवदेकों को अपना फॉर्म भरने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए।** एक बार फार्म जमा करने के बाद आवेदकों को फार्म को संपादित करने और सही करने की अनुमति नहीं होगी।

15

1. स्नातक-पूर्व(यू.जी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन पंजीकरण करना आवश्यक है।
2. किसी भी पहली बार उपयोगकर्ता को यू.जी प्रवेश पोर्टल का उपयोग करने के लिए एक वैध ई-मेल आई.डी के साथ पोर्टल पर पंजीकरण की आवश्यकता है।
3. जिन आवेदकों के पास वैध ई-मेल आई.डी नहीं है, उन्हें आगे बढ़ने से पहले एक ई-मेल आई-डी बनानी होगी।
4. आवदेक को इस ई-मेल आई.डी को संभालकर रखना होगा क्योंकि यह पोर्टल पर उसके अकाउंट के साथ-साथ प्रवेश प्रक्रिया के दौरान भविष्य के सभी पत्राचार(कोरेस्पॉन्डेंस) तक पहुंचने के लिए आवश्यक होगा।
5. डिफ़ॉल्ट सेंटिग्स सभी आवदेकों को सभी पाठ्यक्रमों(बिना किसी जुर्माने के) के लिए पंजीकरण करने की अनुमति देती है।
6. आवदेक सभी महाविद्यालयों और पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते वे महाविद्यालयों के कट-ऑफ और चयनित पाठ्यक्रमों के लिए पात्रता को पूरा करते हों।
7. यदि आवेदकों के परीक्षा परिणाम लंबित हैं अथवा प्रश्नपत्रों(पेपर्स) में पुन: शामिल हुए हैं, तो वे विश्वविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि तक अपने डैशबोर्ड में लॉग इन करके इन अंकों को अपडेट कर सकेंगे।
8. दस्तावेजों को अपलोड करने में अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। आवेदकों को निम्नलिखित प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रतियों की आवश्यकता होगी, जिसके आधार पर वे
9. प्रवेश का दावा करना चाहते हैं
    (ए) कक्षा X का प्रमाणपत्र
    (बी) कक्षा XII का प्रमाणपत्र
    (सी) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रासंगिक आरक्षण प्रमाणपत्र
    (डी) खेल/ई.सी.ए श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए आवश्यक प्रमाणपत्रों की स्व-अनुप्रमाणित (सेल्फ अटेस्टेड) प्रतियां
    (ई) संगीत के प्रति प्रवेश हेतु अपलोड की गई क्लिप का लिंक
    (एफ) फोटो पहचान पत्र(आधार कोर्ड, ड्राइविंग लासेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान कार्ड, पासपोर्ट अथवा स्कूल पहचान पत्र)
10. आवेदक प्रमाणपत्र की प्रतियों सहित सभी सूचनाओं को अपलोड करने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। वे अपलोड की गई फ़ाइलों की गुणवत्ता और प्रमाणिकता के लिए भी जिम्मेदार होंगे। आवेदक अपने फॉर्म और अपलोड किए गए दस्तावेजों का पूर्वावलोकन(प्रिविव्यु) देख सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान आवदेकों को इस आधार पर अस्वीकृति से बचने के लिए पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

चरण(स्टेप) II : पंजीकरण शुल्क(फीस) का भुगतान

आवेदन पत्र को केवल तभी जमा माना जाएगा जब आवेदक ने संबंधित पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया हो। यह शुल्क आवेदक के डैशबोर्ड के माध्यम से दिए गए लिंक के माध्यम से

भुगतान किया जाना चाहिए। पंजीकरण शुल्क के भुगतान हेतु जनित इस ऑनलाइन लिंक के अलावा आवेदकों के लिए कोई अन्य विधि(मैथेड) उपलब्ध नहीं है। जब आवेदक ने पंजीकरण शुल्क सफलतापूर्वक ऑनलाइन जमा किया है, तो उन्हें भुगतान की लेनदेन आई.डी, क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेटबैंकिंग विवरण और लेनदेन तिथि के रिकॉर्ड को भविष्य के संदर्भ के प्रमाण

के रूप में रखने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा, आवेदकों को किसी भी गड़बड़(ग्लिचेज) से बचने के लिए समय सीमा से पहले प्रक्रिया को अच्छी तरह से पूरा करने की सलाह दी जाती है।

चरण(स्टेप) III : पोर्टल को फिर से खोलना(रिओपनिंग)

आवेदक को विंडो उपलब्ध कराने के दौरान फॉर्म में अंक को अद्यतन करने और मामूली सुधार करने की अनुमति होगी। यह प्रक्रिया केवल एक बार होगी ।

चरण(स्टेप) IV : कट-ऑफ की घोषणा

विश्वविद्यालय न्यूनतम पांच कट-ऑफ घोषित करेगा। कुछ सीटें खाली रहने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा आगे कट-ऑफ की घोषणा की जा सकती है। यदि आवश्यक हो, तो आरक्षित वर्ग के प्रति रिक्त सीटों को भरने के लिए विश्वविद्यालय विशेष अभियान चला सकता है। पहले पांच कट-ऑफ के बाद बची रिक्त सीटों के मामले में, केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए एक विशेष कट-ऑफ होगी, जिन्होंने शुरूआती पांच कट-ऑफ में प्रवेश नहीं ले सके थे/नहीं लिया था।

विशेष कट-ऑफ

1. विशेष कट-ऑफ प्रवेश के लिए कट-ऑफ महाविद्यालय द्वारा घोषित अंतिम कट-ऑफ होगी। अर्थात्, यदि किसी महाविद्यालय ने किसी विशेष पाठ्यक्रम के लिए तीसरी कट-ऑफ घोषित की गई थी तथा उसके बाद कोई और कट-ऑफ घोषित नहीं की गई थी, तो विश्वविद्यालय द्वारा कट-ऑफ के 5वें दौर को पूरा करने बाद सीटें रिक्त हैं, महाविद्यालय के इस विशेष पाठ्यक्रम के लिए विशेष कट-ऑफ वह होगी जैसा कि तीसरी कट-ऑफ में घोषित की गई है।
2. महाविद्यालय 5वीं कट-ऑफ के बाद प्रत्येक पाठ्यक्रम में रिक्त रह गई सीटों की संख्या घोषित करेंगे।
3. **इस विशेष कट-ऑफ के दौरान किसी भी मूवमेंट की अनुमति नहीं होगी।**
4. आवेदक उपलब्ध पाठ्यक्रम(ए) तथा उपलब्ध महाविद्यालयों को अपनी प्राथमिकताएं देता है।
5. **केवल विशेष कट-ऑफ** के लिए पाठ्यक्रम तथा महाविद्यालयों का सूत्र(न्यूनतम ए + न्यूनतम बी) का उपयोग करके केंद्रीयकृत रूप आबंटन किया जाएगा। जहां ए किसी पाठ्यक्रम के लिए प्राथमिकता है और बी महाविद्यालय के लिए प्राथमिकता है, ए पर बी निर्भर होगा।

चरण(स्टेप) V : पाठ्यक्रम और महाविद्यालय का चयन

nth कट-ऑफ सूची की घोषणा होने पर, आवेदकों को उन पाठ्यक्रम और महाविद्यालय को चुनने के लिए यू.जी प्रवेश पोर्टल पर अपने डैशबोर्ड में लॉग इन करना होगा, जो वे उन **महाविद्यालयों और पाठ्यक्रमों की सूची से प्रवेश का दावा करना चाहते हैं,** जिनके लिए वे पात्र हैं। **आवेदक को कट-ऑफ सूची के दौरान एक बार केवल एक पाठ्यक्रम और एक महाविद्यालय चुनने की अनुमति होती है। एक साथ कई प्रवेश की अनुमति नहीं है।**

i. कृपया ध्यान दें कि यू.जी प्रवेश पोर्टल पर आवेदक के महाविद्यालय और पाठ्यक्रम का चयन केवल उनके स्वयं के डैशबोर्ड के माध्यम से किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में इस बिंदु(प्वाइंट) के लिए महाविद्यालयों को प्रत्यक्ष रूप से आने की आवश्यकता नहीं है।
ii. आवेदक द्वारा पाठ्यक्रम और महाविद्यालय चुनने की प्रक्रिया को निर्धारित समय अंतराल के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
iii. कट-ऑफ के भीतर आवेदक को पाठ्यक्रम और महाविद्यालय के अपने विकल्प को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

चरण(स्टेप) VI : संबंधित महाविद्यालयों द्वारा दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन

महाविद्यालय पात्रता और आवश्यक कट-ऑफ पूरा करने हेतु आवदेक द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों को सत्यापित करेगा।

i. न्यूनतम योग्यता और अपेक्षित कट-ऑफ, इसमें गिरावट(डेक्लिन) को सत्यापित करने हेतु पाठ्यक्रम-प्रभारी।
ii. प्रवेश अथवा गिरावट(डेक्लिाइन) की जांच और अनुमोदन के लिए प्रवेश संयोजक(कन्वेनॅर)।
iii. (ii) में अनुमोदित मामलों के लिए प्रवेश को मंजूरी देने और संयोजक द्वारा अस्वीकार किए गए लोगों के लिए प्रवेश में गिरावट(डेक्लिन) की पुष्टि करने हेतु प्राचार्य।
iv. अपेक्षित दस्तावेजों की कमी के मामले में उम्मीदवार को ई-मेल/फोन पर संपर्क किया जाए ताकि उसे प्रदान किया जा सके। यदि उम्मीदवार कोई जवाब नहीं देता है, अथवा जहां दस्तावेज अपर्याप्त हैं, तो कारण का हवाला देते हुए प्रवेश अस्वीकार कर दिया जाएगा। **कोई भी आवदेन अनिर्णित नहीं छोड़ा जाएगा। इसे या तो मंजूर किया जाएगा अथवा अस्वीकार कर दिया जाएगा।**
v. आवेदक को उनके डैशबोर्ड पर आवेदन की स्थिति के बारे में बताया जाएगा।
vi. अनुमोदित लोगों को शुल्क का भुगतान करने और उनके प्रवेश की पुष्टि करने की आवश्यकता होती है। उन अस्वीकृत प्रवेश को शिकायत समिति के साथ किसी भी आपत्ति को उठाने के लिए एक लिंक प्रदान किये जाते हैं।

चरण(स्टेप) VII : प्रवेश की पुष्टि के लिए शुल्क(फीस) का भुगतान

एक बार महाविद्यालय के प्राचार्य ने उनके प्रवेश को मंजूरी दे दी, तो आवेदक को यू.जी. प्रवेश पोर्टल पर अपने डैशबोर्ड पर एक लिंक प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से उन्हेंमहाविद्यालय/पाठ्यक्रम की फीस जमा करनी होगी। **इस शुल्क का केवल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।**

i. आवेदक को सलाह दी जाती है कि वह महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश की मंजूरी के **24 घंटे के भीतर विलंब के बिना शुल्क(फीस)** का भुगतान करें और लेनदेन आई.डी, क्रेडिट

कार्ड/डेबिट कार्ड/नेटबैंकिंग विवरण तथा लेनदेन तिथि सहित **पावती पर्ची को भविष्य के संदर्भ हेतु प्रमाण के रूप में सहेजें**। फीस के सफल भुगतान पर आवेदक को उक्त महाविद्यालय में अंनतिम(प्रोविजनल) प्रवेश दिया जाता है।

ii. यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आवेदक आबंटित समय-सीमा के भीतर शुल्क का भुगतान करें, इसमें विफल रहने पर यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि आवेदक को उस महाविद्यालय में पाठ्यक्रम के अध्ययन में कोई दिलचस्पी नहीं है, और प्रवेश स्वत: ही निरस्त हो जाएगा।

18

iii. एक बार जब आवदेक ने प्रवेश प्राप्त कर लिया तो उसे एक ऑनलाइन *"मेरे द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी सही है। यदि मेरे द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है और/अथवा मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं है, तो मैं समझता हूं कि प्रवेश तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा और कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। मैं विश्वविद्यालय और महाविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी नियमों और विनियमों का पालन करूंगा"* की घोषणा करते हुए हस्ताक्षर करना होगा।

चरण(स्टेप) VIII : मूल दस्तावेजों का प्रत्यक्ष सत्यापन

अपलोड किए गए दस्तावेजों को संबंधित महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर सत्यापित किया जाएगा। **यदि इस स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा दी जानकारी गलत है और/अथवा प्रस्तुत दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं है, प्रवेश तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में कोई शुल्क(फीस) वापस नहीं किया जाएगा।**

बाद में कट-ऑफ में पाठ्यक्रम/महाविद्यालय बदलने की प्रक्रिया

यदि, बाद की सूचियों में, आवदेक स्वयं को किसी अन्य महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र पाते हैं, तो उन्हें पाठ्यक्रमक/महाविद्यालय/विभाग की पात्रता अपेक्षाओं की

19

सावधानीपूर्वक जांच करके अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए।

i. आवेदकों को यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है कि वे पाठ्यक्रम/महाविद्यालय हेतु अपेक्षाओं को पूरा करें। एक बार जब वे निश्चित हो जाते हैं कि वे पाठ्कय्रम/महाविद्यालय में प्रवेश निरस्त करना चाहते हैं, जो उन्होंने शुरू में पिछली सूची में प्रवेश लिया था, तो आवेदक को अपने डैशबोर्ड के माध्यम से अपना प्रवेश निरस्त करने के लिए यू.जी प्रवेश पोर्टल में लॉग इन करना होगा।

ii. एक निरस्त शुल्क लगाया जाएगा, और वे अब पात्रता और पाठ्यक्रम-विशिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करने के अधीन पाठ्यक्रम और महाविद्यालय का एक नया संयोजन चुन सकते हैं। एक बार फिर, आवेदक को चरण V-VIII को पूरा करना होगा।

iii. प्रति कट-ऑफ सूची में केवल एक निरस्तीकरण की अनुमति है। किसी अन्य मेरिट-आधारित महाविद्यालय/पाठ्यक्रम में पुन: प्रवेश हेतु निरस्तीकरण करना पहली कट-ऑफ सूची में संभव नहीं होगा। इस तरह के निरस्तीरण, जिसमें आवेदक किसी अन्य मेरिट-आधारित महाविद्यालय/पाठ्यक्रम विकल्प में पुन: प्रवेश प्राप्त करना चाहता है, तो केवल बाद की सूची में ही प्रयास कर सकता है। एक कट-ऑफ के भीतर आवेदक को पाठ्यक्रम और महाविद्यालय की अपनी पसंद को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निरस्तीकरण की कुल संख्या (n-1) तक सीमित रहेगी, जहां "n" कट-ऑफ सूचियों की कुल संख्या है।

iv. जब एक बार आवेदक ने अपना प्रवेश निरस्त कर दिया, तो उसे उस पाठ्यक्रम/महाविद्यालय में स्वत: प्रवेश नहीं दिया जा सकता है, और सीटों की उपलब्धता तथा आवेदक को पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा करने के अधीन उसे नये सिरे से प्रवेश प्रकिया से गुजरना होगा।

v. जब आवेदक बाद की कट-ऑफ सूची में अपने पिछले प्रवेश को निरस्त कर देता है, तो वापस की गई धनराशि डैशबार्ड के ''वॉलेट'' सेक्शन में दिखायी देगी। रु.1,000 का निरस्तीकरण शुल्क(केवल एक हजार रुपये) काटा जाएगा और यह ''वालेट'' में दिखायी गई धनवापसी(रिफंड) में दिखायी देगा।

vi. बाद में प्रवेश की मंजूरी के बाद डैशबोर्ड के माध्यम से प्रवेश शुल्क स्वत: समायोजित हो जाएगा और आवेदक को केवल शेष शुल्क का भुगतान करना होगा यदि पिछले महाविद्यालय में पहले से

vii. ही भुगतान किये गये शुल्क से अधिक है। यदि बाद वाले महाविद्यालय में शुल्क कम है, तो प्रवेश बंद(क्लोज) होने के बाद शेष धनराशि आवेदक के खाते में अथवा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के नियमानुसार आवेदक द्वारा घोषित खाते में वापस कर दी जाएगी।

मेरिट आधारित यू.जी. प्रवेश के लिए प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी बदलाव के मामले में, इसे दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा। सभी उम्मीदवारों को प्रक्रिया और शेड्यूल के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा, जो दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट(www.du.ac.in) पर अधिसूचित किया जाएगा।

3. स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा-आधारित प्रवेश

अपने कुछ महाविद्यालयों/विभागों के माध्यम से अध्ययन की विभिन्न शाखाओं(स्ट्रीम्स) में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा पर आधारित स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमो में प्रवेश (जिसमें प्रवेश परीक्षा और अर्हक कक्षा XII परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा) प्रस्तावित किये जाते हैं।

प्रवेश आधारित स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी(एन.टी.ए) को दिल्ली विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2020 का संचालन सौंपा गया है।

3.1 राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी(एन.टी.ए) के बारे में

मानव संसाधन विकास मंत्रालय(एम.एच.आर.डी), भारत सरकार(जी.ओ.आई) ने उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करने के लिए कुशल पारदर्शी और अंतरराष्ट्रीय मानकों की परीक्षा के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक स्वतंत्र स्वायत्त और आत्मनिर्भर प्रमुख संगठन के रूप में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी(एन.टी.ए) की स्थापना की है।

एन.टी.ए के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

i. प्रवेश के इच्छुक आवेदकों की योग्यता का आकलन करने हेतु कुशल, पारदर्शी और अंतरराष्ट्रीय मानक परीक्षा आयोजित करना।
ii. ज्ञान प्रणालियों में अंतराल की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाने हेतु शैक्षिक, पेशेवर और परीक्षा प्रणाली पर शोध करना।
iii. शिक्षा और व्यावसायिक विकास मानकों पर सूचना एवं अनुसंधान को प्रोड्यूस और प्रसार करना।

3.2 प्रवेश परीक्षाओं के सामान्य तरीके

1) चयन/प्रवेश लिखित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची के अनुसार किया जाएगा।
2) लिखित प्रवेश परीक्षा, दो घंटे की अवधि की होगी, जिसमें प्रत्येक विषय के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों के माध्यम से आवेदकों की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किये गये बहु-विकल्प प्रश्न(एम.सी.क्यू) (प्रत्येक चार विकल्प) शामिल होंगे।
3) कुल 100 प्रश्न होंगे । प्रत्येक सही उत्तर को (+)4 अंक, प्रत्येक गलत उत्तर को (-)1 अंक का स्कोर मिलेगा और उत्तर नहीं दिए प्रश्न को शून्य अंक दिये जायेंगे।
4) संगीत पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु, प्रवेश परीक्षा प्रायोगिक प्रकृति की होगी ।

3.2.1 प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी

- आवेदकों को प्रवेश परीक्षा केंद्रों और प्रवेश पत्र प्राप्त(जेनरेशन) करने के संबंध में सभी समाचार और अद्यतनों के लिए यू.जी प्रवेश पोर्टल को देखना चाहिए।
- सभी आवेदकों को प्रवेश पत्र उपलब्ध होने पर उसका एक प्रिंट आउट लेना होगा और प्रवेश परीक्षा केंद्र पर जाते समय इसे अपने साथ रखना होगा। प्रवेश पत्र की प्रिंट गुणवत्ता सत्यापन के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

- आवेदक सत्यापन के लिए फोटोयुक्त एक पहचान पत्र (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट अथवा महाविद्यालय पहचान पत्र, जिसकी एक प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड की गई है) भी अपने साथ रखेगा।
- यदि कोई आवेदक प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश के लिए एक से अधिक पाठ्यक्रमों का विकल्प चुनता है और प्रवेश परीक्षा के कार्यक्रम में तिथि/समय का टकराव होता है तो विश्वविद्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

3.3. प्रवेश परीक्षा के आधार पर पाठ्यक्रमों में प्रवेश

संकाय	पाठ्यक्रम	महाविद्यालय/विभाग
अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान और मानविकी संकाय	बी.ए. (ऑनर्स) व्यवसाय अर्थशास्त्र [बी.ए.(ऑनर्स) बी.ई]	आर्यभट्ट महाविद्यालय डॉ भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय व्यवसायिक अध्ययन महाविद्यालय गार्गी महाविद्यालय लक्ष्मीबाई महाविद्यालय महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय शिवाजी महाविद्यालय श्री गुरू गोविंद सिंह वाणिज्य महाविद्यालय श्री गुरु नानक देव खालसा महाविद्यालय श्री गुरु तेग बहादुर खालसा महाविद्यालय
	प्रबंधन अध्ययन स्नातक	आर्यभट्ट महाविद्यालय व्यवसायिक अध्ययन महाविद्यालय दीन दयाल उपाध्याय महाविद्यालय केशव महाविद्यालय राम लाल आनंद महाविद्यालय रामानुजन महाविद्यालय शहीद राजगुरु अनुप्रयुक्त विज्ञान महिला महाविद्यालय शहीद सुखदेव व्यापार अध्ययन महाविद्यालय श्री गुरू गोविंद सिंह वाणिज्य महाविद्यालय
	व्यवसाय प्रशासन स्नातक (वित्तीय निवेश विश्लेषण) [बी.बी.ए.(एफ.आई.ए)]	शहीद राजगुरु अनुप्रयुक्त विज्ञान महिला महाविद्यालय शहीद सुखदेव व्यवसाय अध्ययन महाविद्यालय
क्लस्टर नवाचार केंद्र	बी.टेक. (सूचना प्रौद्योगिकी और गणितीय नवाचार)[बी.टेक(आई.टी एवं एन.आई)]	क्लस्टर नवाचार केंद्र
	बी.ए. (ऑनर्स) मानविकी और सामाजिक विज्ञान [बी.ए.(एच)एच.एस.एस]	क्लस्टर नवाचार केंद्र
शिक्षण संकाय	प्राथमिक शिक्षण स्नातक [बी.ईएल.ईडी.]	अदिति महिला महाविद्यालय गार्गी महाविद्यालय गृह आर्थिकी संस्थान जीजस एंड मैरी महाविद्यालय

		लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय माता सुंदरी महिला महाविद्यालय मिरांडा हाउस श्याम प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय
अंतर-विषयक(इंटर-डिस्प्लिनरी) और अनुप्रयुक्त विज्ञान संकाय	शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और खेल में विज्ञान स्नातक [बी.एससी.(पी.ई,एच.ई एंड एस)]	इंदिरा गाँधी शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान संस्थान

अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान और मानविकी संकाय	मल्टीमीडिया और जन-संचार में बी.ए. (ऑनर्स) [बी.ए.(एच)एम.एम.सी]	इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय
सामाजिक विज्ञान संकाय	पत्रकारिता में पांच वर्षीय एकीकृत प्रोग्राम [एफ.वाई.आई.पी.जे)]	दिल्ली पत्रकारिता विद्यालय
संगीत और ललित कला संकाय*	हिंदुस्तानी संगीत- गायन /वाद्य(सितार/ सरोद/वायलिन/संतूर) में कला स्नातक (ऑनर्स)	संगीत और ललित कला संकाय
	कर्नाटक संगीत-गायन /वाद्य (वीणा / वायलिन) में कला स्नातक (ऑनर्स)	
	हिंदुस्तानी तालवाद्य संगीत (तबला /पखावज) में कला स्नातक(ऑनर्स)	

***टिप्पणी :** संगीत और ललित कला संकाय में सूचीबद्ध पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु एन.टी.ए द्वारा कोई कम्प्यूटरीकृत प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है; इस पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा विशेष रूप से इस संकाय (विश्वविद्यालय वेबसाइट पर इंगित की जाने वाली प्रक्रिया) द्वारा आयोजित की जाती है।

3.4. प्रवेश परीक्षा आधारित प्रवेश द्वारा यू.जी. पाठ्यक्रमों हेतु पात्रता एवं चयन प्रक्रिया

सूची 'ए' और सूची 'बी' पिछले सेक्शन की तरह ही हैं।

3.4.1 अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान और मानविकी संकाय द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और चयन का आधार
बी.ए(ऑनर्स) व्यवसाय अर्थशास्त्र/प्रबंधन अध्ययन में स्नातक (बी.एम.एस) / व्यवसाय प्रशासन(वित्तीय निवेश विश्लेषण) स्नातक**[**बी.बी.ए(एफ.आई.ए)**]**	• अंग्रेजी, गणित और सूची 'बी' में शामिल किसी भी दो अन्य विषयों सहित चार विषयों में अर्हक परीक्षा में कुल 60% अथवा उससे अधिक अंक। • चयन प्रवेश परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत के संयुक्त महत्व(वेटेड) औसत से प्राप्त रैंक और अर्हक प्रतिशत के आधार पर होगा, जिसमें महत्व(वेट्स) हैं : प्रवेश परीक्षा : 65%, अर्हक परीक्षा : 35%. प्रवेश परीक्षा में निम्नलिखित क्षेत्रों की जांच की जाएगी : मात्रात्मक क्षमता

	तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता सामान्य अंग्रेजी व्यवसाय और सामान्य जागरूकता

3.4.2 क्लस्टर नवाचार केंद्र द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और चयन का आधार
बी.टेक. (सूचना प्रौद्योगिकी और गणितीय नवाचार)	अर्हक परीक्षा में गणित सहित चार विषयों में कुल 60% अथवा उससे अधिक अंक। चयन/प्रवेश प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट सूची के अनुसार किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा 10+2 स्तरों पर गणित, तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमताओं पर आधारित है। .

बी.ए. ऑनर्स (मानविकी और सामाजिक विज्ञान)	अर्हक परीक्षा में चार विषयों में कुल 60% अथवा उससे अधिक अंक। चयन/प्रवेश प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट सूची के अनुसार किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा 10+2 के स्तर की सामान्य जागरूकता, सामयिक घटनाओं, सामान्य ज्ञान, संप्रेषण कौशल(अंग्रेजी/हिंदी), तार्किक विचार और विश्लेषणात्मक क्षमता पर आधारित होगी। प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पूछे जाएंगे।

3.4.3 शिक्षा संकाय द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और चयन का आधार
प्राथमिक शिक्षा स्नातक	अर्हक परीक्षा में कुल 50% अथवा उससे अधिक अंक, और साथ ही "श्रेष्ठ चार(बेस्ट फोर)" विषयों में से प्रत्येक में न्यूनतम 50% अंक । "श्रेष्ठ चार(बेस्ट फोर)" विषयों में शामिल हो सकते हैं : अंग्रेजी/हिंदी(मुख्य अथवा वैकल्पिक) से एक विषय और निम्नलिखित में से तीन अन्य विषय : कोई भी एक भाषा(10+2 के स्तर पर सी.बी.एस.ई अथवा उसके समकक्ष बोर्ड द्वारा प्रस्तावित); जीव विज्ञान; भौतिक विज्ञान; रसायन विज्ञान; गणित; अर्थशास्त्र; इतिहास राजनीति विज्ञान; भूगोल; नागरिक शास्त्र; दर्शन शास्त्र; मनोविज्ञान; व्यवसाय अध्ययन/लेखाविधि(अकाउंटेंसी)। **अथवा** अंग्रेजी/हिंदी(मुख्य अथवा वैकल्पिक) से एक विषय, किसी एक भाषा से दो अन्य विषय(सूची । में चुने गए से इतर, 10+2 के स्तर पर सी.बी.एस.ई अथवा उसके समकक्ष बोर्ड द्वारा प्रस्तावित); जीव विज्ञान; भौतिक विज्ञान; रसायन विज्ञान; गणित; अर्थशास्त्र; इतिहास राजनीति विज्ञान; भूगोल; नागरिक शास्त्र; दर्शन शास्त्र; मनोविज्ञान; व्यवसाय अध्ययन/लेखाविधि(अकाउंटेंसी) और सी.बी.एस.ई अथवा उसके समकक्ष बोर्ड द्वारा प्रस्तावित कक्षा 10+2 में कोई अन्य विषय(उपर्युक्त लिखित उनके अलावा) एक साथ "श्रेष्ठ चार(बेस्ट फोर)" विषयों हेतु पात्रता के उद्देश्य से दो से अधिक भाषाओं(चाहे मुख्य हो अथवा वैकल्पिक हो) पर विचार नहीं किया जाएगा। पात्रता के उद्देश्य से निम्नलिखित में से **दो से अधिक विषयों पर विचार नहीं** किया जाएगा : वाणिज्य, व्यवसाय अध्ययन, लेखाविधि(अकाउंटेंसी), इंफॉर्मेटिक्स प्रेक्टिस एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग।

	• इसके अलावा आवेदक ने कक्षा X तक अंग्रेजी/हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किया और उत्तीर्ण किया हो। • प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट सूची के अनुसार चयन/प्रवेश किया जाएगा। • प्रवेश परीक्षा में अंग्रेजी और हिंदी के 40 प्रश्न और गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान प्रत्येक के 20 प्रश्न होंगे। प्रवेश परीक्षा द्विभाषी(अंग्रेजी और हिंदी) होगी, जहां कही भी लागू हो। वर्णनात्मक प्रश्न नहीं होंगे। प्रश्न कक्षा X तक की अंग्रेजी, हिंदी, गणित और सामाजिक विज्ञान एन.सी.ई.आर.टी पाठ्य पुस्तकों से होंगे। • आवेदक अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट http://doe.du.ac.in को देख सकते हैं।

3.4.4 अंतर-विषयक(इंटर-डिस्प्लिनरी) और अनुप्रयुक्त विज्ञान द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और चयन का आधार
शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और खेल में विज्ञान स्नातक [बी.एससी.(पी.ई., एच.ई एंड एस.)]	• सूची 'ए' से एक भाषा और तीन श्रेष्ठ(बेस्ट) विषयों के साथ अर्हक परीक्षा में कुल 45% अंक अथवा उससे अधिक अंक। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए "श्रेष्ठ चार(बेस्ट फोर)" की गणना में सूची 'बी' विषयों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए शारीरिक शिक्षा को समान माना जाएगा। • प्रवेश परीक्षा और खेल प्रवीणता में प्राप्त किए गए प्रतिशत का संयुक्त महत्व(वेटेड) औसत के आधार पर आधारित चयन/प्रवेश होगा, जहां महत्व(वेटेजेज) हैं : प्रवेश परीक्षा 50% खेल प्रवीणता पुरस्कार(अवार्ड) 30% • आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करना आवश्यक होगा : ○ सरकारी चिकित्सालय/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से चिकित्सा प्रमाणपत्र(प्रमाणपत्र का प्रारूप विभाग की वेबसाइट : (www.dudpess.du.ac.in) से डाउनलोड किया जा सकता है)। ○ समर्थक प्रमाणपत्र के साथ उच्चतम खेल उपलब्धि प्रमाणपत्र। ○ स्व-घोषणा प्रमाणपत्र : "मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि मैं किसी विकृति/विकलांगता से पीड़ित नहीं हूं। मैं समझता हूं कि यदि संस्थान द्वारा अथवा किसी अन्य पंजीकृत मेडिकल डॉक्टर द्वारा आयोजित की गई चिकित्सा जांच झूठी पायी जाती है, जो मेरा प्रवेश निरस्त होने के लिए उत्तरायी है।" • स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा और खेल का पाठ्यविवरण (सी.बी.एस.ई की कक्षा XII 2018-19) और प्रवेश परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान http://www.dudpess.du.ac.in और http://www.igipess.du.ac.in पर उपलब्ध है। **टिप्पणी :** कोविड-19 महामारी द्वारा निर्मित स्थितियों के मद्देनजर, आवदेकों को सलाह दी जाती है कि प्रक्रिया में किसी भी बदलाव के बारे में अपडेट हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखते रहें।

3.4.5 इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और चयन का आधार
मल्टीमीडिया और जन-संचार में कला स्नातक (ऑनर्स)	• अर्हक परीक्षा में श्रेष्ठ चार (अंग्रेजी में 85% अथवा उससे अधिक अंक सहित) में कुल 75% अथवा उससे अधिक अंक। • मास मीडिया अध्ययन को श्रेष्ठ चार में से एक अकादमिक विषय के रूप में शामिल किया जा सकता है। • प्रवेश परीक्षा सामान्य जागरूकता, मीडिया जागरूकता, सामयिक घटनाओं, अंग्रेजी भाषा ज्ञान, व्याकरिणक और विश्लेषणात्मक कौशल पर आधारित होगी।

3.4.6 सामाजिक विज्ञान संकाय द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और चयन का आधार
पत्रकारिता में पांच वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम	• अर्हक परीक्षा में दिए गए सभी पांच विषयों के आधार पर निर्धारित कुल 50% अथवा उससे अधिक अंक। • प्रवेश परीक्षा सामान्य जागरूकता, मीडिया जागरूकता, सामयिक घटनाओं, अंग्रेजी ज्ञान, व्याकरिणक और विश्लेषणात्मक कौशल, तार्किक विचार(रीजनिंग) और बुनियादी गणितीय कौशल पर आधारित होगी। • अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के लिए अलग-अलग पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। • प्रवेश परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में आयोजित की जाएगी। प्रश्न पत्र एक ही रहेगा। मेरिट की श्रेणीवार और सभी श्रेणियों सहित एक संयुक्त सूची तैयार की जाएगी। • सत्यापन और प्रवेश के बाद विद्यार्थियों को मेरिट और विकल्प के अनुसार माध्यम आबंटित किया जाएगा।

3.4.7 संगीत और ललित कला संकाय द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और चयन का आधार
हिंदुस्तानी संगीत: गायन / वाद्य (सितार /सरोद /गिटार /वायलिन /संतूर) में बी.ए. (ऑनर्स);	• **अर्हक परीक्षा में कुल 45% अथवा उससे अधिक अंक** जिसमें सूची 'ए' और सूची 'बी' से संगीत के अतिरिक्त दो ऐच्छिक विषय शामिल हैं। • प्रवेश सख्ती से प्रायोगिक प्रवेश परीक्षा(शेड्यूल और अतिरिक्त जानकारी वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएगी) पर आधारित होगा। • बी.ए.(ऑनर्स) संगीत में प्रवेश हेतु "श्रेष्ठ चार(बेस्ट फोर)" की गणना में सूची 'बी' विषयों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए संगीत को समान माना जाएगा। • **अर्हक परीक्षा में जिन उम्मीदवारों ने एक विषय के रूप में संगीत का चयन नहीं किया है,** उनके लिए मान्यता प्राप्त संस्थान में कम से कम तीन वर्ष तक संगीत में शिक्षित होना अनिवार्य होगा
कर्नाटक संगीत- गायन/वाद्य (वीणा/ वायलिन) में बी.ए. (ऑनर्स);	**अथवा** एक प्रसिद्ध शिक्षक/गुरु से कम से कम तीन वर्ष तक संगीत सीखा हो। ऐसे आवेदकों को संस्था/शिक्षक/गुरु द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
हिंदुस्तानी संगीत : तालवाद्य संगीत (तबला/पखावज) में बी.ए. (ऑनर्स)	हिंदुस्तानी संगीत : तालवाद्य संगीत(तबला/पखावज) में बी.ए.(ऑनर्स) उपाधि में प्रवेश पात्रता नियमों के संबंध में मान्यता देने वाले संस्थानों की सूची निम्नलिखित है : क. भारतखंडे संगीत विद्यापीठ(मुख्य शाखाएं) ख. गंधर्व महाविद्यालय मंडल(मुख्य शाखाएं) ग. प्रयाग संगीत समिति(मुख्य शाखाएं) घ.. इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय(मुख्य शाखाएं) ड.. भारतीय विद्या भवन(मुख्य शाखाएं) च. भारतीय कला केंद्र, नई दिल्ली छ. संगीत भारती, नई दिल्ली ज. त्रिवेणी, नई दिल्ली झ. प्राचीन कला केंद्र, चंडीगढ़
	कर्नाटक संगीत- गायन/वाद्य (वीणा/ वायलिन) में बी.ए. (ऑनर्स) उपाधि में प्रवेश हेतु पात्रता नियमों के संबंध में मान्यता देने वाले संस्थानों की सूची निम्नलिखित है : क. संगीत अकादमी, चेन्नई, तमिलनाडु से डिप्लोमा प्रमाणपत्र ख. तकनीकी बोर्ड, आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा संगीत में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

	ग. संगीत में उच्च(हायर)/न्यून(लोअर) ग्रेड, कर्नाटक सरकार का प्रमाणपत्र घ. भारतीय सेवा संघ, पालघाट, केरल द्वारा संगीत में राग सम्पूर्ण सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम • उम्मीदवार यू-ट्यूब पर अपने सात मिनट के प्रदर्शन(परफॉरमेंस) का वीडियों अपलोड करेंगे और इसे असूचीबद्ध रूप में चिह्नित करेंगे। • अपलोड किए गए यू-ट्यूब वीडियो का लिंक उम्मीदवारों द्वारा डी.यू. प्रवेश पोर्टल पर प्रवेश आवेदन पत्र के साथ जमा किया जाएगा। • आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा के अलावा केवल एक वाद्ययंत्र के साथ अपने मूल, गैर-स्टूडियो, अनमिक्सड और अनएडिएटेड वीडियो को अपलोड करना होगा। यदि वीडियो रिकॉर्डिंग में छेडछाड़ अथवा धोखाधड़ी की प्रकृति पायी जाती है, तो प्रवेश किसी भी समय निरस्त कर दिया जाएगा। • संगीत सकाय की प्रवेश समिति ऑनलाइन साक्षात्कार आयोजित करने के लिए अपलोड किए गए वीडियो के मूल्यांकन के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगी।

	• ऑनलाइन साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग दिल्ली विश्वविद्यालय की आरक्षण नीति के मानदंडों का पालन करते हुए अंतिम वर्ष की प्रक्रिया के अनुसार होगी। • संगीत संकाय के यू.जी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों के अंतिम चयन के लिए प्रवेश समिति ऑनलाइन साक्षात्कार आयोजित करेगी। **टिप्पणी :** कोविड-19 महामारी द्वारा निर्मित स्थितियों के मद्देनजर, आवदेकों को सलाह दी जाती है कि प्रायोगिक प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया और/अथवा शेड्यूल, जैसा भी मामला हो, के बारे में अपडेट हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखते रहें।

3.5 प्रवेश परीक्षा आधारित यू.जी. प्रवेश प्रक्रिया

चरण(स्टेप) I : यू.जी. पोर्टल पर पंजीकरण

आवेदक अपने व्यक्तिगत उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड बनाने के लिए विश्वविद्यालय यू.जी पोर्टल का उपयोग करता है, अपने पंजीकरण प्रपत्र(फॉर्म) को भरता है, अपनी रुचि के पाठ्यक्रम चुनता है, और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करता है (पंजीकरण कैसे करें, इसके बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नियत समय पर अपलोड किया जाएगा)। **आवदेकों को अपना फॉर्म भरने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए।** एक बार फार्म जमा करने के बाद आवेदकों को फार्म को संपादित करने और सही करने की अनुमति नहीं होगी।

1. स्नातक-पूर्व(यू.जी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन पंजीकरण करना आवश्यक है।

2. किसी भी पहली बार उपयोगकर्ता को यू.जी प्रवेश पोर्टल का उपयोग करने के लिए एक वैध ई-मेल आई.डी के साथ पोर्टल पर पंजीकरण करने की आवश्यकता है।

3. जिन आवेदकों के पास वैध ई-मेल आई.डी नहीं है, उन्हें आगे बढ़ने से पहले एक ई-मेल आई-डी बनानी होगी।

4. आवेदक को इस ई-मेल आई.डी को संभालकर रखना होगा क्योंकि यह पोर्टल पर उसके अकाउंट के साथ-साथ प्रवेश प्रक्रिया के दौरान भविष्य के सभी पत्राचार(कोरेस्पॉन्डेंस) तक पहुंचने के लिए आवश्यक होगी।

5. आवेदक अपनी इच्छानुसार कई प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों हेतु पंजीकरण कर सकते हैं। प्रत्येक प्रवेश परीक्षा हेतु पंजीकरण शुल्क अलग-अलग लिया जाएगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करता है और आवेदित पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश परीक्षा की तिथि संयोगवश एक साथ पड़ जाती है तो दिल्ली विश्वविद्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। हालांकि, इन पाठ्यक्रमों हेतु परीक्षाओं को एक ही दिन होने के मामले में सक्षम अधिकारी उन आवेदकों की पहचान करने की पूरी कोशिश करेंगे जो उसी अथवा नजदीकी परीक्षा केद्रों को आबंटित करने के लिए पंजीकरण पोर्टल से कई पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन कर रहे हैं।

6. कई महाविद्यालयों में चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों के मामले में अथवा एक से अधिक पाठ्यक्रम को कवर करने वाली प्रवेश परीक्षाओं में आवेदकों को पाठ्यक्रम और/अथवा महाविद्यालय की वरीयता क्रम के बारे में बताना होता है।

(क) बी.एम.एस/बी.ए(ऑनर्स) बी.ई/बी.बी.ए(एफ.आई.ए) के लिए आवदेकों को महाविद्यालय-पाठ्यक्रम विकल्प भरने होंगे। महिला आवेदकों के लिए 21 और पुरुष आवेदकों के लिए 17 विकल्प हैं। आवेदक को अपने सबसे पसंदीदा महाविद्यालय-पाठ्यक्रम के लिए "1", अगले सबसे पसंदीदा के लिए "2" और इसी तरह आगे चिह्नित करना चाहिए। **जिस महाविद्यालय-पाठ्यक्रम के लिए कोई आवेदक प्रवेश लेना नहीं चाहता है, उसे "वरीयता नहीं(No Preference)" के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए। जहां "वरीयता नहीं(No Preference)" का चयन किया जाता है, उस महाविद्यालय-पाठ्यक्रम आवेदक को नहीं दिया जाएगा।** यदि महाविद्यालय-पाठ्यक्रम को वरीयता क्रम के साथ चिह्नित किया जाता है, तो उसे आवदेक को आबंटित किया जा सकता है, और आवेदक को महाविद्यालय और पाठ्यक्रम में किसी भी भविष्य के बदलाव हेतु पात्र होने के लिए उस महाविद्यालय-पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना होगा।

(ख) बी.ईआई.ईडी के लिए आवेदकों को सभी आठ महाविद्यालय विकल्पों को भरना होगा। पाठ्यक्रम केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध है। आवेदक को अपने सबसे पसंदीदा महाविद्यालय-पाठ्यक्रम के लिए "1", अगले सबसे पसंदीदा के लिए "2" और इसी तरह आगे चिह्नित करना चाहिए। **जिस महाविद्यालय के लिए कोई आवेदक प्रवेश लेना नहीं चाहता है, उसे "वरीयता नहीं(No Preference)" के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए। जहां "वरीयता नहीं(No Preference)" का चयन किया जाता है, उस महाविद्यालय को आवेदक को नहीं दिया जाएगा।** यदि महाविद्यालय-पाठ्यक्रम को वरीयता क्रम के साथ चिह्नित किया जाता है, तो उसे आवदेक को आबंटित किया जा सकता है, और आवेदक को महाविद्यालय में किसी भी भविष्य के बदलाव हेतु पात्र होने के लिए उस महाविद्यालय में प्रवेश लेना होगा। आवेदक को सलाह दी जाती है कि अपने वरीयता क्रम को अंतिम रूप देने से पहले प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत उदार(लिबरल) विकल्पों की पसंद(विभाग की वेबसाइट http://doe.du.ac.in को देखें) की जांच करें।

7. किसी भी ऐसे आवेदक को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसका नाम आबंटन सूची में दिखायी दिया है, लेकिन वह पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है। प्रवेश परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

8. यदि आवेदकों के परीक्षा परिणाम लंबित हैं अथवा प्रश्नपत्रों(पेपर्स) में पुन: शामिल हुए हैं, तो प्रोग्राम में प्रवेश जारी रहने तक अपने डैशबोर्ड में लॉग इन करके इन अंकों(मार्क्स) को अपडेट कर सकेंगे।

9. दस्तावेजों को अपलोड करने में अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। आवेदकों को निम्नलिखित प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रतियों की आवश्यकता होगी, जिसके आधार पर वे प्रवेश का दावा करना चाहते हैं-

    (ए) कक्षा X का प्रमाणपत्र

    (बी) कक्षा XII का प्रमाणपत्र

    (सी) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रासंगिक आरक्षण प्रमाणपत्र

    (डी) संगीत के प्रति प्रवेश के लिए अपलोड की गई क्लिप का लिंक

    (ई) फोटो पहचान पत्र(आधार कोर्ड, ड्राइविंग लासेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान कार्ड, पासपोर्ट अथवा स्कूल पहलचान पत्र)

10. आवेदक प्रमाणपत्र की प्रतियों सहित सभी सूचनाओं को अपलोड करने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। वे अपलोड की गई फ़ाइलों की गुणवत्ता और प्रमाणिकता के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

आवेदक अपने फॉर्म और अपलोड किए गए दस्तावेजों का पूर्वावलोकन(प्रिविव्यु) देख सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान आवदेकों को इस आधार पर अस्वीकृति से बचने के लिए पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

चरण(स्टेप) II : पंजीकरण शुल्क(फीस) का भुगतान

आवेदन पत्र को केवल तभी जमा माना जाएगा जब आवेदक ने संबंधित पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया हो। यह शुल्क केवल आवेदक के डैशबोर्ड के माध्यम से दिए गए लिंक के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए। पंजीकरण शुल्क के भुगतान हेतु जनित इस ऑनलाइन लिंक के अलावा आवेदकों के लिए कोई अन्य विधि(मैथेड) उपलब्ध नहीं है। जब आवेदक ने पंजीकरण शुल्क सफलतापूर्वक ऑनलाइन जमा किया है, तो उन्हें भुगतान की लेनदेन आई.डी, क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेटबैंकिंग विवरण और लेनदेन तिथि के रिकॉर्ड को भविष्य के संदर्भ के प्रमाण के रूप में रखने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा, आवेदकों को किसी भी गड़बड़(ग्लिचेज) से बचने के लिए समय सीमा से पहले प्रक्रिया को अच्छी तरह से पूरा करने की सलाह दी जाती है। प्रत्येक प्रवेश परीक्षा-आधारित पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण शुल्क अलग से लिया जाएगा। उदाहरणस्वरूप, यदि कोई यू.आर. श्रेणी के तहत एक आवेदक बी.एम.एस/बी.ए(एच)बी.ई/ बी.बी.ए(एफ.आई.ए) और एफ.वाई.आई.पी.जे का चयन करता है तो उसे रु.750/- + रु.750/-= रु.1,500/- का भुगतान करना होगा।

चरण(स्टेप) III : प्रवेश-परीक्षा(लिखित/प्रायोगिक/ट्रायल्स)

आवेदक को प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण करना होगा, और इसके लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अधिसूचना के अनुसार उपस्थित होना होगा।

i. बी.ए.(एच)बी.ई/बी.एम.एस/बी.बी.ए(एफ.आई.ए), बी.टेक(आई.टी एवं एम.आई), बी.ए.(एच. एस.एस), बी.ईएल.ईडी., बी.एससी.(पी.ई, एच.ई एवं एस), बी.ए.(एच) एम.एम.सी और एफ.वाई.आई.पी.जे के लिए आवेदकों को पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विचार किए जाने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम पर लागू लिखित प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित होना आवश्यक है। परीक्षा बहु-विकल्प प्रकार की होगी। एन.टी.ए द्वारा लिखित प्रवेश-परीक्षा आयोजित की जाएगी।

ii. बी.ए(ऑनर्स) संगीत के लिए आवदेकों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विचार किए जाने हेतु एक प्रायोगिक प्रवेश परीक्षा हेतु उपस्थित होना आवश्यक है। साधन(मोडालिटीज)

दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अधिसूचित किए जाएंगे। हालांकि, उन्हें पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा।

iii. लिखित परीक्षा सहित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विचार करने के लिए बी.एससी.(पी.ई. एच.ई ए एंड एस) के आवदेकों को भी खेल प्रवीणता का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। साधन(मोडालिटीज) दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अधिसूचित किए जाएंगे। प्रवेश परीक्षा के तौर-तरीके एन.टी.ए द्वारा दिए जाएंगे।

प्रवेश परीक्षा के तौर-तरीके(मोडालिटीज) एन.टी.ए द्वारा बताए जाएंगे।

चरण(स्टेप) IV : परीक्षा परिणाम/मेरिट सूची की घोषणा

प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए आवेदकों की एक रैंकिंग तैयार की जाएगी जो प्रवेश प्रक्रिया का मार्गदर्शन करेंगे और प्रवेश पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाएंगे। यह रैंकिंग निम्नलिखित पर आधारित होगी :

i. बी.टेक(आई.टी एवं एम.आई), बी.ए.(एच. एंड एस.एस), बी.ईएल.ईडी., बी.ए.(एच) एम.एम.सी और एफ.वाई.आई.पी.जे पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक।

ii. बी.ए(एच) बी.ई, बी.एम.एस, बी.बी.ए(एफ.आई.ए), पाठ्यक्रमों के लिए क्रमश: 65 तथा 35 की वेटेज देते हुए प्रवेश परीक्षा और कक्षा XII (पात्रता के अनुसार) में प्राप्त अंकों का भारित माध्य(वेटेड मीन)।

iii. बी.एससी(पी.ई, एच.ई एवं एस) पाठ्यक्रम के लिए लिखित परीक्षा और खेल प्रवीणता में प्राप्त अंकों का माध्य(मीन)।

iv. बी.ए(ऑनर्स) संगीत पाठ्यक्रमों के लिए प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंक।

फाइनल रैंकिंग में कोई भी रैंक दोहरायी नहीं जाएगी। रैंक के लिए टाई के मामले में, निम्नलिखित टाई-ब्रेकिंग नियम नीचे दिए गए क्रम में लागू किया जाएगा :

i. अर्हक परीक्षा में उच्च प्रतिशत अंकों(एक भाषा सहित श्रेष्ठ चार विषयों का कुल) वाले आवेदक के आबंटन/प्रवेश हेतु पहले विचार किया जाएगा।

ii. उच्च प्रवेश परीक्षा वाले आवेदक के आबंटन/प्रवेश के लिए पहले विचार किया जाएगा।

iii. अर्हक परीक्षा में उच्च प्रतिशत अंकों(एक भाषा सहित श्रेष्ठ पांच विषयों का कुल) वाले आवेदक के आबंटन/प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा।

iv. पहले की(अरलियर) जन्मतिथि(कक्षा X प्रमाणपत्र के अनुसार) वाले आवेदक के आबंटन/प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा।

चरण(स्टेप) V : पाठ्यक्रम/महाविद्यालय के विकल्प में परिवर्तन के लिए पोर्टल को फिर से खोलना।

प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक दिन बाद पाठ्यक्रम-महाविद्यालय की वरीयताओं में बदलाव हेतु पोर्टल खुला रहेगा। आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे वरीयता क्रम को अंतिम रूप देने से पहले पाठ्यक्रम हेतु महाविद्यालय की लोकेशन और महाविद्यालय शुल्क की जांच करें। इसके बाद पाठ्यक्रम-महाविद्यालय के परिवर्तन हेतु किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

चरण(स्टेप) VI : पाठ्यक्रम और/अथवा महाविद्यालय का आबंटन

i. सभी प्रवेश आधारित पाठ्यक्रमों के लिए सीटों का आबंटन केंद्रीय रूप से किया जाएगा और उसे प्रवेश पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। केवल पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले आवेदकों के प्रवेश हेतु विचार किया जाएगा।

ii. जिन आवदेकों को एक पाठ्यक्रम और एक महाविद्यालय/संस्थान आबंटित किया गया उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय नीति के अनुसार समय-समय पर प्रवेश पोर्टल पर अपने डैशबोर्ड से महाविद्यालय(और पाठ्यक्रम) का चयन और पुष्टि करके प्रवेश में अपनी रुचि की पुष्टि करना आवश्यक है।

iii. बी.ए.(एच)बी.ई/बी.एम.एस/बी.बी.ए(एफ.आई.ए) तथा बी.ईएल.ईडी पाठ्यक्रम के मामले में प्रत्येक प्रवेश श्रेणी में प्रत्येक महाविद्यालय(और पाठ्यक्रम) में उपलब्ध सीटों को आवेदकों को उनकी रैंक के अनुसार और उपलब्धता के अनुसार उनकी वरीयता के अनुसार आबंटित किया जाएगा, जब तक कि विशेष महाविद्यालय(और पाठ्यक्रम) में सभी सीटें भर नहीं जाती हैं। एक आवदेक को उनके वरीयता क्रम में एक सीट आबंटित की जाती है, जो एक ही प्रवेश श्रेणी के भीतर अपने वरीयता क्रम में किसी भी लोअर सीट में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

चरण(स्टेप)VII: संबंधित महाविद्यालय/केंद्रों/विभागों द्वारा दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन

महाविद्यालय/केंद्र/विभाग पात्रता के लिए आवेदक द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों को सत्यापित करेंगे।

i. प्राचार्य/निदेशक/विभागाध्यक्ष या तो प्रवेश को स्वीकार कर सकते हैं अथवा अस्वीकार कर सकते हैं।

ii. आवश्यक दस्तावेजों की कमी के मामले में, उम्मीदवार को ई-मेल/फोन पर संपर्क किया जाए ताकि उसे प्रदान किया जा सके। यदि उम्मीदवार कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, अथवा जहां दस्तावेज अपर्याप्त हैं, तो कारण बताते हुए प्रवेश को अस्वीकार कर दिया जाएगा। **कोई भी आवेदन अनिर्णित नहीं छोड़ा जाएगा। इसे या तो मंजूर किया जाएगा अथवा अस्वीकार कर दिया जाएगा।**

iii. आवेदक को आवदेन की स्थिति के बारे में उनके डैशबोर्ड पर बताया जाएगा।

iv. अनुमादित लोगों को शुल्क का भुगतान करने और उनके प्रवेश की पुष्टि प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। उन अस्वीकृत प्रवेश को शिकायत समिति के साथ किसी भी आपत्ति को उठाने के लिए एक लिंक प्रदान किया जाता है।

चरण(स्टेप) VIII : प्रवेश की पुष्टि के लिए शुल्क(फीस) का भुगतान

एक बार जब प्राचार्य/निदेशक/विभागाध्यक्ष ने उनके प्रवेश को मंजूरी दे दी, तो आवेदक को यू.जी. प्रवेश पोर्टल पर अपने डैशबोर्ड पर एक लिंक प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से उन्हें महाविद्यालय/पाठ्यक्रम की फीस जमा करनी होगी। **इस शुल्क का केवल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।**

i. आवेदक को सलाह दी जाती है कि वह प्राचार्य/निदेशक/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रवेश की मंजूरी के **24 घंटे के भीतर विलंब के बिना शुल्क(फीस)** का भुगतान करें और लेनदेन आई.डी, क्रेडिट

कार्ड/डेबिट कार्ड/नेटबैंकिंग विवरण तथा लेनदेन तिथि सहित **पावती पर्ची को भविष्य के संदर्भ हेतु प्रमाण के रूप में सहेजें**। फीस के सफल भुगतान पर आवेदक को उक्त महाविद्यालय में अंनतिम(प्रोविजनल) प्रवेश दिया जाता है।

ii. यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आवेदक आबंटित समय-सीमा के भीतर शुल्क का भुगतान करें, इसमें विफल रहने पर यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि आवेदक को उस महाविद्यालय में पाठ्यक्रम के अध्ययन में कोई दिलचस्पी नहीं है, और प्रवेश स्वत: ही निरस्त हो जाएगा।

iii. एक बार जब आवदेक ने प्रवेश प्राप्त कर लिया तो उसे एक ऑनलाइन *"मेरे द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी सही है। यदि मेरे द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है और/अथवा मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं है, तो मैं समझता हूं कि प्रवेश*

तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा और कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। मैं विश्वविद्यालय और महाविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी नियमों और विनियमों का पालन करूंगा" की घोषणा करते हुए हस्ताक्षर करना होगा।

चरण(स्टेप) IX : दस्तावेजों का प्रत्यक्ष सत्यापन

अपलोड किए गए दस्तावेजों को संबंधित महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर सत्यापित किया जाएगा। **यदि इस स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा दी जानकारी गलत है और प्रस्तुत दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं है, प्रवेश तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में कोई शुल्क(फीस) वापस नहीं किया जाएगा।**

बाद में मेरिट सूची में पाठ्यक्रम/महाविद्यालय बदलने की प्रक्रिया

दी गई सूची के दौरान आवेदक को दो विकल्पों में से एक का चयन करना :

-विकल्प 1 : अपने वरीयता क्रम में एक उच्चतर सीट का पुन: आबंटन कराना चाहते हैं यदि वही उपलब्ध हो; अथवा

-विकल्प 2 : वह वर्तमान में आबंटित सीट से संतुष्ट है और सीट का एम अन्य आबंटन नहीं चाहता/चाहती है।

i. प्रत्येक उत्तरवर्ती आबंटन राउंड के दौरान, पिछले राउंड के बाद उपलब्ध सीटों को उन आवेदकों को आबंटित किया जाएगा जो विकल्प 1 चुनते हैं और अंतिम स्वीकृति भर्ती रैंक से ऊपर के आवदेकों को रैंक दिया गया है और जिन्हें अपनी वरीयताओं के अधीन अभी तक कोई सीट आबंटित नहीं की गई है।

ii. यदि आवेदक के वरीयता में एक उच्च सीट उपलब्ध होने के मामले में वही आवेदक को आबंटित किया जाएगा और मौजूदा प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

iii. सभी आवेदकों को एक आबंटन राउंड में सीटें आबंटित की गई उन्हें प्रवेश प्राप्त करने के लिए VII से VIII तक के चरणों को दोहराना आवश्यक होगा। उत्तरवर्ती राउंड में भुगतान किये जाने वाला शुल्क नयी संस्था के शुल्क का अंतर(यदि कोई हो) पहले से भुगतान किए गए शुल्क से कम होगा।

iv. विश्वविद्यालय के साथ शुल्क की पुष्टि होने पर, महाविद्यालय(और पाठ्यक्रम) में प्रवेश की पुष्टि की जाएगी। यदि आवेदक प्रवेश की पुष्टि करने के लिए शुल्क का भुगतान करने में

विफल रहता है, तो आवेदक को सीट आबंटित नहीं की जाएगी और भविष्य के किसी भी आबंटन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

v. काउंसलिंग के उत्तरवर्ती राउंड में आवेदकों की निम्नलिखित श्रेणियों पर **विचार नहीं किया जाएगा**।

- **जिन आवदेकों को पहले से ही उनकी पहली वरीयता आबंटित की गई है।**
- **आवेदक, जो स्वेच्छा से पुन: आबंटन से बाहर निकलने का विकल्प चुना है।**
- **जिन आवदेकों ने किसी भी राउंड में फीस का भुगतान करके प्रवेश की पुष्टि नहीं की है।**

स्पॉट प्रवेश राउंड

प्रवेश पोर्टल तीसरी मेरिट सूची में प्रवेश के बाद प्रत्येक पाठ्यक्रम और/या महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों की संख्या प्रदर्शित करेगा।

i. एक पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों को डैशबोर्ड पर ऐसा करना होगा। वे पाठ्यक्रम और महाविद्यालय को वरीयता देंगे।

ii. विद्यार्थियों को प्रत्येक श्रेणी में सीटों की वरीयता एवं उपलब्धता उनकी मेरिट के अनुसार पाठ्यक्रम/महाविद्यालय आबंटित किया जाएगा। महाविद्यालय को लेकर पाठ्यक्रम को वरीयता दी जाएगी।

iii. प्रत्येक श्रेणी के लिए स्पॉट आबंटन के पहले राउंड में विभिन्न महाविद्यालयों में उपलब्ध पाठ्यक्रमों हेतु आवेदकों ने उस तिथि को पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया और पिछले चरण में विकल्प 1 के अनुसार पुन:आबंटन का विकल्प चुना है, साथ ही उन सभी आवदेकों को जिन्हें अभी तक सीट आबंटित नहीं की गई है, लेकिन जिनकी रैंकिग किसी भी श्रेणी में स्वीकृति की गई अंतिक रैंक से उच्च है, वे इस राउंड में पात्र होंगे। आवदेकों को उनकी रैंकिंग और उपलब्ध लोगों से वरीयता के अनुसार सीट आबंटित की जाएगी। इसके बाद आवेदक को प्रवेश प्राप्त करने के लिए चरण VII से VIII तक का पालन करना होगा।

iv. विभिन्न महाविद्यालयों में उपलब्ध पाठ्यक्रमों के लिए, प्रत्येक श्रेणी के लिए स्पॉट आबंटन के दूसरे दौर में, जिन आवेदकों को अभी तक प्रवेश नहीं मिला है, उन्हें उनकी रैंकिंग और उपलब्ध लोगों से वरीयता के अनुसार सीट आबंटित की जाएगी। इसके बाद आवेदक को प्रवेश प्राप्त करने के लिए चरण VII से VIII तक का पालन करना होगा।

v. स्पॉट राउंड में प्रवेश की पुष्टि करने से पहले आवदेकों को अपनी पसंद का उपयोग करने में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। यदि कोई आवदेक स्पॉट राउंड के बाद अपना प्रवेश निरस्त करता है, तो भविष्य की किसी भी काउंसिल में उसके प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा।

vi. किसी भी श्रेणी की रिक्त सीटों को भरने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित की गई प्रवेश की अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय स्पॉट प्रवेश के कई राउंड की घोषणा कर सकता है।

vii. प्रवेश निरस्त करने के मामले में रु.1,000/- का निरस्तीकरण शुल्क प्रभारित किया जाएगा। प्रवेश के अंतिम दिन से पहले प्रत्येक प्रवेश निरस्तीकरण हेतु यह शुल्क लिया जाएगा। प्रवेश निरस्त करने की अंतिम तिथि के बाद निरस्तीकरण अथवा किसी अन्य कारणों से शुल्क(फीस) की वापसी पर विचार नहीं किया जाएगा।

मेरिट आधारित यू.जी. प्रवेश के लिए प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी बदलाव के मामले में किसी भी जानकारी को दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएगी। सभी उम्मीदवारों को

प्रक्रिया और शेड्यूल के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा, जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा।

4. अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व/ई.डब्ल्यू.एस के लिए आरक्षण

अनारक्षित श्रेणी) यू.आर (सीटों की योग्यता क्रम सूची में योग्यता के क्रम में सभी आवेदक शामिल होंगे। किसी को भी इससे बाहर नहीं किया जाएगा। **दूसरे शब्दों में, श्रेणी के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने पर पर ,योग्यता क्रम सूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस वर्ग के आवेदक भी शामिल होंगे।**

किसी भी आवेदक के अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व/ई.डब्ल्यू.एस श्रेणी के अंतर्गत आने या इन श्रेणियों में आवेदन करने के कारण आवेदक को अनारक्षित श्रेणी की योग्यता क्रम सूची से बाहर नहीं किया जा सकता है। ऐसे आवेदक अनारक्षित श्रेणी के साथ ही आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत विचार किए जाने के हकदार है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस आवेदकों को छोड़कर, अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर सख्ती से योग्यता के क्रम में प्रवेश मिलेगा। 34

श्रेणी/जाति के आधार पर भेदभाव पूरी तरह से गैर-कानूनी है। दिल्ली विश्वविद्यालय किसी भी आवेदक/विद्यार्थी के साथ इस आधार पर भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करता है। किसी भी उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश पाने वाले आवेदकों को अपने स्वयं के नाम के साथ सत्यापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

4.1 अनुसूचित जाति) अ.जा (और अनुसूचित जनजाति) अ.ज.जा (के आवेदकों के लिए सीटों का आरक्षण

- सीटों की कुल संख्या का 22.5% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%, यदि आवश्यक हो, तो विनिमेय) से संबंधित आवेदकों के लिए है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए आरक्षित सभी सीटों को भरना कॉलेजों का एक वैधानिक दायित्व है।
- महाविद्यालय शिक्षा के माध्यम के आधार पर किसी भी अ.जा/अ.ज.जा आवेदक को प्रवेश देने से मना नहीं करेंगे। किसी भी विशेष भाषा के ज्ञान में कोई कमी होने पर उसका समाधान किया जाना चाहिए; इस प्रयोजन के लिए महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उपलब्ध अनुदान का उपयोग करके उपचारात्मक कक्षाओं की व्यवस्था की जा सकती है।
- अ.जा और अ.ज.जा से संबंधित आवेदकों की पात्रता निर्धारित करने और पाठ्यक्रम में प्रवेश की योग्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अंक में 5% की सीमा तक छूट दी जाएगी।
- यदि 5% छूट देने के बाद भी आरक्षित सीटें खाली रहती हैं, तो सभी सीटों को भरने के लिए आगे आवश्यक हद तक छूट दी जाएगी। (एसी रिज़ॉल्यूशन ए88, 14.6.1983) (ईसी रिज़ॉल्यूशन 157, 24.12.2001)। सभी कॉलेजों/विभागों के लिए अ.जा/अ.ज.जा आवेदकों के लिए आरक्षित सभी सीटों को भरना अनिवार्य है। इन मामलों में उत्तीर्ण होने का प्रतिशत योग्यता का मानदंड है।

निम्नलिखित को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने का प्राधिकार प्राप्त है:
जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक कमिश्नर।

मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
तहसीलदार के पद से उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी।
उस क्षेत्र के सब-डिवीजनल अधिकारी जहां आवेदक और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं।
प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप द्वीप समूह के लिए)।
आवेदक को ध्यान देना चाहिए कि **किसी भी मामले में किसी अन्य व्यक्ति/प्राधिकारी द्वारा दिया गया अ.जा./अ.ज.जा. प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आवेदक अ.जा या अ.ज.जा से संबंधित है, तो आवेदक की जाति/जनजाति को भारत सरकार की उपयुक्त अनुसूची में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।**

जाति प्रमाणपत्र निम्नलिखित को स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए: (क) उस (पुरुष/महिला) की जाति/जनजाति का नाम (ख) आवेदक अ.जा से संबंधित है या अ.ज.जा से (ग) आवेदक के सामान्य निवास स्थान के जिले और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, और (घ) भारत सरकार की उचित अनुसूची जिसके अंतर्गत उस (पुरुष/महिला) की जाति/जनजाति को अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में अनुमोदित किया गया है।

यदि पंजीकरण/आवेदन के समय आवेदक के पास उनके अनुसूचित जाति/जनजाति होने का प्रमाणपत्र नहीं है, तो वे अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाणपत्र के लिए किए गए आवेदन की पावती पर्ची अपलोड कर सकते हैं। हालांकि, प्रवेश के समय, आवेदक को वैध मूल अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
तथापि, यदि अ.जा/अ.ज.जा का कोई आवेदक किसी अन्य श्रेणी) उदाहरण के लिए :पी.डब्ल्यू.बीडी/कर्मचारी के बच्चे आदि (के अंतर्गत प्रवेश चाहता है, तो आवेदक को उस विशेष श्रेणी के लिए न्यूनतम पात्रता आवश्यकता को पूरा करना आवश्यक है।
टिप्पणी :खुली योग्यता) अनारक्षित (के अंतर्गत प्रवेश पाने वाले अ.जा/अ.ज.जा आवेदकों को आरक्षित कोटे , अर्थात 22.5% (अ.जा. के लिए 15% और अ.ज.जा. के लिए 7.5%) में शामिल नहीं किया जाएगा।

सभी महाविद्यालयों/विभागों के लिए अ/जा.अजा.ज. आवेदकों के लिए आरक्षित सभी सीटों को भरना अनिवार्य है। इन मामलों में न्यूनतम योग्यता उत्तीर्ण होने का प्रतिशत है।

4.2 अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व. , नॉन-क्रीमीलेयर, केंद्रीय सूची) के लिए सीटों का आरक्षण

- 27% सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व) (नॉन-क्रीमीलेयर, केंद्रीय सूची) से संबंधित आवेदकों के लिए आरक्षित होंगी।
- किसी अ.पि.व आवेदक को प्रवेश देने के समय, महाविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी जाति की केंद्रीय सूची में शामिल है (अ.पि.व की स्थिति सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेबसाइट http://ncbc.nic.in/ backward classes/index.html. पर उपलब्ध अ.पि.व (केंद्रीय (भारत सरकार) की सूची के आधार पर निर्धारित की जाती है)।
- प्रमाणपत्र में आवेदक की नॉन-क्रीमीलेयर परत की स्थिति का उल्लेख होना चाहिए (डीओपीटी कार्यालय के ज्ञापन संख्या 36012/22/93- ईएसटीटी. (एससीटी) में अनुसूचित प्राधिकारी द्वारा जारी नॉन-क्रीमीलेयर की स्थिति।
- अ.पि.व के वे आवेदक जो 'नॉन-क्रीमीलेयर' से हैं और जिनकी जाति केवल अ.पि.व की केंद्रीय सूची में दिखाई देती है, उन्हें अ.पि.व. श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश के लिए पात्र माना जाएगा। (अ.पि.व

प्रमाणपत्र की वैधता अवधि डी.ओ.पी.टी कार्यालय के ज्ञापन संख्या 36036/2/2013- ईएसटीटी. (आरईएस-I) दिनांक 31 मार्च 2016) के अनुसार आवेदकों की क्रीमीलेयर की स्थिति)। 31 मार्च, 2020 को या उसके बाद जारी किए गए नॉनक्रीमीलेयर परत प्रमाणपत्र की वैधता वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए होगी।

- यदि आवेदक के पास पंजीकरण के समय नवीनतम वित्तीय वर्ष 2019-2020 का अ.पि.व. नॉन-क्रीमीलेयर' परत प्रमाणपत्र नहीं है, तो आवेदक पहले जारी किए गए (पुराने) अ.पि.व. 'नॉन-क्रीमीलेयर' परत प्रमाणपत्र या अ.पि.व. 'नॉन-क्रीमीलेयर' परत का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए किए गए आवेदन की पावती पर्ची अपलोड कर सकता है। हालांकि, प्रवेश के समय, आवेदक को उसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हालिया वित्तीय वर्ष (2019-20)का अ.पि.व. 'नॉन-क्रीमीलेयर' परत का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इस अतिरिक्त प्रमाणपत्र में आवेदक के पहले से जारी मूल जाति प्रमाणपत्र का संदर्भ होना चाहिए।
- अ.पि.व. आवेदकों को उक्त पाठ्यक्रम के न्यूनतम पात्रता अंकों में 10% की छूट दी जाएगी और प्रवेश प्रवेश परीक्षा के लिए सामान्य/अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए निर्धारित न्यूनतम-पात्रता अंकों में भी 10% की छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए, अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए एक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता 40% है, अ.पि.व. श्रेणी के लिए न्यूनतम पात्रता 36% (अर्थात 40% में से 40% का 10% घटाकर) होगी।

- अ.पि.व. आवेदकों के लिए आरक्षित सभी सीटों को भरना कॉलेजों का एक वैधानिक दायित्व है।

4.3 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस (के लिए आरक्षण नीति

दिल्ली विश्वविद्यालय की अधिसूचनाओं के अनुसार) संदर्भ संख्या एसीए I/रिजर्वेशन ऑफ ईडब्ल्यूएसएस/ 2019/63 दिनांकित 28 मार्च 2019 और संदर्भ संख्या एसीए I/रिजर्वेशन ऑफ ईडब्ल्यूएसएस/ 019/101 दिनांकित 15 मई 2019(, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों) ई.डब्ल्यू.एस श्रेणी (के लिए, विश्वविद्यालय के विभागों/केंद्रों/महाविद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में प्रवेश के लिए 10% सीटें आरक्षित की गई हैं। ऐसे आवेदकों की पात्रता उपर्युक्त अधिसूचनाओं में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के आधार पर तय की जाएगी और यह परिशिष्ट -V में दिए गए प्रारूप में ,सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन होगी।

आवेदक अधिक जानकारी के लिए http://www.du.ac.in/du/uploads/Notifications/04042019-Notification-EWS.pdf देख सकते हैं।

5.निर्धारित विकलांगता वाले व्यक्तियों; सशस्त्र बलों के कार्मिकों के बच्चों/ विधवाओं के लिए; कश्मीर के प्रवासियों; जम्मू-कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री की विशेष छात्रवृत्ति; सिक्किम के नामित छात्र; संतति कोटा के लिए आरक्षण

5.1 निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए सीटों का आरक्षण (पी.डब्ल्यू.बीडी)

विकलांगता युक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारित विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम पांच प्रतिशत (5%) सीटें आरक्षित नहीं हैं। "निर्धारित विकलांगता वाले व्यक्ति" का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो निर्दिष्ट विकलांगता के चालीस प्रतिशत (40%) से कम न हो, जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित नहीं किया गया है और जहां निर्दिष्ट विकलांगता

को परिभाषित किया गया है, वहां प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाने वाली औसत दर्जे की विकलांगता वाले व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया है।" ध्यान दिया जा सकता है कि पूर्ववर्ती विकलांगता अधिनियम, 1995, जिसके अंतर्गत पहले विकलांग व्यक्तियों को प्रवेश के समय आरक्षण प्रदान किया जाता था, उसे अब निरस्त कर दिया गया है।

सभी सीटों के भरे जाने तक पी.डब्ल्यू.बीडी वर्ग के आवेदकों को अर्हता परीक्षा में पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता में प्रवेश और प्रवेश परीक्षा में 5% की सीमा तक छूट दी जाएगी। तक नहीं जातीं। उदाहरण के लिए, यदि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए न्यूनतम पात्रता 40% है, तो पी.डब्ल्यू.बीडी श्रेणी के लिए न्यूनतम पात्रता 38% (अर्थात 40% से 5% कम) 38% होगी।
विकलांगता अधिनियम, 2016 के अधिकारों के लिए अनुसूची में उल्लिखित विकलांगता की निम्नलिखित निर्दिष्ट श्रेणियां उक्त आरक्षण का लाभ पाने के लिए पात्र हैं। [विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (जेडसी) देखें]

शारीरिक विकलांगता

क. गतिशीलता (लोकोमोटर) विकलांगता

1. गतिशीलता) लोकोमोटर (अपंगता) किसी व्यक्ति की स्वयं और वस्तुओं की गति से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में असमर्थता, जो मस्कुलोस्केलेटल या या तंत्रिका तंत्र या दोनों के संबंध में होती है(, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

2. कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति "का अर्थ है ऐसे व्यक्ति से है जिसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया है, लेकिन निम्नलिखित से पीड़ित है

   (i) हाथ या पैर में सनसनी का न होना और साथ ही आँख और आँख की पलक में सनसनी और पेशियों के पक्षाघात का नुकसान लेकिन विकृति की कोई अभिव्यक्ति न होना;

   (ii) विकृति और पेशियों का पक्षाघात प्रकट होता हो लेकिन उनके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होने के कारण उन्हें सामान्य आर्थिक गतिविधि में संलग्न करने में सक्षम बनाया जा सकता है;

   (iii)अत्यधिक शारीरिक विकृति के साथ-साथ उन्नत आयु जो उसे किसी भी लाभकारी व्यवसाय को करने से रोकती है, और तदनुसार" कुष्ठ रोग "ठीक हो जाने की अभिव्यक्ति लागू होती है;

3. "सेरेब्रल पाल्सी "का अर्थ गैर-प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल स्थिति का एक समूह है, जो शरीर की गतिविधियों और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करता है, यह मस्तिष्क के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान के कारण होता है, जो आमतौर पर जन्म के पहले या उसके दौरान या बाद में होता है;
4. "बौनेपन" का अर्थ है एक चिकित्सा या आनुवंशिक स्थिति जिसके परिणामस्वरूप एक वयस्क व्यक्ति की लंबाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम की होती है;
5. "मस्कुलर डिस्ट्रॉफी "का अर्थ वंशानुगत आनुवांशिक मांसपेशी रोग का एक समूह है जो उन मांसपेशियों को कमजोर करता है - जो यह सुनिश्चित करती हैं कि मानव शरीर को स्थानांतरित करने वाले और एकाधिक डिस्ट्रोफी वाले व्यक्तियों के जीन में गलत जानकारी होती है या वह जानकारी गायब रहती है और उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है। प्रगतिशील कंकाल की मांसपेशियों की कमजोरी, मांसपेशियों के प्रोटीन में दोष और मांसपेशियों की कोशिकाओं और ऊतक की मृत्यु इस रोग की विशेषता है;

6. "एसिड अटैक पीड़ितों "का अर्थ ऐसे व्यक्तियों से है जिन पर एसिड या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ को फेंक कर हिंसक हमले में उन्हें विकृत कर दिया गया हो।

ख दृष्टि हीनता

7. "अंधापन" का अर्थ एक ऐसी स्थिति का होना है, जिसमें किसी व्यक्ति को निम्न स्थितियों में से कोई भी हो और सर्वोत्तम सुधार के बाद
   (i) पूर्ण दृष्टि हीनता; या
   (ii) सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ अच्छी आँख में 3/60 या 10/200 (स्नेलन) से कम दृश्य तीक्ष्णता; या
   (iii) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री से कम के कोण को समेटती हो।
8. "दृष्टि कम" होने का अर्थ एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति की निम्न में से कोई भी स्थिति हो, अर्थात्:
   (i) दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक या 20/60 से कम नहीं हो, सबसे बेहतर सुधार के साथ अच्छी आँख में 3/60 तक या 10/200 (स्नेलेन) तक हो; या
   (ii) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से 10 डिग्री तक के कोण तक सीमित हो।

ग श्रवण शक्ति की हानि

9. "बहरा" का अर्थ दोनों कानों से भाषण आवृत्ति में 70 डी.बी श्रवण शक्ति न होने वाले लोगों से है;
10. "सुनने में कठिनाई" का अर्थ दोनों कानों से भाषण आवृत्तियों में 60 डी.बी से 70 डी.बी श्रवण शक्ति होने वाले व्यक्ति है;
11. "भाषण और भाषा विकलांगता" का अर्थ एक स्थायी विकलांगता से है, जो ऑर्गेनिक या न्यूरोलॉजिकल कारणों के कारण भाषण या भाषा के एक या अधिक घटकों को प्रभावित करने वाले ऑर्गैज़्म या वाचाघात जैसे कारणों से उत्पन्न होती है,

II बौद्धिक अक्षमता, एक ऐसी स्थिति जिसमें बौद्धिक कार्यप्रणाली) तर्क, शिक्षा, समस्या को हल करना (और अनुकूल व्यवहार दोनों में उल्लेख योग्य सीमा होती है, इसमें दैनिक, सामाजिक और प्रायोगिक कौशल शामिल हैं-

12. "सीखने की विशिष्ट अक्षमता "का अर्थ विषम परिस्थितियों का एक समूह है ,जिसमें प्रसंस्करण भाषा, बोलने या लिखने में कमी होती है, जो स्वयं को समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, या गणितीय गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है और इसमें अवधारणात्मक अक्षमता, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्क्लेकुलिया, डिस्प्रैक्सिया और विकासात्मक वाचाघात जैसी स्थितियां शामिल हैं;
13. "ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर" का अर्थ न्यूरो-विकासात्मक स्थिति है जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्षों में प्रकट होती है- जो व्यक्ति की संचार करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से संबंधित होने के सामर्थ्य को प्रभावित करती है, और अक्सर असामान्य या जड़ अनुष्ठान या व्यवहार से जुड़ी होती है।

III मानसिक रोग

14. "मानसिक रोग" का अर्थ सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक बड़ा विकार हैजो , स्थूल रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को

पूरा करने की क्षमता को प्रभावित करता है, लेकिन इसमें मंदता शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के दिमाग की जड़ता या अपूर्ण विकास की स्थिति, विशेष रूप से बुद्धिमत्ता की कमी को दर्शाती है।

IV निम्नलिखित के कारण विकलांगता

(क) क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थिति, जैसे कि-

15. "मल्टीपल स्केलेरोसिस" का अर्थ, तंत्रिका तंत्र में सूजन की एक बीमारी है जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षतंतु के चारों ओर माइलिन क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे विघटन होता है और मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में तंत्रिका कोशिकाओं की एक दूसरे के साथ संचार करने की क्षमता प्रभावित होती है;

16. "पार्किंसंस रोग" का अर्थ तंत्रिका तंत्र की एक प्रगतिशील बीमारी है, जो कंपन, मांसपेशियों की कठोरता और धीमी गति से तंत्रिका आंदोलन द्वारा चिह्नित है, यह मुख्य रूप से मस्तिष्क के बेसल गैन्ग्लिया के अध: पतन और मस्तिष्क की न्यूरोट्रांसमीटर डो*पामाइन कमी से जुड़ी होती है, जो मध्यम आयु वर्ग के लोगों और बुजुर्गों को प्रभावित करती है।*

(ख) रक्त विकार-

17. "हीमोफिलिया" का अर्थ एक वंशानुगत बीमारी है, जो आमतौर पर केवल पुरुषों को प्रभावित करती है, लेकिन महिलाओं द्वारा उनके बच्चे प्रभावित होते हैं, जिसमें रक्त के सामान्य थक्के बनने की क्षमता का पूरा नुकसान या हानि होती है, जिससे मामूली घाव से भी घातक रक्तस्राव हो सकता है;

18. "थैलेसीमिया" का अर्थ वंशानुगत विकारों का एक समूह है, जिसकी विशेषता हीमोग्लोबिन का कम या अनुपस्थित होना है।

19 "सिकल सेल रोग" का अर्थ पुराना एनीमिया, दर्दनाक घटनाओं और संबंधित ऊतक और अंग क्षति के कारण विभिन्न जटिलताओं से है यह हैमोलिटिक विकार; "हीमोलिटिक" लाल रक्त कोशिकाओं के कोशिका झिल्ली के विनाश को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप हीमोग्लोबिन का क्षरण होता है।

V एकाधिक विकलांगता (उपरोक्त निर्दिष्ट विकलांगताओं में से एक से अधिक)

20. एकाधिक विकलांगता का अर्थ एक ऐसी स्थिति से है जिसमें किसी व्यक्ति को सुनने और देखने की शक्ति में कमी सहित कई विकलांगताएं हो सकती हैं, जिससे जिससे गंभीर कमज़ोरी, विकासात्मक और शैक्षिक समस्याएं हो सकती हैं।

21. केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गई **कोई अन्य श्रेणी**।

आवेदकों को एक मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सालय द्वारा जारी वैध विकलांगता **प्रमाण-पत्र** प्रस्तुत करना होगा, जिसमें आवेदक की तस्वीर लगी हो।

5.1.1 विकलांग व्यक्तियों (पी.डब्ल्यू.बीडी) के लिए फीस में रियायत/छूट

(क) विश्वविद्यालय के संकायों, विभागों, केंद्रों, और संस्थानों/कॉलेजों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले शारीरिक विकलांग आवेदकों को फीस के भुगतान से छूट दी जाएगी, जिसमें प्रवेश शुल्क को छोड़कर परीक्षा शुल्क **और विश्वविद्यालय के अन्य शुल्क**, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के संघ और पहचान पत्र शुल्क (विश्वविद्यालय के अध्यादेश X(4) में संशोधन के अनुसार) के लिए सदस्यता शुल्क शामिल हैं।

ख) ऐसे पी.डब्ल्यू.बीडी आवेदक जो अनारक्षित श्रेणी के लिए कट-ऑफ को पूरा करते हैं और अनारक्षित श्रेणी (अना) में प्रवेश लेते हैं, वे पीडब्ल्यूबीडी आवेदक के लिए प्रासंगिक शुल्क का भुगतान करेंगे।

ग) कार्यकारी परिषद के संकल्प संख्या दिनांकित 5003.11.2012 के अनुसार, विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों हॉल में रहने वाले शारीरिक विकलांग छात्रों को प्रतिदेय सावधानी शुल्क और मेस शुल्क को छोड़कर/ **छात्रावास के सभी शुल्कों से छूट दी गई है**। शारीरिक विकलांगता वाले विद्यार्थियों को मेस शुल्क का 50% भुगतान करना होगा और **उनके शेष 50% मेस शुल्क** को दिल्ली विश्वविद्यालय वहन करेगा।

महाविद्यालयों के विभिन्न छात्रावासों में रहने वाले पीबीडी.डब्ल्यू. छात्रों के संबंध में महाविद्यालयों द्वारा इसी तरह के मानदंड अपनाए जाएंगे।

घ) फैलोशिपवित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे पीडब्ल्यूबीडी/ छात्रों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन शुल्कमेस फीस के भुगतान से छूट दी जाएगी। /प्रभार/ **कॉलेजों में भर्ती हुए अजा.ज.अ/जा., अव.पि., ईएस.डब्ल्यू., पीडी के सभी विद्यार्थी जो फेलोशिप.डब्ल्यू. के लिए पात्र हैं, उन्हें समय पर प्रक्रिया के लिए अपने फेलोशिप फार्म फरवरी तक अपेक्षित छात्रवृत्ति कार्यालय में जमा कर देने चाहिए।**

फैलोशिप का मूल्य	**फीस माफी इत्यादि की छूट**
प्रतिमाह 3000 रुपए तक	फीस माफी+ 50 % मेस अनुदान
प्रतिमाह 3001 से 8000 रुपए तक	फीस माफी लेकिन कोई मेस अनुदान नहीं
प्रतिमाह 8001 रुपए और अधिक	कोई फीस माफी नहीं और कोई मेस अनुदान नहीं

5.2 सशस्त्र बलों के कार्मिकों के बच्चों/विधवाओं के लिए आरक्षण (सी.डब्ल्यू)

1. सभी महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमों में इस श्रेणी से संबंधित आवेदकों के लिए पांच प्रतिशत (5%) सीटें आरक्षित हैं।

2. ऐसे सभी आवेदकों को उचित लेटरहेड पर निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी के द्वारा जारी किया गया शैक्षिक रियायत प्रमाणपत्र (**परिशिष्ट VII** में दिए गए प्रारूप के अनुसार) अपलोड करना होगा:

(क) सचिव, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, दिल्ली।

(ख) सचिव, राज्य जिला सैनिक बोर्ड।

(ग) प्रभारी अधिकारी, रिकॉर्ड कार्यालय।

(घ) प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट।

(ङ) गृह मंत्रालय (वीरता पुरस्कार प्राप्त पुलिस कार्मिकों के लिए)

कोई अन्य प्रारूप अनुमेय नहीं होगा। सही प्रारूप में प्रमाणपत्र के बदले में माता-पिता या आश्रित के आई.डी कार्ड, मेडिकल कार्ड, राशन कार्ड, सी.एस.डी कार्ड, आदि के रूप में सी.डब्ल्यू श्रेणी के प्रमाण स्वीकार्य नहीं हैं। प्रमाणपत्र में प्राथमिकता स्पष्ट रूप से उल्लिखित होनी चाहिए। प्रासंगिक प्राथमिकता का उल्लेख नहीं करने वाले प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में अर्ध-सैन्य कार्मिक (केवल प्राथमिकता I से V तक) सहित सशस्त्र बलों के बच्चों/विधवाओं (IX को प्राथमिकता) को प्राथमिकता दी जा सकती है।

प्राथमिकता- I कार्रवाई में मारे गए रक्षा कर्मियों (सैनिकों) की विधवाएं/बच्चे;

प्राथमिकता II कार्रवाई में अक्षम हुए और सैन्य सेवा के कारण विकलांगता के साथ सेवा से बाहर हुए रक्षा कर्मियों (सैनिकों) के बच्चे;

प्राथमिकता III सेवा के समय मृत रक्षा कर्मियों (सैनिकों) की विधवाएँ/बच्चे जिनकी मृत्यु सैन्य सेवा के कारण हुई हो;

प्राथमिकता IV सैन्य सेवा के कारण और सेवा के दौरान हुई विकलांगता के साथ के साथ सेवा से बाहर हुए रक्षा कर्मियों (सैनिकों) के बच्चे;

प्राथमिकता V वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुलिस बलों के कर्मियों सहित सेवारत/पूर्व सैनिकों के बच्चे;

i. परमवीर चक्र
ii. अशोक चक्र
iii. महावीर चक्र
iv. कीर्ति चक्र
v. वीर चक्र
vi. शौर्य चक्र
vii. वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक
viii. सेना पदक (वीरता), नौ सेना पदक (वीरता), वायु सेना पदक (वीरता)
ix. रवानगी में उल्लेख(मेंशन-इन-डिस्पैचेज)
x. वीरता के लिए पुलिस पदक

प्राथमिकता VI पूर्व सैनिकों के बच्चे

प्राथमिकता VII निम्नलिखित की पत्नियां:

i. कार्रवाई में अक्षम हुए और सेवा से अवकाश प्राप्त सैनिक।
ii. सेवा में अक्षम हुए और विकलांगता के कारण सेवा से अवकाश प्राप्त रक्षा कार्मिक।
iii वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले भूतपूर्व सैनिक और सेवारत कार्मिक।

प्राथमिकता -VIII सेवारत कार्मिकों की संतान

प्राथमिकता -IX सेवारत कार्मिकों की पत्नियां।

5.3 कश्मीरी प्रवासियों (के.एम) के लिए आरक्षण (अधिसंख्य सीटें)

1. विश्वविद्यालय के विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विचार किए जाने के इच्छुक, कश्मीरी प्रवासियों की सभी संतानों (पुत्र/पुत्री) को विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।

2. कश्मीरी प्रवासियों के बच्चों के लिए सभी कॉलेजों में 5% सीटें आरक्षित हैं।

3. कश्मीरी प्रवासियों के सभी बच्चों को संभागीय आयुक्त/राहत आयुक्त द्वारा कश्मीरी प्रवासियों को जारी पंजीकरण का प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।

4. कश्मीरी प्रवासियों के बच्चों का प्रवेश कॉलेजों द्वारा घोषित किए जाने वाले कट-ऑफ पर आधारित होगा। कश्मीरी प्रवासियों को अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए निर्धारित अंतिम कट-ऑफ अंकों में अधिकतम 10% की रियायत दी जाएगी।

5. इस श्रेणी के अंतर्गत उन पाठ्यक्रमों में आरक्षण उपलब्ध नहीं है, जिनमें प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर प्रवेश मिलता है।

5.4 जम्मू और कश्मीर के विद्यार्थियों के लिए प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना

जम्मू और कश्मीर के विद्यार्थियोंके लिए प्रधानमंत्री की विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत चुने गए आवेदकों को कॉलेजों में सीधे प्रवेश दिया जाएगा। इस श्रेणी के अंतर्गत उन पाठ्यक्रमों में आरक्षण उपलब्ध नहीं है जहाँ प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर प्रवेश मिलता है। आवेदकों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर घोषित सारणी के अनुसार विश्वविद्यालय के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।

5.5 सिक्किम के विद्यार्थियों के लिए सीटों का नामांकन

सिक्किम सरकार द्वारा नामित सिक्किम के विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा उन महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा, जहां छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है (एसी संकल्प 51 दिनांक 05/06/1980 और 122 दिनांक 17/12/1990)। प्रवेश के लिए सिक्किम के छात्रों के साथ-साथ संबंधित महाविद्यालयों में छात्रावास का आबंटन कुलपति द्वारा अपने विवेक से किया जाता है। **जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश मिलता है, उनमें इस श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण उपलब्ध नहीं है। आवेदकों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर घोषित किए गए कार्यक्रम के अनुसार विश्वविद्यालय पोर्टल पर पंजीकरण करना चाहिए।**

इन नामांकित सीटों की संख्या नीचे दी गई है

पाठ्यक्रम	**सीटें**
बी.ए (प्रोग)	3
बी.ए(ऑनर्स)	1
वाणिज्य स्नातक	4
बी.कॉम (ऑनर्स)	2
बी.एससी भौतिक विज्ञान /अनुप्रयुक्त भौतिक विज्ञान	2
बी.एससी जीवन विज्ञान / अनुप्रयुक्त जीवन विज्ञान	2
कुल	**14**

5.6 संतान (वार्ड) कोटा के लिए सीटें

विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षण और गैर-शिक्षण दोनों प्रकार के स्थायी सेवारत कर्मचारियों के बच्चों व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और अन्य पाठ्यक्रमों को छोड़कर, जिनमें प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है, विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों मेंनिम्नलिखित मानदंडों के अनुसार प्रवेश मिल सकता है:

1. महाविद्यालय में स्थायी सेवारत कर्मचारियों के संतानों (बच्चों) के लिए उस महाविद्यालय में प्रवेश जहां कर्मचारी काम कर रहे हैं, ऐसे आवेदकों में से योग्यता के आधार पर दिया जाएगा, जो पाठ्यक्रम

   में साठ विद्यार्थियों तक की प्रत्येक इकाई के लिए एक सीट के अधीन और पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता शर्तों की पूर्ति के अधीन होगा।
2. विश्वविद्यालय/अन्य महाविद्यालयों (शिक्षण/गैर-शिक्षण) के स्थायी-सेवारत कर्मचारियों के बच्चों (पुत्र/पुत्रियों) के प्रवेश के लिए, प्रवेश योग्य सीटों की कुल संख्या छह (शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए तीन-तीन) से अधिक नहीं होगी। इस तरह के आवेदकों के बीच जो योग्यता के आधार पर पाठ्यक्रम में अधिकतम साठ विद्यार्थियों की प्रत्येक इकाई के लिए अधिकतम एक सीट और पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता शर्तों की पूर्ति के अधीन है।
3. उपर्युक्त मानदंडों पर प्रवेश सामान्य सीटों के ऊपर और अधिक होगा।
4. जो आवेदक वार्ड कोटे के अंतर्गत प्रवेश के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें विश्वविद्यालय पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरना होगा। उन्हें पंजीकरण के समय प्रदान की गई सूची से उन

महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिनमें वे आवेदन करना चाहते हैं। इस कोटे के अंतर्गत प्रवेश की अनुसूची और प्रक्रिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएगी।:

6. अतिरिक्त पाठयक्रम और खेल कोटा (अधिसंख्य सीटें)

कोविड -19 महामारी और प्रचलित सार्वजनिक स्वास्थ्य मार्गदर्शक-लाइनों की अभूतपूर्व स्थिति के कारण, ई.सी.ए पर आधारित प्रवेश केवल एन.सी.सी और एन.एस.एस की श्रेणी के लिए होगा और खेल के आधार पर प्रवेश स्पोर्ट्स ट्रायल का आयोजन किए बिना होगा।

1. महाविद्यालयों को खेल सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए और सभी विद्यार्थियों को अंतर-कक्षा प्रतियोगिताओं और सामूहिक खेलों की शुरुआत करके खेल और अतिरिक्त-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों (ई.सी.ए) में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ई.सी.ए और खेल में सभी कॉलेजों से ई.सी.ए और खेल की कम से कम 1% (महाविद्यालय की कुल सेवन क्षमता) का प्रतिनिधित्व करना अनिवार्य है, जो कुल मिलाकर ई.सी.ए और खेल में कुल मिलाकर 5% (महाविद्यालय की कुल क्षमता का) तक सीमित होगा।
2. ई.सी.ए और खेल के आधार पर भरी जाने वाली सीटों की वास्तविक संख्या उपलब्ध सुविधाओं, कॉलेजों की आवश्यकता और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर तय की जाती है।
3. ई.सी.ए और खेल पर आधारित प्रवेश उन पाठ्यक्रमों में उपलब्ध नहीं है जिनमें प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश होता है।
4. ई.सी.ए और खेल के आधार पर आवेदक को पाठ्यक्रम और महाविद्यालय का आबंटन विश्वविद्यालय द्वारा केंद्रीकृत तरीके से किया जाएगा। पाठ्यक्रम (विषयवार) का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
5. ई.सी.ए और खेल की अनुसूची और सीटों की उपलब्धता के बारे में अतिरिक्त जानकारी दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएगी।
6. ई.सी.ए और खेल के आधार पर प्रवेश पाने के लिए गलत/नकली प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने वाले आवेदक को किसी भी महाविद्यालय में तीन वर्ष के लिए प्रवेश से वंचित किया जाएगा। इस तरह के प्रवेश रद्द कर दिए जाएंगे और एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।

6.1 अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों (ई.सी.ए) के माध्यम से प्रवेश के लिए दिशानिर्देश

राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स (एन.सी.सी), एम.ओ.डी और राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस), एम.वाई.ए.एस की श्रेणी के लिए लागू

महाविद्यालय डी.यू यू.जी प्रवेश(एडमिशन) पोर्टल पर पुरुष/महिलाओं के लिए एन.सी.सी/एन.एस.एस से संबंधित ई.सी.ए कोटा (अधिसंख्य) के अंतर्गत सीटों की संख्या को संचारित करेगा। ई.सी.ए के आधार पर प्रवेश को केंद्रीकृत ई.सी.ए मेरिट सूची के माध्यम से प्रशासित किया जाएगा, जो अपलोड किए गए एन.सी.सी/एन.एस.एस प्रमाणपत्रों में प्राप्त उच्चतम अंकों पर आधारित और आवेदक द्वारा इंगित पाठ्यक्रम और महाविद्यालयों की उनकी प्राथमिकताओं के क्रम के अनुसार होगा।

1. ई.सी.ए के आधार पर प्रवेश पाने वाले आवेदक के लिए डी.यू यू.जी प्रवेश(एडमिशन) पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना आवश्यक है।

2. उन्हें अपनी पसंद के अनुसार अधिकतम पाँच पाठ्यक्रमों और महाविद्यालयों के लिए पंजीकरण करना चाहिए, जिनमें वे दाखिला लेना चाहते हैं। बाद में पाठ्यक्रम और महाविद्यालय के आंबटन में इन प्राथमिकताओं का उपयोग किया जाएगा।

3. ई.सी.ए श्रेणी में पंजीकरण के लिए (अना./अ.पि.व/अ.जा./अ.ज.जा/पी.डब्ल्यू.बीडी/ई.डब्ल्यू.एस) शुल्क के अलावा 100 रुपए का अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क लागू होगा।

4. आवेदकों को संबंधित श्रेणी में उनकी भागीदारी के प्रमाण के रूप में, 01 मई, 2017 से 30 अप्रैल, 2020 के बीच जारी किए गए पांच एन.सी.सी/एन.एस.एस प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियों को अपलोड करना आवश्यक है।

5. किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों को दिये गए अंतिम प्रासंगिक कट-ऑफ से शैक्षणिक योग्यता में 15% से अधिक रियायत नहीं दी जा सकती है।

6. आवेदक को पाठ्यक्रम का आबंटन विशिष्ट न्यूनतम पात्रता मानदंडों की पूर्ति और विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप होगा।

7. आवेदक को एन.सी.ए के आधार पर प्रवेश का पात्र होने के लिए अपलोड किए गए एन.सी.सी/ एन.एस.एस प्रमाणपत्र के अंकन में न्यूनतम 04 अंक प्राप्त करने चाहिए।

एन.एस.एस प्रमाणपत्र के लिए योग्यता/भागीदारी के अंकन के लिए मानदंड

आवेदकों को नीचे दिए गए पांच अलग-अलग शीर्षों के अंतर्गत उनके प्रदर्शन के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे:

क) नियमित गतिविधि
ख) कार्य-घंटे
ग) राष्ट्रीय शिविर
घ) विशेष शिविर
ङ) पूर्व आर.डी शिविर

एक उम्मीदवार को 100 के कुलयोग में से अंक दिए जाएंगे।

प्रत्येक श्रेणी (भागीदारी) में प्राप्त किए जा सकने वाले अधिकतम अंक नीचे दिए गए हैं:

क्रम.सं.	**वर्ग**	**न्यूनतम अंक**	**अधिकतम अंक***
1.	नियमित गतिविधि (स्वच्छता/वृक्षारोपण/श्रम दान/सड़क सुरक्षा/ मतदाता जागरूकता/महिला सुरक्षा/ लिंग संवेदीकरण या कोई भी उप-सामाजिक जागरूकता गतिविधि)	4	8

2.	कार्य-घंटे	120 घंटो के लिए 8	240 घंटो के लिए 16
3.	राष्ट्रीय शिविर- एस.बी.एस.आई/आर.डी/ एन.एस.एस आई.जी पुरस्कार	24	32
4.	विशेष शिविर/कार्य डायरी के साथ विशेष शिविर	20	28
5.	पूर्व-आर.डी कैंप	16	16
	कुल अंक		**100**

न्यूनतम अंक एक गतिविधि के लिए हैं और अधिकतम अंक दो या अधिक गतिविधियों के लिए हैं

एन.सी.सी प्रमाणपत्र के लिए मेरिट की मार्किंग/भागीदारी के मानदंड

आवेदकों को प्रदर्शन के आधार पर पांच अलग-अलग शीर्षों के अंतर्गत अंक प्रदान किए जाएंगे:

क) नियमित गतिविधि

ख) परीक्षा

ग) शिविर

घ) विशेष शिविर

ङ) आर.डी शिविर

क. एक उम्मीदवार को कुल 100 में से अंक दिए जाएंगे।

प्रत्येक श्रेणी (भागीदारी) में प्राप्त किए जा सकने वाले अधिकतम अंक नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	**वर्ग**	**न्यूनतम अंक**	**अधिकतम अंक***
1.	नियमित गतिविधि (सर्वश्रेष्ठ कैडेट/स्वतंत्रता दिवस/आत्मरक्षा/आई.डी.वाई/ जागरूकता, सामुदायिक विकास और प्राकृतिक आपदा में प्रशंसा प्रमाण-पत्र)	4	8
2.	परीक्षा ए/बी	12	20
3.	शिविर (शूटिंग कैंप/एडवेंचर कैंप/सी.एम रैली/ पी.एम रैली ए.टी.सी/ ईबीएसबी/ सी.एटी.सी/ ट्रैकिंग/ आर.सी.टी.सी/ प्री-आर.डी/एस.एन.आई.सी ए.टी.सी/ ई.बी.एस.बी/ सी.ए.टी.सी/ट्रैकिंग/ आर.सी.टी.सी/ पूर्व-आर.डी/ एस.एन. आई.सी रैली / ए.टी.सी/ ईबीएसबी/ सी.ए.टी.सी/ट्रैकिंग/ आर.सी.टी.सी/प्री-आर.डी/एस.एन.आई.सी)	20	32
4.	विशेष शिविर (टी.एस.सी/वी.एस.सी/एन.एस.सी)	16	16
5.	आर.डी शिविर	24	24
	कुल अंक		**100**

न्यूनतम अंक एकल गतिविधि के लिए हैं और अधिकतम अंक दो या अधिक गतिविधियों के लिए हैं।

टिप्पणी:

1) ई.सी.ए मेरिट लिस्ट में आने वाले आवेदक का नाम महाविद्यालय और पाठ्यक्रम में प्रवेश की गारंटी नहीं देता है। आवेदक का प्रवेश महाविद्यालय में पाठ्यक्रम में सीटों की उपलब्धता के अधीन है।

2) महाविद्यालय की ई.सी.ए प्रवेश समिति निम्नानुसार होगी:

क. अध्यक्ष: प्राचार्य/ नामिती प्राचार्य

ख. संयोजक: महाविद्यालय की सांस्कृतिक समिति

ग. सदस्य/सदस्य गण: सांस्कृतिक समिति

घ. नामित: कर्मचारी परिषद का एक संकाय सदस्य

3) महाविद्यालय की ई.सी.ए प्रवेश समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:

क. आवेदक द्वारा अपलोड किए गए पंजीकरण फॉर्म की जांच

ख. आवेदक के मूल एन.सी.सी/एन.एस.एस प्रमाणपत्रों से आबंटित अंकों के अनुसार आवेदकों द्वारा अपलोड किए गए एन.सी.सी/एन.एस.एस प्रमाणपत्रों को सत्यापित करना।

4) अपलोड किए गए एन.सी.सी/एन.एस.एस प्रमाणपत्रों के लिए दिए गए अंकों से संबंधित शिकायत पर विश्वविद्यालय की यू.जी ई.सी.ए शिकायत समिति द्वारा पुनर्विचार किया जाएगा। यदि कोई शिकायत है तो उसे दर्ज करने के लिए अपलोड किए गए एन.सी.सी/एन.एस.एस प्रमाणपत्र आवेदक के डैशबोर्ड पर तीन दिनों के लिए प्रदर्शित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय की यू.जी ई.सी.ए शिकायत समिति द्वारा सभी शिकायतों को तीन दिनों के भीतर हल किया जाएगा।

5) महाविद्यालय ई.सी.ए के आधार पर भर्ती किए गए आवेदकों के दस्तावेजों का उचित रिकॉर्ड रखेगा।

6) ई.सी.ए के आधार पर भर्ती किए जाने वाले आवेदकों की अंतिम सूची (सॉफ्ट कॉपी) विश्वविद्यालय के प्रवेश की अंतिम तिथि के सात दिनों के भीतर महाविद्यालयों द्वारा अधिष्ठाता(प्रवेश) को भेज दी जाएगी।

7) आवेदक को प्रवेश के समय यह उल्लेख करते हुए एक शपथपत्र प्रस्तुत करना होगी कि वह महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के लिए आवेदक स्वयंसेवक/कैडेट होगा यदि आवेदक स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रम में अध्ययन की उनकी पूरी अवधि के दौरान शपथपत्र का उल्लंघन करता है या ऐसा करने में विफल रहने पर महाविद्यालय को प्रवेश रद्द करने का अधिकार होगा।

6.2 खेल के आधार पर प्रवेश के लिए दिशानिर्देश

महाविद्यालय डी.यू यू.जी प्रवेश पोर्टल पर खेल(स्पोर्ट्स) कोटा (अधिसंख्य) के अंतर्गत सीटों की कुल संख्या के साथ-साथ पुरुषों/महिलाओं के विभिन्न खेलों/ खेल में आवश्यकता का संचार करेंगे। खेलकूद के आधार पर प्रवेश को अपलोड की गई मेरिट/प्रतिभागिता खेल प्रमाणपत्र में प्राप्त उच्चतम अंकों के आधार पर केंद्रीकृत स्पोर्ट्स मेरिट सूची के माध्यम से और आवेदक द्वारा इंगित पाठ्यक्रम और महाविद्यालयों की उनकी वरीयताओं के क्रम में प्रशासित किया जाएगा।

1. खेल के आधार पर प्रवेश पाने वाले आवेदक को डी.यू यू.जी एडमिशन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना आवश्यक है।
2. आवेदक अधिकतम तीन खेलों/स्पोर्ट्स के लिए पंजीकरण करा सकता है।
3. उन्हें अपनी वरीयता के क्रम में/जहां वे भर्ती होने की इच्छा रखते हैं, वहां/अधिकतम पांच महाविद्यालयों और पाठ्यक्रमों के लिए/उनकी वरीयता को पंजीकृत करना चाहिए। बाद में महाविद्यालय और पाठ्यक्रम के आबंटन में इन प्राथमिकताओं का उपयोग किया जाएगा।
4. खेल श्रेणी में (अ.ना/अ.पि.व/अ.जा/अ.ज.जा/पी.डब्ल्यू.बीडी/ई.डब्ल्यू.एस) के शुल्क के अलावा 100 रुपए का अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क भी लागू होगा।

यहां प्रवेश निम्नलिखित पर आधारित होगा:

I. मेरिट/प्रतिभागिता स्पोर्ट्स प्रमाणपत्र की मार्किंग के लिए मानदंड की श्रेणी ए के आधार पर सीधे प्रवेश।

II. मेरिट/प्रतिभागिता स्पोर्ट्स प्रमाणपत्र की मार्किंग के लिए मानदंड की श्रेणी बी, सी एंड डी के आधार पर प्रवेश।

I. सीधे प्रवेश मेरिट/प्रतिभागिता स्पोर्ट्स प्रमाणपत्र की मार्किंग के लिए मानदंड की श्रेणी ए के आधार पर सीधे प्रवेश

युवा खिलाड़ी और खेल मंत्रालय (एम.वाई.ए.एस) द्वारा मान्यता प्राप्त और वित्तपोषित प्रतियोगिता (प्रतियोगिताओं) में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को बिंदु सं II (बी) में उल्लिखित

खेल/स्पोर्ट्स के ट्रायल के बिना सीधे प्रवेश दिया जाएगा। खेल/स्पोर्ट की आवश्यकता घटक कॉलेजों द्वारा दी गई है।

क) अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आई.ओ.सी) द्वारा ओलंपिक खेल

ख) अंतर्राष्ट्रीय खेल संघों (आई.एस.एफ) द्वारा विश्व चैम्पियनशिप/विश्व कप

ग) राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (सी.जी.एफ) द्वारा राष्ट्रमंडल खेल

घ) एशियाई ओलंपिक परिषद (ओ.सी.ए) द्वारा एशियाई खेल

ङ) अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघों (आई.एस.एफ) द्वारा एशियाई चैंपियनशिप

च) दक्षिण एशिया ओलंपिक परिषद (एस.ए.ओ.सी) द्वारा दक्षिण एशियाई खेल (एस.ए.जी)

छ) अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (आई.पी.सी) द्वारा पैरालिंपिक खेल

II. **मेरिट/प्रतिभागिता** स्पोर्ट्स प्रमाणपत्र के अंकन के लिए मानदंड के बी, सी और डी श्रेणियों के आधार पर प्रवेश)

क. मेरिट/प्रतिभागिता स्पोर्ट्स प्रमाणपत्र के लिए अधिकतम 100 अंक

1. मेरिट/प्रतिभागिता स्पोर्ट्स प्रमाणपत्र के अंकन के मानदंड खेल/स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं के विभिन्न स्तरों के अंकों को प्रदर्शित करते हैं।
2. इनविटेशनल/मेमोरियल/ओपन/प्राइज मनी लीग/रैंकिंग प्रतियोगिताओं के प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। खेल प्रतियोगिता में मेरिट/भागीदारी के पत्र/पत्रावली पर भी विचार नहीं किया जाएगा।
3. आवेदक को मेरिट/प्रतिभागिता स्पोर्ट्स प्रमाणपत्रों की तीन स्व-सत्यापित प्रतियां अपलोड करनी होगी। हालांकि, अंक देने के लिए केवल उच्चतम मेरिट/प्रतिभागिता स्पोर्ट्स प्रमाणपत्र पर विचार किया जाएगा।
4. केवल 01 मई, 2017 से 30 अप्रैल, 2020 तक के तीन वर्ष के मेरिट/प्रतिभागिता स्पोर्ट्स प्रमाणपत्रों को स्वीकार किया जाएगा।
5. केवल उन लोगों के लिए आवेदक की योग्यता का स्तर निर्धारित किया जाएगा जिन्होंने तीन वर्ष के दौरान बिंदु संख्या II (बी) में खेल/ स्पोर्ट्स में उत्कृष्टता प्राप्त की है।
6. आवेदक को खेल के आधार पर प्रवेश का पात्र होने के लिए अपलोड किए गए उच्चतम योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र के अंकन में न्यूनतम 08 अंक प्राप्त करने चाहिए।

ख. खेल के आधार पर प्रवेश के लिए विचार किए जाने वाले खेल/स्पोर्ट

सामूहिक खेल

बेसबॉल (पुरुष), बास्केटबॉल (पुरुष और महिला), क्रिकेट (पुरुष और महिला), फुटबॉल (पुरुष और महिला), हैंडबॉल (पुरुष और महिला), हॉकी (पुरुष और महिला), कबड्डी (पुरुष और महिला), खो-खो (पुरुष और महिला) नेटबॉल (महिला), सॉफ्टबॉल (महिला) और वॉलीबॉल (पुरुष और महिला)

दो लोगों के बीच खेले जाने वाले और लड़ाकू खेल

बैडमिंटन (पुरुष और महिला), मुक्केबाजी (पुरुष और महिला), जूडो (पुरुष और महिला), स्क्वैश (पुरुष और महिला), टेबल टेनिस (पुरुष और महिला), तायक्वांडो* (पुरुष और महिला), टेनिस (पुरुष और महिला) और कुश्ती (पुरुष और महिला)

* क्योरुगी

व्यक्तिगत रूप से (अकेले) खेले जाने वाले खेल

तीरंदाजी** (पुरुष और महिला), एथलेटिक्स (पुरुष और महिला), शतरंज (पुरुष और महिला), डाइविंग (पुरुष और महिला), जिमनास्टिक्स (पुरुष और महिला), शूटिंग*** (पुरुष और महिला), तैराकी (पुरुष और महिला) और भारोत्तोलन (पुरुष और महिला)

** कम्पाउंड और रिकर्व

*** मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर राइफल

टिप्पणी:

1) पात्र आवेदक को पाठ्यक्रम का आबंटन पाठ्यक्रम की न्यूनतम पात्रता की शर्तों की पूर्ति और विश्वविद्यालय के नियमों के अधीन होगा।
2) स्पोर्ट्स मेरिट लिस्ट में आने वाले आवेदक का नाम महाविद्यालयों और पाठ्यक्रमों में प्रवेश की गारंटी नहीं देता है। आवेदक का प्रवेश महाविद्यालय में पाठ्यक्रम में सीटों की उपलब्धता के अधीन है।
3) महाविद्यालय की स्पोर्ट्स एडमिशन कमेटी इस प्रकार होगी:
   क. अध्यक्ष: प्राचार्य/प्राचार्य नामिती
   ख. शारीरिक शिक्षा संयोजक: शारीरिक शिक्षा शिक्षक, शारीरिक शिक्षा विभाग
   ग. सदस्य / सदस्यगण: शारीरिक शिक्षा शिक्षक, शारीरिक शिक्षा विभाग
   घ. नामिती: स्टाफ काउंसिल का एक संकाय सदस्य
4) महाविद्यालय की खेल प्रवेश समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:
   क. आवेदक द्वारा अपलोड किए गए पंजीकरण फॉर्म की जांच करना
   ख. आवेदक के मूल मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र में आवंटित अंकों के अनुसार आवेदक के अपलोड किए गए मेरिट/प्रतिभागिता स्पोर्ट्स प्रमाणपत्र को सत्यापित करना।
5. समानता के मामले में: एक ही खेल/स्पोर्ट में मेरिट/प्रतिभागिता स्पोर्ट्स प्रमाणपत्र में समान अंक हासिल करने वाले आवेदक और एक ही महाविद्यालय और एक ही पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता को निम्नानुसार हल किया जा सकता है:
   क. आवेदक मेरिट/प्रतिभागिता स्पोर्ट्स प्रमाणपत्र को उसी स्तर की स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के रूप में अपलोड करता है जिस श्रेणी में आवेदक स्पोर्ट्स प्रमाणपत्र को उच्चतम मेरिट/प्रतिभागिता स्पोर्ट्स प्रमाणपत्र के रूप में चिह्नित किया गया है और मेरिट और प्रतिभागिता स्पोर्ट्स प्रमाणपत्र के लिए क्रमशः दो और एक अंक अतिरिक्त दिया जाएगा।
   ख. यदि समानता अभी भी बनी रहती है, तो ऐसे सभी आवेदकों को भर्ती किया जा सकता है।
6. मेरिट/प्रतिभागिता स्पोर्ट्स प्रमाणपत्र के लिए अंक देने से संबंधित शिकायत का निवारण विश्वविद्यालय की यूजी स्पोर्ट्स शिकायत समिति द्वारा किया जाएगा। यदि कोई शिकायत हो, तो उसे दर्ज करने के लिए मेरिट/प्रतिभागिता स्पोर्ट्स प्रमाणपत्र तीन दिनों के लिए आवेदक के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय की यू.जी स्पोर्ट्स शिकायत समिति द्वारा सभी शिकायतों को तीन दिनों के भीतर हल किया जाएगा।
7. विश्वविद्यालय की यू.जी स्पोर्ट्स एडमिशन/शिकायत समिति द्वारा आवेदक के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित दिए गए अंक की मेरिट/प्रतिभागिता स्पोर्ट्स प्रमाणपत्र/दस्तावेजों का सत्यापन जांच के लिए अनंतिम विषय हैं। विश्वविद्यालय की यूजी स्पोर्ट्स एडमिशन/ शिकायत समिति का निर्णय अंतिम होगा।

8. महाविद्यालय खेल के आधार पर भर्ती किए गए आवेदकों के दस्तावेजों का उचित रिकॉर्ड रखेगा।
9. खेल के आधार पर अंतिम रूप से भर्ती किए जाने वाले आवेदकों की सूची (सॉफ्ट कॉपी) विश्वविद्यालय के प्रवेश की अंतिम तिथि के सात दिनों के भीतर महाविद्यालयों द्वारा अधिष्ठाता (प्रवेश) और निदेशक, डी.यू.एस.सी को भेजी जाएगी।

10. एक आवेदक, अपनी आयु के अनुसार अगले तीन वर्षों के लिए अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए पात्र होना चाहिए और उसे अंशकालिक/पूर्णकालिक आधार पर कहीं भी नियोजित नहीं होना चाहिए।
11. महाविद्यालय को झूठे/फर्जी मेरिट/प्रतिभागिता स्पोर्ट्स प्रमाणपत्र के आधार पर प्रवेश पाने के इच्छुक आवेदक का प्रवेश रद्द करने और उस पर एफ.आई.आर दर्ज करवाने की अनुमति होगी।
12. आवेदक को प्रवेश के समय 100/- रुपए के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर एक शपथपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है कि आवेदक महाविद्यालय के लिए अभ्यास और प्रतिभागिता और यदि चयनित किया गया है तो वह निर्धारित खेल प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगा। यदि आवेदक अध्ययन के स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान शपथपत्र का उल्लंघन करता है, तो महाविद्यालय / विश्वविद्यालय को उसके महाविद्यालय में प्रवेश को रद्द करने का अधिकार है।

मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र के अंकन के लिए मानदंड

श्रेणी	**खेल/ खेल का स्तर प्रतियोगिताएं)**	**प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकरण**	**अधिकतम अंक (100)**			
			प्रथम स्थान	**प्रथम स्थान**	**प्रथम स्थान**	**सहभागिता**
क.	ओलंपिक खेलों/विश्व चैम्पियनशिप/ विश्व कप/राष्ट्रमंडल खेलों /एशियाई खेलों/ एशियाई चैम्पियनशिप /दक्षिण एशियाई खेल/ पैरालंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया।	आईओसी/आईएसएफ/ सीजीएफ/ ओसीए/ एसएओसी/ आईपीसी/ आईओए/ एनएसएफ द्वारा मान्यता प्राप्त और युवा मामले और खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) द्वारा वित्त पोषित	**सीधे प्रवेश**			
ख.	अंतर्राष्ट्रीय युवा/ जूनियर प्रतियोगिता/ नेशनल गेम्स/ फेडरेशन कप/सीनियर नेशनल/ नेशनल / अंतर-क्षेत्रीय राष्ट्रीय/ नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 17/19/ खेलो इंडिया स्कूल/युवा खेल अंडर 17/21/ युवा/जूनियर राष्ट्रीय/ सब-जूनियर/आंचलिक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्थान और /या भागीदारी।	आईएसएफ/आईओए/ एनएसएफ द्वारा मान्यता प्राप्त और युवा मामले और खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) /स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) द्वारा और वित्त पोषित है।	98	88	78	68
ग	ज्य प्रतियोगिता/ अंतर-क्षेत्रीय/अंतर-जिला/राज्य सीबीएसई राष्ट्रीय/केवीएस राष्ट्रीय/आईपीएससी राष्ट्रीय/ आईसीएसई राष्ट्रीय/डीएवी राष्ट्रीय /एनवीएस राष्ट्रीय/ विद्या भारती राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्थिति	राज्य खेल संघ / राज्य शिक्षा निदेशालय/राज्य विद्यालय बोर्ड	58	48	38	पात्र नहीं

घ	जिला/ आंचलिक प्रतियोगिता/सीबीएसई क्लस्टर/ज़ोनल, केवीएस/एनवीएस क्षेत्रीय,डीएवी/विद्या	जिला खेल संघ/ जिला/ क्षेत्रीय/क्षेत्रीय शिक्षा निदेशालय/ जिला स्कूल बोर्ड	28	18	08	पात्र नहीं

	भारती ज़ोनल, सुब्रतो कप/स्कूल खेल बोर्ड प्रतियोगिता में स्थिति					

टिप्पणी:

1. इनविटेशनल/मेमोरियल/ओपन/प्राइज मनी लीग/रैंकिंग प्रतियोगिताओं के प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। खेल प्रतियोगिता में मेरिट/भागीदारी के पत्र/पत्रावली पर भी विचार नहीं किया जाएगा।
2. केवल 01 मई, 2017 से 30 अप्रैल, 2020 तक के तीन वर्ष के मेरिट/प्रतिभागिता स्पोर्ट्स प्रमाणपत्रों को स्वीकार किया जाएगा।
3. आवेदक को मेरिट/प्रतिभागिता स्पोर्ट्स प्रमाणपत्रों की तीन स्व-सत्यापित प्रतियां अपलोड करनी होगी।
4. अंकन के लिए केवल अपलोड किए गए उच्चतम मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र पर विचार जाएगा।

7. गैर-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड) एन.सी.डब्ल्यू.ई.बी) में प्रवेश

गैर-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड) एन.सी.डब्ल्यू.ई.बी) उन हजारों युवतियों को शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है जो दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के लिए विभिन्न कारणों से नियमित महाविद्यालय में शामिल नहीं हो सकती और शनिवार/रविवार को शैक्षणिक अवकाश के दौरान कक्षाओं में भाग लेती हैं। एन.सी.डब्ल्यू.ई.बी, एन.सी.टी दिल्ली की छात्राओं को नियमित कक्षाओं में भाग लिए बिना सप्ताह में एक बार विशेष कोचिंग के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षा देने की सुविधा प्रदान करता है। एन.सी.डब्ल्यू.ई.बी छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक विकल्प के रूप में उभरा है।

छात्राओं अब 26 यूजी केंद्रों और एक पी.जी केंद्र में स्थापित है, जिनमें लगभग 32,000 छात्राएं हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में 26 यू.जी केंद्र चलते हैं।
धारा 2.4 और 2.7 में निर्दिष्ट न्यूनतम पात्रता की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली महिला आवेदकों को केंद्रीकृत यूजी प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। उन्हें बी.ए. (प्रोग /(बी .कॉम (पास) (तीन वर्ष (में प्रवेश के लिए गैर-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड के शिक्षण केंद्रों द्वारा स्वीकार किया जाएगा। अनुसूची के अनुसार कट-ऑफ घोषित कर योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। **गैर-कॉलेजिएट छात्राओं को इसके साथ किसी अन्य पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं है।**

एन.सी.टी .दिल्ली में रहने वाली इच्छुक महिला आवेदक एन.सी.डब्ल्यू.ई.बी में प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के चयन के लिए स्वचालित रूप से एन.सी.डब्ल्यू.ई.बी में अर्थात् बी.ए) .प्रोग्राम (या बी.कॉम अथवा दोनों नामांकित हैं। छात्राओ से कक्षाओं में नियमित रूप से भाग लेने की अपेक्षा की जाती है क्योंकि मई के महीने में **सेमेस्टर मोड/सालाना आयोजित की जाने वाली** विश्वविद्यालय परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए न्यूनतम 66.67% उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया गया है। एन.सी.डब्ल्यू.ई.बी की स्नातक-पूर्व छात्राओं को 6 वर्ष में अपने बी.ए ./बी.कॉम के तीन वर्ष के डिग्री कोर्स को पूरा करने की अनुमति है। बोर्ड सभी स्नातक-पूर्व छात्राओं को संबंधित शिक्षण केंद्रों में पुस्तकालय की सुविधा प्रदान करता है। बोर्ड जरूरतमंद और योग्य छात्राओं को शैक्षणिक वर्ष के लिए वित्तीय सहायता और पुस्तक ऋण की सुविधा देता है।
एक शैक्षणिक सत्र वर्ष में 50 शिक्षण दिवस होते हैं, जो शनिवार अथवा रविवार को और दिल्ली विश्वविद्यालय के शैक्षणिक अवकाश के दौरान आयोजित किए जाते हैं। स्नातक-पूर्व केंद्रों में, सुबह 9:00 से शाम 4:00 बजे के बीच कक्षाएं आयोजित की जाती हैं।

शैक्षणिक संस्थानों के मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग और नाममात्र का शुल्क शिक्षण के गैर-कॉलेजिएट पाठ्यक्रम का एक प्रमुख लाभ है। छात्राओं को कौशल विकास कार्यशालाओं, रोजगार के लिए प्लेसमेंट ड्राइव, स्वास्थ्य शिविर, पर्यावरण जागरूकता जैसी विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विभिन्न सांस्कृतिक और पाठ्येतर गतिविधियां छात्राओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक अवसर प्रदान करती हैं। महिलाओं की शिक्षा के लिए एक नया क्षितिज हासिल करने की दिशा में, एन.सी.डब्ल्यू.ई.बी महिलाओं को सशक्त बनाने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे, लेकिन आश्वस्त कदम उठा रही है। यह समग्र विकास प्रदान करने और सामाजिक परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए शैक्षिक और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं के दिमाग को प्रबुद्ध करने और उनके रोजगार को बढ़ाने के लिए एक समतावादी समाज के उद्भव के लिए अग्रणी है।

बी. ए.(प्रोग्राम)/बी. कॉम. की प्रवेश प्रक्रिया

(i) बी.ए. (प्रोग्राम) के विषय संयोजनों में सीटों की संख्या निश्चित है। अ.जा./ अ.ज.जा. / अ.पि.व. /ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी/सीडब्ल्यू के लिए विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार आरक्षण लागू होगा।

(ii) कट-ऑफ प्रतिशत का निर्धारण अनुभाग 2.4 और 2.7 में दिए मानदंड के अनुसार" सर्वश्रेष्ठ चार " विषयों में योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।

(iii) ***प्रवेश प्रक्रिया के दौरान एन.सी.डब्ल्यू.ई.बी के किसी एक केंद्र में प्रवेश लेने वाली किसी भी छात्रा को बाद के किसी भी चरण में केंद्र बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।***

दिल्ली विश्वविद्यालय के घटक/संबद्ध महाविद्यालयों में एन.सी.डब्ल्यू.ई.बी केंद्रों की सूची इस प्रकार है:

वर्तमान एन.सी.डब्ल्यू.ई.बी स्नातक-पूर्व केंद्रों की सूची (रविवार को खुले रहने वाले)*:

1. अदिति महाविद्यालय
2. भारती महाविद्यालय
3. डॉ .भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय
4. जानकी देवी मेमोरियल महाविद्यालय
5. कालिंदी महाविद्यालय
6. लक्ष्मी बाई महाविद्यालय
7. महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय
8. मैत्रेयी महाविद्यालय
9. माता सुंदरी महाविद्यालय
10. मिरांडा महाविद्यालय
11. मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय
12. पीजीडीएवी महाविद्यालय
13. राजधानी महाविद्यालय
14. सत्यवती महाविद्यालय (सांध्य)
15. श्री गुरु गोबिंद सिंह वाणिज्य महाविद्यालय
16. श्री अरबिंदो महाविद्यालय
17. विवेकानंद महाविद्यालय

वर्तमान एन.सी.डब्ल्यू.ई.बी स्नातक-पूर्व केंद्रों की सूची (शनिवार को खुले रहने वाले)*:

1. आर्यभट्ट महाविद्यालय
2. भगिनी निवेदिता महाविद्यालय
3. व्यवसायिक अध्ययन महाविद्यालय
4. दीन दयाल उपाध्याय महाविद्यालय

5. हंसराज महाविद्यालय
6. जीसस एंड मैरी महाविद्यालय
7. केशव महाविद्यालय
8. रामानुजन महाविद्यालय
9. श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय

*** विश्वविद्यालय को बिना किसी पूर्व सूचना के एन.सी.डब्ल्यू.ई.बी के लिए और केंद्रों को जोड़ने का अधिकार है।**

सामान्य जानकारी:

- प्रवेश के समय आवेदकों को अपना मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- प्रवेश शुल्क लगभग रु. 3,500 (तीन हजार पांच सौ रुपए) होगा।
- पी.डब्ल्यू.बीडी श्रेणी के छात्रों से केवल 100/- रुपए (एक सौ रुपए) का शुल्क लिया जाएगा।
- गैर-कॉलेजिएट छात्राओं को किसी अन्य पूर्णकालिक/डिग्री पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं है।
- यह सुझाव दिया जाता है कि यदि संभव हो तो छात्राएं अपने निवास के पास के किसी केंद्र में प्रवेश ले सकती हैं।
- **मूल रूप से एन.सी.टी दिल्ली (अर्थात आधार कार्ड/पासपोर्ट/वोटर आईडी कार्ड/आवेदक के नाम पर ड्राइविंग लाइसेंस और आवेदक के नाम के साथ राशन कार्ड) का निवासी होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।**
- आवेदकों को प्रवेश के लिए आगे की जानकारी और अनुसूची के लिए, निदेशक, गैर-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड, ट्यूटोरियल बिल्डिंग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली -110007 से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट http://www.ncweb.du.ac.in देखें
- प्रवेश की मंजूरी के बाद, आवेदक को शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए स्नातक प्रवेश पोर्टल पर लॉग ऑन करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अनुमोदन के 24 घंटे के भीतर शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए।

8. अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में प्रवेश

दिल्ली विश्वविद्यालय में छह अल्पसंख्यक महाविद्यालय हैं, जो नीचे सूचीबद्ध हैं:

ईसाई अल्पसंख्यक:

- जीसस एंड मैरी महाविद्यालय
- सेंट स्टीफन महाविद्यालय

सिक्ख अल्पसंख्यक:

- माता सुंदरी महाविद्यालय
- श्री गुरु गोबिंद सिंह महाविद्यालय ऑफ कॉमर्स
- श्री गुरु नानक देव खालसा महाविद्यालय
- श्री गुरु तेग बहादुर खालसा महाविद्यालय

ईसाई अल्पसंख्यक कॉलेजों में आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों के लिए अल्पसंख्यक कॉलेजों द्वारा प्रदान किए गए ऑनलाइन फॉर्म में विश्वविद्यालय पंजीकरण संख्या दर्ज करना अनिवार्य है। आवेदक को अधिक जानकारी के लिए संबंधित महाविद्यालय की वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

प्रवेश के समय सिख अल्पसंख्यक कॉलेजों के आवेदकों को अपने अल्पसंख्यक दर्जे को प्रमाणित करने के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डी.एस.जी.एम.सी) से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

सेंट स्टीफन महाविद्यालय के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

- आवेदक पहले दिल्ली विश्वविद्यालय पोर्टल पर पंजीकरण करें और विश्वविद्यालय पंजीकरण संख्या प्राप्त करें।
- विश्वविद्यालय पंजीकरण संख्या के बिना सेंट स्टीफन महाविद्यालय प्रवेश पोर्टल तक पहुंच संभव नहीं है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन फॉर्म के दोनों सेट का उपयोग करते समय एक ही संपर्क विवरण और ईमेल आईडी का उपयोग करें।
- पंजीकरण प्रक्रिया (सेंट स्टीफन महाविद्यालय प्रवेश पोर्टल पर) पूरा करने के बाद, आवेदक आवेदन पत्र भरना, प्रमाणपत्र अपलोड करना और शुल्क का भुगतान करना शुरू करता है। सफल समापन (पंजीकरण + फॉर्म भरने के बाद) पोर्टल एक आवेदन संख्या (जो सेंट स्टीफन महाविद्यालय में भविष्य के संदर्भ के लिए आवश्यक है) के साथ एक रसीद बनाता है।

9. प्रवेश के लिए अपेक्षाएं

9.1 उत्तीर्ण परीक्षाएं

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के उद्देश्य से अर्हक परीक्षाएँ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा (कक्षा XII) या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा होगी।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक आवेदकों को बाद के वर्गों में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए निर्दिष्ट न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाली योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए।

9.2 आयु संबंधी अपेक्षा

विश्वविद्यालय के अध्यादेश- I के अनुसार, उन पाठ्यक्रमों को छोड़कर जहां मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई), ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई), बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई), नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई), डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई), इत्यादि संबंधित नियामक निकायों ने अपने यहां न्यूनतम आयु को फिर से निर्धारित किया है, विश्वविद्यालय और इसके कॉलेजों में स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं है।

स्नातक पूर्व-पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए अंतराल वर्ष बाधा नहीं होगी

9.3 समतुल्यता मानदंड

भारतीय विश्वविद्यालय एसोसिएशन/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त/संबंधित महाविद्यालयों में स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए बोर्डों/विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा निकायों से महाविद्यालय/विभाग द्वारा निम्नलिखित सिफारिशों के संदर्भ में आवेदन पर विचार किया जाएगा, जिसका दिनांक 13.01.2005 के विश्वविद्यालय परिपत्र पत्र में उल्लेख किया गया है।

भारतीय विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)/भारत में स्कूल शिक्षा बोर्ड की परिषद (सीओबीएसई)/मानव संसाधन विकास मंत्रालय या किसी द्विपक्षीय समझौते द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से विभिन्न डिग्रियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय के संबंधित डिग्री के बराबर माना जाता है और विभागों/कॉलेजों को अपनी संबंधित प्रवेश समितियों के माध्यम से आगे की प्रक्रिया विकसित करने की अनुमति दी जा सकती है।

एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज/ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न बोर्डों के सीनियर स्कूल प्रमाणपत्र को विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों के पात्रता के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय बोर्ड के सीनियर स्कूल प्रमाणपत्र के बराबर माना जाता है।

विदेशी विश्वविद्यालयों/बोर्डों के विभिन्न डिग्री/स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को, जिन्हें समतुल्यता समिति द्वारा पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है, समय-समय पर पात्र माना जाता है। केवल उन आवेदकों के मामले में जो भारतीय विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)/ भारतीय स्कूल शिक्षा बोर्ड की परिषद (सीओबीएसई)/मानव विकास

किसी भी बोर्ड/स्कूल द्वारा जारी अनुमानित अंकों के आधार पर किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

मंत्रालय की एसोसिएशन की सूची में नहीं आते हैं, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय की व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर विश्वविद्यालय में भेजा जाएगा।

9.4 ग्रेड रूपांतरण [ए.सी निर्णय संख्या 319, दिनांकित 22.3.1976 के अनुसार]

कैम्ब्रिज स्कूल प्रमाणपत्र/मलेशिया/ओवरसीज/अफ्रीकन जीसीई/ एग्जामिनेशन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन और/या अमेरिकन एम्बेसी स्कूल, नई दिल्ली के हायर सेकंडरी में दिए गए अंकों के प्रतिशत के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के उद्देश्य से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के 12वीं कक्षा की परीक्षा का फॉर्मूले/समतुल्यता।

ग्रेड	प्रत्येक ग्रेड का न्यूनतम %	ग्रेड	माध्य परिणामी प्रतिशत
1	90	ए	90
2	75	बी	75
3	66	सी	60
4	61	डी	40
5	57	ई	30
6	51	एफ	अनुत्तीर्ण
7	47		
8	40		

9	अनुत्तीर्ण		

9.4.1 आई.बी छात्रों के लिए प्रवेश (अंक योजना के लिए आई.बी ग्रेड)

ग्रेड	**भारतीय समकक्ष अंक**	
7	**96-100**	**मध्य बिंदु 98**
6	**83-95**	**मध्य बिंदु 89**
5	**70-82**	**मध्य बिंदु 76**
4	**56-69**	**मध्य बिंदु 62.5**
3	**41-55**	**मध्य बिंदु 48**
2	**21-40**	**मध्य बिंदु 30.5**
1	**01-20**	**मध्य बिंदु 10.5**

9.4.2 कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश (अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा)

ग्रेड	**प्रतिशत एकरूप अंक सीमा**	**माध्य परिणामी प्रतिशत**
ए*	90 - 100	मध्य बिंदु 95
ए*	**80-89**	**मध्य बिंदु 85**
बी	**70-79**	**मध्य बिंदु 75**
सी	**60-69**	**मध्य बिंदु 65**
डी	**50-59**	**मध्य बिंदु 55**
ई	**40-49**	**मध्य बिंदु 45**

- जहां भी जी.सी.ई. प्रमाणपत्र ग्रेड को इंगित करता है; यह प्रवेश आवश्यकताओं के प्रयोजनों के लिए भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा के ग्रेड के बराबर होगा। (ग्रेड रूपांतरण देखें)
- ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक आवेदकों को उन्नत स्तर पर विषय उत्तीर्ण होना चाहिए। जियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स पाठ्यक्रम के लिए, आवेदक को भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान/ गणित/ जीव विज्ञान में से एक विज्ञान विषय में उन्नत स्तर पर पास होना चाहिए।

भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान में ऑनर्स कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदक को सामान्य स्तर परगणित और अतिरिक्त गणित और उन्नत स्तर पर इनमें से कम से कम एक विषय में निम्न में उत्तीर्ण होना चाहिए: (1) शुद्ध गणित (2) अनुप्रयुक्त गणित (3) गणित (शुद्ध और अनुप्रयुक्त) और (4) (4) आगे, गणित या अतिरिक्त स्तर पर उन्नत स्तर पर एक गणित विषय।

कैम्ब्रिज इंटरनेशनल परीक्षाओं के नामकरण को 2017 से कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन में बदल दिया गया है। ।

इसके अलावा, विश्वविद्यालय इस बोर्ड से 10 + 2 परीक्षा पास करने वाले आवेदकों के साथ अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 + 2 उत्तीर्ण करने वाले और विश्वविद्यालय के यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए योग्य माने जाएंगे।

इसके अलावा, विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश उद्देश्यों के लिए प्रतिशत एकरूप अंकों का उपयोग किया जाएगा। जहां प्रतिशत में समान अंक उपलब्ध हैं वहां ग्रेड्स को अंकों में नहीं बदला जाएगा।

यदि कोई बोर्ड ग्रेड के साथ-साथ अलग-अलग विषयों के प्रतिशत अंकों की घोषणा करता है, तो प्रतिशत अंकों को ध्यान में रखा जाएगा।

9.5 पुन:जांच/पुनर्मूल्यांकन

महाविद्यालय उन आवेदकों के प्रवेश पर विचार करेंगे जिनके अंक उनके संबंधित बोर्डों द्वारा पुनर्मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया में बढ़ जाते हैं, बशर्ते कि प्रवेश की निर्धारित अवधि के भीतर इस तरह के आवेदक पाठ्यक्रम/ महाविद्यालय द्वारा प्रवेश और सीटों के लिए निर्धारित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय प्रवेश पोर्टल पर सभी जानकारी को अपडेट करने की आवश्यकता होगी।

10. पंजीकरण के समय आवश्यक दस्तावेजों की सूची

पंजीकरण के समय आवेदकों को निम्नलिखित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करनी होंगी और प्रवेश प्रक्रिया के अंत में प्रत्यक्ष सत्यापन के समय मूल में दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा।

1. कक्षा-X का प्रमाणपत्र (अंक पत्र अथवा प्रमाण-पत्र) जिसमें जन्मतिथि और माता-पिता के नाम का संकेत होता है* (अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व/ई.डब्ल्यू.एस/सी.डब्ल्यू/के.एम के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले आवेदकों का नाम आरक्षण प्रमाणपत्र पर दिए नामों के साथ मेल खाना चाहिए। इसी तरह उनके माता-पिता के नाम प्रमाणपत्रों के दोनों सेटों में मेल खाने चाहिए)।
2. कक्षा-XII का अंकपत्र (मार्कशीट)।
3. उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व/ई.डब्ल्यू.एस/सी.डब्ल्यू/के.एम प्रमाणपत्र (आवेदक के नाम पर)। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ ई.डब्ल्यू.एस/सी.डब्ल्यू/के.एम के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले आवेदकों के नाम उनके संबंधित स्कूल बोर्ड योग्यता प्रमाणपत्रों पर दिखाई देने वाले नामों से मेल खाने चाहिए; इसी तरह प्रमाणपत्रों के दोनों सेटों में उनके माता-पिता के नाम मेल खाने चाहिए)।
4. उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अ.पि.व. (गैर-क्रीमीलेयर) प्रमाणपत्र (आवेदक के नाम पर), जिसमें उल्लिखित जाति http://ncbc.nic.in द्वारा जारी अ.पि.व. की केंद्रीय सूची में शामिल है। (अ.पि.व. (गैर-क्रीमीलेयर परत) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले आवेदक का नाम आवेदक के नाम उनके संबंधित स्कूल बोर्ड के क्वालीफिकेशन प्रमाणपत्रों पर दिए नाम के साथ मेल खाना चाहिए; इसी तरह प्रमाणपत्रों के दोनों सेट में उनके माता-पिता के नाम मेल खाने चाहिए)। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आय प्रमाण-पत्र, 31 मार्च, 2020 या उसके बाद, जैसा कि निर्धारित किया गया हो, की आवश्यकता होगी। अ.पि.व प्रमाणपत्र का प्रारूप 2014 में जारी डी.ओ.पी.टी प्रमाणपत्र के अनुसार है। (परिशिष्ट-VI)
5. आवेदक को प्रमाणित करने वाले सक्षम प्राधिकारी से ई.डब्ल्यू.एस प्रमाणपत्र (परिशिष्ट V) प्राप्त आवेदक इस श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का दावा कर सकता है। (इस श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले आवेदक का नाम आवेदक के नाम उनके संबंधित स्कूल बोर्ड के क्वालीफिकेशन प्रमाणपत्रों पर दिए नाम के साथ मेल खाना चाहिए; इसी तरह प्रमाणपत्रों के दोनों सेट में उनके माता-पिता के नाम मेल खाने चाहिए))। 31 मार्च, 2020 को या उसके बाद निर्धारित वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आय प्रमाणपत्र आवश्यक होगा।

6. ईसीए/खेल श्रेणियों के माध्यम से प्रवेश का दावा करने वाले किसी भी आवेदक को सूचना के इस बुलेटिन की धारा 6 में निर्धारित के अनुसार आवश्यक प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियों को अपलोड करना होगा और संबंधित आवश्यक प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करना होगा।

आवेदक पंजीकरण के समय अपलोड की गई छवियों(इमेजेज) की गुणवत्ता और प्रामाणिकता के लिए जिम्मेदार होंगे। आवेदकों को यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखना चाहिए कि अपलोड किए गए दस्तावेज विश्वसनीय और सटीक हैं। आवेदक मांग के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होंगे। महाविद्यालय/विभाग द्वारा बाद के चरण में किसी भी आवश्यक प्रत्यक्ष सत्यापन के पूरा होने के बाद सभी

यदि पंजीकरण के समय आवेदकों के पास उनका हाल का/वैध ई.डब्ल्यू.एस/अ.पि.व (गैर-क्रीमीलेयर) / अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाणपत्र नहीं है, तो आवेदक प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने की पावती पर्ची अपलोड कर सकते हैं। हालांकि, प्रवेश के समय, आवेदक को अपने हाल के/वैध मूल ई.डब्ल्यू.एस/ओ.बी.सी (गैर-क्रीमीलेयर)/अ.जा./ अ.ज.जा. प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे।

प्रमाणपत्र/दस्तावेज आवेदक को वापस कर दिए जाएंगे।

11. प्रवेश संबंधी शिकायत समितियाँ

एक केंद्रीय प्रवेश शिकायत समिति होगी, जो अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में स्थित होगी। हर महाविद्यालय की अपनी शिकायत समिति होगी। आवेदक "शिकायत" टैब के अंतर्गत विश्वविद्यालय के स्नातक पोर्टल पर दिए गए लिंक का उपयोग करके एक ई-मेल भेज सकते हैं। संबंधित महाविद्यालय के महाविद्यालय सूचना पट्ट पर महाविद्यालय शिकायत समिति के सदस्यों के नाम भी प्रदर्शित किए जाएंगे। प्रवेश के बारे में शिकायतों वाले आवेदकों को पहले महाविद्यालय की शिकायत समिति से संपर्क करना चाहिए। यदि उचित समय के भीतर शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है, तो आवेदक केंद्रीय प्रवेश शिकायत समिति से संपर्क कर सकता है।

अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व/ई.डब्ल्यू.एस और पी.डब्ल्यू.बीडी आवेदकों की शिकायतों पर गौर करने के लिए एक अन्य शिकायत उप समिति होगी। प्रत्येक महाविद्यालय में अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व/ई.डब्ल्यू.एस के लिए एक अलग शिकायत समिति भी होगी, जिसमें तीन सदस्यों को शामिल किया जाएगा, और संयोजक के रूप में संपर्क अधिकारी होगा। महाविद्यालय, महाविद्यालय की वेबसाइट पर अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व/ई.डब्ल्यू.एस आवेदकों की शिकायत समिति के सदस्यों के नाम, संपर्क नंबर और ई-मेल पता प्रदर्शित करेंगे और आवेदकों की जरूरतों / प्रश्नों की सुविधा के लिए इसे सूचना पट्ट पर भी लगाएंगे।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण अध्यादेश

सफल आवेदकों के लिए विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का पालन करना आवश्यक होगा और प्रवेश के समय इस आशय का एक लिखित उपक्रम प्रदान करना आवश्यक होगा। महत्वपूर्ण अध्यादेशों के कुछ सारांश यहां पुन: प्रस्तुत किए गए हैं।

अध्यादेश XV-बी: विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना

1. अनुशासन और अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित सभी शक्तियां कुलपति में निहित होती हैं।
2. कुलपति, कुलानुशासक(प्रॉक्टर) और ऐसे अन्य व्यक्तियों को जिन्हें वह इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है, सभी या ऐसी शक्तियों को सौंप सकता है, जिन्हें वह उनके लिए उचित समझता है।
3. अध्यादेश के अंतर्गत अनुशासन को लागू करने के लिए शक्ति की व्यापकता के पक्षपात के बिना सकल अनुशासनहीनता के कृत्यों के लिए निम्नलिखित लागू होंगे:
   क. किसी भी संस्थान/विभाग के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों और दिल्ली विश्वविद्यालय के भीतर किसी भी विद्यार्थी के खिलाफ शारीरिक हमला, या शारीरिक बल का उपयोग करने की धमकी
   ख. किसी भी हथियार के इस्तेमाल की धमकी देना, उसे रखना या उपयोग करना
   ग. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन
   घ. अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित विद्यार्थियों की स्थिति, प्रतिष्ठा और सम्मान का उल्लंघन
   ङ. महिलाओं के लिए अपमानजनक कोई भी कार्य - चाहे मौखिक हो या अन्यथा
   च. किसी भी तरीके से रिश्वत या भ्रष्टाचार का कोई प्रयास
   छ. संस्थागत संपत्ति को जान-बूझकर नष्ट करना
   ज. धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर दुर्भावना या असहिष्णुता उत्पन्न करना
   झ. विश्वविद्यालय प्रणाली के अकादमिक कामकाज के किसी भी तरीके में व्यवधान;
   ञ. अध्यादेश XV-C के अनुसार रैगिंग का निषेध।
4. अनुशासन के रखरखाव से संबंधित उसकी शक्तियां की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और अनुशासन को बनाए रखने के हित में ऐसी कार्रवाई करना, जो उन्हें उचित लग सकती है, कुलपति उपर्युक्त आदेश की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं अथवा किसी भी छात्र अथवा छात्रों को निर्देश दे सकते हैं -
   (क) निष्कासित करना; या
   (ख) एक निश्चित अवधि के लिए निष्कासित; या
   (ग) एक निर्दिष्ट अवधि के लिए, एक महाविद्यालय, विभाग या संस्थान के विश्वविद्यालय के अध्ययन के कार्यक्रमों या कार्यक्रमों में भर्ती न करना; या
   (घ) निर्दिष्ट धनराशि का जुर्माना लगाया जा सकता है; या

(ङ) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या विभागीय परीक्षा या परीक्षाओं में एक या अधिक वर्षों के लिए भाग लेने से वंचित करना, जिस परीक्षा या परीक्षाओं में संबंधित छात्र या छात्रा उपस्थित हुए हैं उन्हें रद्द करना।

5. संबंधित विभागों में संस्थान, हॉल और शिक्षण। वे अपने महाविद्यालय, संस्थानों या विभागों में ऐसे शिक्षकों के माध्यम से अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं या उन्हें इन उद्देश्यों के लिए निर्दिष्ट कर सकते हैं।

6. कुलपति और कुलानुशासक(प्रॉक्टर) की शक्तियों पर पूर्वग्रह के बिना पूर्वोक्त रूप से अनुशासन और उचित आचरण के विस्तृत नियमों को तैयार किया जाएगा। जहां आवश्यक हो, इस विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों के प्राचार्यों, हॉल के प्रमुख, संकायों के डीन और शिक्षकों के प्रमुखों द्वारा इन नियमों को पूरक बनाया जा सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी से इन नियमों की एक प्रति प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी। प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र को एक घोषणा पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी कि प्रवेश करने पर वह अपने को कुलपति और विश्वविद्यालय के कई प्राधिकारियों के अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करता है जिनके पास अधिनियमों, विधियों, अध्यादेशों और नियमों के अंतर्गत, विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए अनुशासन का पालन कराने के अधिकार निहित हो सकते हैं।

अध्यादेश XV-सी: रैगिंग के लिए निषेध और सजा

1. महाविद्यालय/विभाग या संस्थान के परिसर और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रणाली के किसी भी हिस्से में और सार्वजनिक परिवहन के भीतर किसी भी रूप में रैगिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

2. रैगिंग के किसी भी व्यक्ति या सामूहिक कृत्य या व्यवहार में घोर अनुशासनहीनता होती है और इस अध्यादेश के अंतर्गत इससे निपटा जाएगा।

3. इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए रैगिंग का अर्थ ऐसे किसी भी कार्य, आचरण या अभ्यास से है, जिसके द्वारा अन्य छात्रों द्वारा कनिष्ठ या हीन समझे जाने वाले छात्रों पर वरिष्ठ छात्रों का वर्चस्व या छात्रों पर हावी होने की शक्ति या स्थिति बनाई जाती है और इसमें व्यक्तिगत या सामूहिक कार्य या अभ्यास शामिल हैं:

क. शारीरिक बल का उपयोग करने के लिए शारीरिक हमला या धमकी को शामिल करना।

ख. छात्राओं की स्थिति, प्रतिष्ठा और सम्मान का उल्लंघन करें।

ग. अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित छात्रों की स्थिति, प्रतिष्ठा और सम्मान का उल्लंघन करना।

घ. छात्रों का उपहास और अवमानना करना और उनके आत्मसम्मान को प्रभावित करना।

ङ. संपूर्ण मौखिक दुर्व्यवहार और आक्रामकता, अश्लील इशारे और अश्लील व्यवहार।

4. महाविद्यालय के प्रिंसिपल, विभागाध्यक्ष या एक संस्था के प्रमुख, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय छात्रावास या हॉल के अधिकारी रैगिंग की घटना की किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई करेंगे।

5. ऊपर दिए गए क्लॉज में कुछ भी नहीं होने के बावजूद, प्रॉक्टर रैगिंग की किसी भी घटना के बारे में पूछताछ कर सकता है और रैगिंग और घटना की प्रकृति में शामिल लोगों की पहचान के बारे में कुलपति को रिपोर्ट कर सकता है।

6. प्रॉक्टर रैगिंग के अपराधियों की पहचान और रैगिंग की घटना की प्रकृति को स्थापित करते हुए एक प्रारंभिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है।

7. यदि किसी महाविद्यालय के प्राचार्य या विभाग के प्रमुख या संस्थान या प्रॉक्टर संतुष्ट हैं और इसे लिखित रूप में दर्ज करते हैं कि किसी कारण से इस तरह की जांच करना प्रायोगिक नहीं है, तो वे तदनुसार कुलपति को सलाह दे सकते हैं।

8. जब कुलपति संतुष्ट हो जाते हैं कि इस तरह की जांच करना वांछनीय नहीं है, तो उसका निर्णय अंतिम होगा।
9. खंड (5) या (6) के अंतर्गत एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर या खंड 7 (क), (ख) और (ग) में वर्णित रैगिंग की घटनाओं की घटना का खुलासा करते हुए खंड (7) के अंतर्गत संबंधित प्राधिकारी द्वारा एक निर्धारण प्राप्त करने पर, कुलपति कुछ विशिष्ट वर्षों के लिए किसी छात्र या छात्रों के निलंबन का आदेश देंगे।

10. हो सकता है कि रैगिंग आदेश के अन्य मामलों में कुलपति निर्देश दे सकते हैं कि किसी भी छात्र या छात्रा को निष्कासित कर दिया जाए या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए, एक महाविद्यालय में अध्ययन के कार्यक्रम में प्रवेश न किया जाए, एक या अधिक वर्षों के लिए विभागीय परीक्षा या कि परिणाम परीक्षा या परीक्षाओं में जिसमें वे उपस्थित थे, उन्हें रद्द कर दिया जाए।
11. दिल्ली विश्वविद्यालय के डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने वाले छात्र के दोषी पाए जाने के मामले में इस अध्यादेश के अंतर्गत, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री या डिप्लोमा को वापस लेने के लिए क़ानून 15 के अंतर्गत उचित कार्रवाई की जाएगी।
12. इस अध्यादेश के उद्देश्य से, रैगिंग करने के लिए किसी भी कृत्य के माध्यम से, रैगिंग का अभ्यास या उकसावे को भी रैगिंग माना जाएगा।
13. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रणाली के अधीन सभी संस्थानों को इस अध्यादेश के अंतर्गत जारी निर्देशों/आदेशों को पूरा करने और अध्यादेश का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कुलपति को सहायता देने के लिए बाध्य किया जाएगा।

अध्यादेश XV-सी के अनुसरण में कुलपति का आदेश : जहां इस अध्यादेश के अंतर्गत किसी भी प्राधिकारी द्वारा रैगिंग की घटना की सूचना कुलपति को दी जाती है, तो रैगिंग में लिप्त दिखाये गये छात्रों को आदेश में निर्दिष्ट समय के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। रैगिंग की रिपोर्टों में शामिल गैर-छात्रों पर भारत के आपराधिक कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी; उन्हें पांच वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी संस्थान में नामांकन प्राप्त करने से अयोग्य करार दिया जाएगा। जिन छात्रों के खिलाफ इस टिप्पणी के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाती है, उन्हें प्राकृतिक न्याय के नियमों का कड़ाई से पालन करने के साथ ही निर्णायक सजा दी जाएगी।

अध्यादेश XV-डी/कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिबंध और निवारण) अधिनियम, 2013 (विधि और न्याय मंत्रालय)

कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने और यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम और निवारण और आकस्मिक चिकित्सा से जुड़े मामलों के लिए एक अधिनियम।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के अंतर्गत पर यौन उत्पीड़न को एक महिला के मौलिक अधिकारों और उसके जीवन के अधिकार का उल्लंघन है और संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उसके गरिमा के साथ जीने और किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को चलाने का अधिकार जिसमें यौन उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार शामिल है;
और यह कि यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा और गरिमा के साथ काम करने का अधिकार महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन पर कन्वेंशन जैसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और उपकरणों द्वारा सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त मानवाधिकार हैं, जिसे 25 जून, 1993 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

और यह कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए उक्त कन्वेंशन को प्रभावी बनाने के लिए प्रावधान करना समीचीन है। जानकारी के लिए, कृपया निम्न वेबसाइट देखेः *http://www.shebox.nic.in/assets/site/main/images/Sexual-Harassment-at-Workplace-Act.pdf.*

परिशिष्ट II महाविद्यालयों द्वारा बी.ए. (प्रोग्राम) में डिसिप्लिन पेपर्स का संयोजन और सीटें

(महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुसार)

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	बी.ए. (प्रोग्राम) के लिए विषयों का संयोजन	सीटों की संख्या						
			कुल सीटें	अनारक्षित	अ. जा.	अ.ज.जा.	अ. पि. व.	ई. डब्ल्यू. एस	अल्पसंख्यक
1	अदिति महाविद्यालय	आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया है							कोई नहीं
2	आर्यभट्ट महाविद्यालय	इतिहास + राजनीति शास्त्र	57	26	9	4	15	3	कोई नहीं
3	आत्मा राम सनातन धर्म महाविद्यालय	संस्कृत + निम्नलिखित में से कोई भी अन्य विषय (अंग्रेजी/ हिंदी/ संस्कृत/ राजनीति शास्त्र/ अर्थशास्त्र/ गणित/ कंप्यूटर एप्लीकेशन इतिहास)	11	3	2	1	3	2	कोई नहीं
		कंप्यूटर एप्लीकेशन + निम्नलिखित में से कोई भी अन्य विषय (अंग्रेजी/हिंदी/ राजनीति शास्त्र/ राजनीति शास्त्र/ अर्थशास्त्र/ गणित/ कंप्यूटर एप्लीकेशन / इतिहास)	11	3	2	1	3	2	कोई नहीं
		गणित + निम्नलिखित में से कोई भी अन्य विषय (अंग्रेजी/ हिंदी/राजनीति शास्त्र/ गणित/ गणित / कंप्यूटर एप्लीकेशन/ इतिहास)।	11	3	2	1	3	2	कोई नहीं
		अंग्रेजी + निम्नलिखित में से कोई भी अन्य विषय (अंग्रेजी / हिंदी / संस्कृत / राजनीति शास्त्र./ अर्थशास्त्र / गणित / कंप्यूटर एप्लीकेशन / इतिहास)	11	3	2	1	3	2	कोई नहीं
		हिंदी + निम्नलिखित में से कोई भी अन्य विषय (अंग्रेजी/ हिंदी/ राजनीति शास्त्र/ राजनीति शास्त्र/ अर्थशास्त्र/ गणित/ कंप्यूटर एप्लीकेशन/ इतिहास)	11	3	2	1	3	2	कोई नहीं
		इनमें में से कोई भी दो विषय (इतिहास/राजनीति शास्त्र/ अर्थशास्त्र)	63	30	8	4	17	4	कोई नहीं
4	भगिनी निवेदिता महाविद्यालय (महिला)	इतिहास+ राजनीति शास्त्र	75	36	11	5	20	3	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + राजनीति शास्त्र	40	19	6	3	11	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + इतिहास	40	19	6	3	11	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + गणित	29	14	4	2	8	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + अंग्रेजी	10	4	2	0	3	1	कोई नहीं
		अंग्रेजी + राजनीति शास्त्र	11	4	2	1	3	1	कोई नहीं
		अंग्रेजी + इतिहास	11	4	2	1	3	1	कोई नहीं
		अंग्रेजी + गणित	9	4	1	0	3	1	कोई नहीं
		हिंदी + राजनीति शास्त्र	20	9	3	2	5	1	कोई नहीं
		हिंदी + इतिहास	20	9	3	2	5	1	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + राजनीति शास्त्र	20	9	3	2	5	1	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + इतिहास	20	9	3	2	5	1	कोई नहीं

5	भारती महाविद्यालय (महिला)	पंजाबी+ संगीत	10	3	2	1	3	1	कोई नहीं
		इतिहास + संगीत	13	5	2	1	4	1	कोई नहीं
		मानव विकास और परिवार अधिकारिता (एचडीएफई) + राजनीति शास्त्र	36	14	5	3	10	4	कोई नहीं
5	भारती महाविद्यालय(महिला)	अर्थशास्त्र + राजनीति शास्त्र	23	10	3	2	6	2	कोई नहीं
		पंजाबी + इतिहास	7	3	1	0	2	1	कोई नहीं
		पंजाबी +कार्यालय प्रबंधन और सचिव अभियास (ओएमएसपी)	5	2	1	0	1	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + ओएमएसपी	15	6	2	1	4	2	कोई नहीं
		इतिहास + ओएमएसपी	5	2	1	0	1	1	कोई नहीं
		कंप्यूटर एप्लीकेशन्स+ अर्थशास्त्र	14	6	2	1	4	1	कोई नहीं
		कंप्यूटर एप्लीकेशन्स+ राजनीति शास्त्र	12	5	2	1	3	1	कोई नहीं
		कंप्यूटर एप्लीकेशन्स+ ओएमएसपी	18	7	3	1	5	2	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + इतिहास	12	5	2	1	3	1	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + राजनीति शास्त्र	12	5	2	1	3	1	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + संगीत	14	6	2	1	4	1	कोई नहीं
		इतिहास + राजनीति शास्त्र	23	10	3	2	6	2	कोई नहीं
		संगीत + राजनीति शास्त्र	12	5	2	1	3	1	कोई नहीं
6	डॉभीमराव अंबेडकर . महाविद्यालय	अर्थशास्त्र + भूगोल	38	15	6	3	10	4	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + एचआरएम	19	8	3	2	5	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + गणित	29	11	4	3	8	3	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + ओएमएसपी	24	9	4	2	6	3	कोई नहीं
		भूगोल + मनोविज्ञान	19	8	3	2	5	1	कोई नहीं
		इतिहास + अंग्रेजी अध्ययन	29	11	4	2	9	3	कोई नहीं
		इतिहास + हिंदी अध्ययन	29	11	4	2	9	3	कोई नहीं
		इतिहास + राजनीति शास्त्र	50	20	7	4	14	5	कोई नहीं
		इतिहास + उर्दू	19	9	3	1	5	1	कोई नहीं
		गणित + एचआरएम	10	4	2	1	2	1	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + कार्यात्मक हिंदी	29	11	5	2	8	3	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + हिंदी विषय	29	11	4	2	8	4	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + उर्दू	19	10	2	1	5	1	कोई नहीं
		मनोविज्ञान + अंग्रेजी विषय	21	8	3	2	6	2	कोई नहीं
		मनोविज्ञान + एचआरएम	13	6	2	1	3	1	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + ओएमएसपी	13	6	2	1	3	1	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + राजनीति शास्त्र	14	6	2	1	4	1	कोई नहीं
7	दौलत राम महाविद्यालय (महिला)	गणित और अर्थशास्त्र	22	10	3	1	6	2	कोई नहीं
		इतिहास और राजनीति शास्त्र	22	9	3	2	6	2	कोई नहीं
		एनएचई और संगीत	22	9	3	2	6	2	कोई नहीं
		ईएसबी और एनएचई	22	9	3	2	6	2	कोई नहीं
		दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान	22	9	3	2	6	2	कोई नहीं
		शारीरिक शिक्षा और राजनीति शास्त्र	29	10	5	2	8	4	कोई नहीं
		शारीरिक शिक्षा और हिंदी	29	10	5	2	8	4	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र और संगीत	22	9	3	2	6	2	कोई नहीं
		इतिहास और अंग्रेजी (वैक.)	21	10	3	2	5	1	कोई नहीं
8	दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय	अर्थशास्त्र + इतिहास	40	16	6	3	11	4	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + राजनीति शास्त्र	40	16	6	3	11	4	कोई नहीं
		इतिहास + राजनीति शास्त्र	40	16	6	3	11	4	कोई नहीं

9	दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस	लेखांकन ऐर वित्त + कंप्यूटर एप्लीकेशन्स	14	5	2	1	4	2	कोई नहीं
		विज्ञापन, बिक्री संवर्धन और बिक्री प्रबंधन (एएसपीएसएम) + अर्थशास्त्र	15	6	3	1	3	2	कोई नहीं
		कंप्यूटर एप्लीकेशन्स+ गणित	14	6	2	1	4	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम)	15	6	2	1	4	2	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + गणित	14	6	3	1	3	1	कोई नहीं
		अंग्रेजी + जर्मन	14	6	2	1	4	1	कोई नहीं
		अंग्रेजी + स्पेनिश	14	6	2	1	4	1	कोई नहीं
		हिंदी + इतिहास	15	6	2	1	4	2	कोई नहीं
		हिंदी + शारीरिक शिक्षा	14	5	2	2	4	1	कोई नहीं
		हिंदी + राजनीति शास्त्र	14	6	2	1	4	1	कोई नहीं
		इतिहास + राजनीति शास्त्र	14	6	2	1	4	1	कोई नहीं
		ऑपरेशनल रिसर्च ओआर)) + कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स	14	5	2	1	4	2	कोई नहीं
10	देशबंधु महाविद्यालय	इतिहास + राजनीति शास्त्र	68	25	10	7	22	4	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + राजनीति शास्त्र	20	7	4	2	5	2	कोई नहीं
		अंग्रेजी + राजनीति शास्त्र	14	5	2	1	4	2	कोई नहीं
		दर्शन शास्त्र+ राजनीति शास्त्र	9	4	1	1	2	1	कोई नहीं
		हिंदी + राजनीति शास्त्र	9	4	1	1	2	1	कोई नहीं
		गणित + राजनीति शास्त्र	5	2	1	0	1	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + राजनीति शास्त्र	6	3	1	0	2	0	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + इतिहास	11	5	1	1	3	1	कोई नहीं
		अंग्रेजी + इतिहास	6	3	1	0	1	1	कोई नहीं
		इतिहास + दर्शन शास्त्र	5	2	1	1	1	0	कोई नहीं
		इतिहास + गणित	5	2	1	0	1	1	कोई नहीं
		हिंदी + इतिहास	9	4	1	1	2	1	कोई नहीं
		इतिहास + राजनीति शास्त्र	9	4	1	1	2	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + अंग्रेजी	9	4	1	1	3	0	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + दर्शन शास्त्र	5	2	1	0	1	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + गणित	5	2	1	0	1	1	कोई नहीं
		अंग्रेजी + दर्शन शास्त्र	16	6	2	1	5	2	कोई नहीं
		अंग्रेजी + गणित	5	2	1	0	1	1	कोई नहीं
		गणित + दर्शन शास्त्र	5	2	1	0	1	1	कोई नहीं
		हिंदी + दर्शन शास्त्र	5	2	1	0	1	1	कोई नहीं
		दर्शन शास्त्र+ राजनीति शास्त्र	6	3	1	0	2	0	कोई नहीं

11	दयाल सिंह महाविद्यालय	अर्थशास्त्र+अंग्रेजी	7	3	1	1	2	0	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + वाणिज्य	22	10	3	2	6	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र+ भूगोल	5	3	1	0	1	0	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र+ इतिहास	5	2	1	0	1	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र+ गणित	12	5	2	1	3	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र+ दर्शन शास्त्र	6	3	1	0	2	0	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र+ राजनीति शास्त्र	4	2	0	1	1	0	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र+ पंजाबी	6	2	1	0	2	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र+ उर्दू	6	3	1	0	2	0	कोई नहीं
		भूगोल+ बांग्ला	5	3	1	0	1	0	कोई नहीं
		भूगोल+ हिंदी	7	2	1	1	3	0	कोई नहीं
		भूगोल+ इतिहास	5	2	1	1	1	0	कोई नहीं
		भूगोल+ गणित	10	5	2	0	3	0	कोई नहीं
		भूगोल+ राजनीति शास्त्र	4	2	0	0	1	1	कोई नहीं
		भूगोल+ राजनीति शास्त्र	6	2	1	1	1	1	कोई नहीं
		इतिहास+ बांग्ला	9	4	2	0	3	0	कोई नहीं
		इतिहास+ अंग्रेजी	7	3	1	0	2	1	कोई नहीं
		इतिहास+ हिंदी	8	4	1	0	2	1	कोई नहीं
		इतिहास+ दर्शन शास्त्र	8	4	1	1	2	0	कोई नहीं
		इतिहास+ राजनीति शास्त्र	7	3	1	1	2	0	कोई नहीं
11	दयाल सिंह महाविद्यालय	इतिहास+ पंजाबी	8	4	1	1	2	0	कोई नहीं
		इतिहास+ राजनीति शास्त्र	8	4	1	1	2	0	कोई नहीं
		इतिहास+ उर्दू	8	3	1	1	2	1	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र+ बांग्ला	11	5	2	1	2	1	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र+ अंग्रेजी	8	4	1	1	2	0	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र+ हिंदी	7	3	2	0	2	0	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र+ दर्शन शास्त्र	8	3	1	1	2	1	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र+ पंजाबी	8	4	1	0	2	1	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र+ राजनीति शास्त्र	8	4	1	0	3	0	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र+ उर्दू	8	4	1	1	2	0	कोई नहीं
12	दयाल सिंह सांध्य महाविद्यालय	कंप्यूटर एप्लीकेशन्स + अर्थशास्त्र)	60	24	9	4	17	6	कोई नहीं
		एचआरएम + अर्थशास्त्र	60	24	9	4	17	6	कोई नहीं
		ओएमएसपी + राजनीति शास्त्र/इतिहास	60	24	9	4	17	6	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र +इतिहास /अर्थशास्त्र	61	24	9	5	16	7	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + इतिहास/अर्थशास्त्र	61	24	10	5	16	6	कोई नहीं
		ऑपरेशनल रिसर्च + अर्थशास्त्र	61	25	9	5	16	6	कोई नहीं
		उर्दू/पंजाबी + इतिहास	61	25	9	5	16	6	कोई नहीं

13	गार्गी महाविद्यालय	अंग्रेजी अध्ययन + मनोविज्ञान	12	डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया					कोई नहीं
		अंग्रेजी अध्ययन + दर्शन शास्त्र	7	डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया					कोई नहीं
		अंग्रेजी अध्ययन + इतिहास	6	डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया					कोई नहीं
		अंग्रेजी अध्ययन + जर्मन	11	डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया					कोई नहीं
		हिंदी अध्ययन + इतिहास	11	डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया					कोई नहीं
		हिंदी डिसिप्लीन + राजनीति शास्त्र	22	डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया					कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + मनोविज्ञान	11	डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया					कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + राजनीति शास्त्र	12	डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया					कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + गणित	6	डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया					कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + कंप्यूटर एप्लीकेशन्स	6	डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया					कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + ईएसबी (उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय)	15	डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया					कोई नहीं
		मनोविज्ञान + दर्शन शास्त्र	6	डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया					कोई नहीं
		दर्शन शास्त्र+ इतिहास	6	डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया					कोई नहीं
		दर्शन शास्त्र+ राजनीति शास्त्र	16	डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया					कोई नहीं
		इतिहास + राजनीति शास्त्र	43	डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया					कोई नहीं
		इतिहास + जर्मन	6	डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया					कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + जर्मन	11	डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया					कोई नहीं
		गणित + कंप्यूटर एप्लीकेशन्स	6	डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया					कोई नहीं
13	गार्गी महाविद्यालय	गणित+ईएसबी उद्यमिता और लघु व्यवसाय))	6	डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया					कोई नहीं
		कंप्यूटर एप्लीकेशन्स+ ईएसबी (उद्यमिता और लघु व्यवसाय)	11	डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया					कोई नहीं
14	हंसराज महाविद्यालय	अर्थशास्त्र+ वाणिज्य	50	20	8	4	14	4	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र+ इतिहास	50	20	8	4	14	4	कोई नहीं
		दर्शन शास्त्र+ इतिहास	50	20	8	4	14	4	कोई नहीं
		शारीरिक शिक्षा+ इतिहास	50	20	8	4	14	4	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + इतिहास	50	20	8	4	14	4	कोई नहीं
15	हिंदू महाविद्यालय	इतिहास + राजनीति शास्त्र	13	5	2	1	4	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + अंग्रेजी	13	5	2	1	4	1	कोई नहीं
		हिंदी + दर्शन शास्त्र	12	5	2	1	3	1	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + राजनीति शास्त्रा	12	5	2	1	3	1	कोई नहीं
16	इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय	अंग्रेजी डी + इतिहास	12	5	2	1	3	1	कोई नहीं
		अंग्रेजी-डी + राजनीति शास्त्र	12	5	2	1	3	1	कोई नहीं
		अंग्रेजी डी+ मनोविज्ञान	18	7	3	1	5	2	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + मानव संसाधन प्रबंधन	30	12	4	2	9	3	कोई नहीं
		हिंदी-डी + इतिहास (हिंदी माध्यम)	12	5	2	1	3	1	कोई नहीं
		कंप्यूटर साइंस+ गणित	15	6	2	1	3	3	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + गणित	12	5	2	1	3	1	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र-डी + दर्शन शास्त्र	12	5	2	1	3	1	कोई नहीं
		हिंदी-डी+ राजनीति शास्त्र (हिंदी माध्यम)	12	5	2	1	3	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + राजनीति शास्त्र	30	12	4	2	9	3	कोई नहीं
		इतिहास+ दर्शन शास्त्र	20	8	3	1	5	3	कोई नहीं
		इतिहास+ राजनीति शास्त्र	60	25	8	5	17	5	कोई नहीं
		मानव संसाधन प्रबंधन+मनोविज्ञान	18	7	3	1	5	2	कोई नहीं
		मानव विकास और परिवार अधिकारिता (एचडीएफई) +मनोविज्ञान	11	4	2	1	3	1	कोई नहीं
		मानव विकास और परिवार अधिकारिता (एचडीएफई) +अंग्रेजी- डी	11	4	2	1	3	1	कोई नहीं

17	जानकी देवी मेमोरियल महाविद्यालय	अर्थशास्त्र + गणित	17	7	3	1	4	2	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + एचडीएफई	9	3	2	1	2 1	कोई नहीं	
		अर्थशास्त्र + इतिहास	13	6	2	1	3	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + राजनीति शास्त्र	13	6	2	1	3	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + अंग्रेजी डिसिप्लीन	11	5	1	1	3	1	कोई नहीं
		अंग्रेजी डिसिप्लीन + इतिहास	9	4	1	1	2	1	कोई नहीं
		अंग्रेजी डिसिप्लीन + दर्शन शास्त्र	8	3	1	1	2	1	कोई नहीं
		इतिहास + राजनीति शास्त्र	82	35	12	6	21	8	कोई नहीं
		इतिहास + संगीत	6	2	1	1	1	1	कोई नहीं
		इतिहास + दर्शन शास्त्र	8	3	1	1	2	1	कोई नहीं
		इतिहास + राजनीति शास्त्र	6	2	1	1	1	1	कोई नहीं
		इतिहास + हिंदी	12	5	2	1	3	1	कोई नहीं
		एचडीएफई + राजनीति शास्त्र	25	10	4	2	6	3	कोई नहीं
		एचडीएफई + दर्शन शास्त्र	13	6	2	1	3	1	कोई नहीं
		एचडीएफई + राजनीति शास्त्र	4	2	1	0	1	0	कोई नहीं
		अंग्रेजी डिसिप्लीन e + इतिहास	9	4	1	1	2	1	कोई नहीं
		अंग्रेजी डिसिप्लीन + दर्शन शास्त्र	8	3	1	1	2	1	कोई नहीं
		इतिहास + राजनीति शास्त्र	82	35	12	6	21	8	कोई नहीं
		इतिहास + संगीत	6	2	1	1	1	1	कोई नहीं
		इतिहास + दर्शन शास्त्र	8	3	1	1	2	1	कोई नहीं
		इतिहास + राजनीति शास्त्र	6	2	1	1	1	1	कोई नहीं
		इतिहास + हिंदी	12	5	2	1	3	1	कोई नहीं
		एचडीएफई + राजनीति शास्त्र	25	10	4	2	6	3	कोई नहीं
		एचडीएफई + दर्शन शास्त्र	13	6	2	1	3	1	कोई नहीं
		एचडीएफई + राजनीति शास्त्र	4	2	1	0	1	0	कोई नहीं
		संगीत + राजनीति शास्त्र	6	2	1	1	1	1	कोई नहीं
		संगीत + राजनीति शास्त्र	7	2	1	1	2	1	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + राजनीति शास्त्र	7	2	1	1	2	1	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + दर्शन शास्त्र	13	6	2	1	3	1	कोई नहीं
17	जानकी देवी मेमोरियल महाविद्यालय	राजनीति शास्त्र + हिंदी	11	5	1	1	3	1	कोई नहीं
		दर्शन शास्त्र+ राजनीति शास्त्र	5	2	1	0	1	1	कोई नहीं
		संगीत + हिंदी	6	2	1	1	1	1	कोई नहीं
18	जीसस एंड मैरी महाविद्यालय	अर्थशास्त्र+उद्यमिता	20	10	लागू नहीं				10
		अर्थशास्त्र+गणित	20	10	लागू नहीं				10
		कंप्यूटर एप्लीकेशन + विज्ञापन, बिक्री संवर्धन और बिक्री प्रबंधन	20	10	लागू नहीं				10
		कंप्यूटर एप्लीकेशन गणित +	20	10	लागू नहीं				10
		इतिहास + स्पेनिश	20	10	लागू नहीं				10
		इतिहास + राजनीति शास्त्र	20	10	लागू नहीं				10
		राजनीति शास्त्र + समाज शास्त्र	20	10	लागू नहीं				10
		मनोविज्ञान + समाज शास्त्र	20	10	लागू नहीं				10
		मनोविज्ञान + दर्शन शास्त्र	20	10	लागू नहीं				10
		फ्रेंच + दर्शन शास्त्र	20	10	लागू नहीं				10
		उद्यमिता +विज्ञापन, बिक्री संवर्धन और बिक्री प्रबंधन	20	10	लागू नहीं				10
		ऐच्छिक अंग्रेजी + फ्रेंच	20	10	लागू नहीं				10
		ऐच्छिक अंग्रेजी + इतिहास	20	10	लागू नहीं				10
		स्पेनिश + समाज शास्त्र	20	10	लागू नहीं				10
		स्पेनिश+विज्ञापन, बिक्री संवर्धन और बिक्री प्रबंधन	20	10	लागू नहीं				10
		शारीरिक शिक्षा+ इतिहास	20	10	लागू नहीं				10
		शारीरिक शिक्षा+ समाज शास्त्र	20	10	लागू नहीं				10

		एएसपीएसएम + अर्थशास्त्र	9	4	1	1	2	1	कोई नहीं
		एएसपीएसएम + अंग्रेजी डिसिप्लीन	10	4	2	1	2	1	कोई नहीं
19	कमला नेहरू महाविद्यालय	अर्थशास्त्र + समाज शास्त्र	9	4	1	1	2	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + गणित	8	3	1	1	2	1	कोई नहीं
		अंग्रेजी डिसिप्लीन + मनोविज्ञान	10	4	1	1	3	1	कोई नहीं
		भूगोल + राजनीति शास्त्र	12	5	2	1	3	1	कोई नहीं
		भूगोल + इतिहास	10	4	2	0	3	1	कोई नहीं
		इतिहास + राजनीति शास्त्र	10	3	2	1	3	1	कोई नहीं
		इतिहास + शारीरिक शिक्षा	6	2	1	0	2	1	कोई नहीं
		एचआरएम + शारीरिक शिक्षा	8	3	1	1	2	1	कोई नहीं
		एचआरएम + अंग्रेजी डिसिप्लीन	5	2	1	0	2	0	कोई नहीं
		गणित + दर्शन शास्त्र	6	2	1	0	2	1	कोई नहीं
		हिंदी डिसिप्लीन + ओएमएसपी	9	4	1	1	2	1	कोई नहीं
		हिंदी डिसिप्लीन + राजनीति शास्त्र	6	2	1	0	2	1	कोई नहीं
		ओएमएसपी + राजनीति शास्त्र	6	3	1	0	2	0	कोई नहीं
		दर्शन शास्त्र+ समाज शास्त्र	8	3	1	1	2	1	कोई नहीं
19	कमला नेहरू महाविद्यालय	मनोविज्ञान + समाज शास्त्र	8	3	1	1	2	1	कोई नहीं
		शारीरिक शिक्षा+ राजनीति शास्त्र	6	3	1	0	2	0	कोई नहीं
		एएसपीएसएम + मनोविज्ञान	9	4	1	1	2	1	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + इतिहास	17	8	2	1	5	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + राजनीति शास्त्र	17	7	3	1	5	1	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + दर्शन शास्त्र	10	4	2	1	2	1	कोई नहीं
20	किरोड़ी मल महाविद्यालय	इतिहास + अर्थशास्त्र	10	4	2	1	2	1	कोई नहीं
		दर्शन शास्त्र+ इतिहास	10	4	2	1	2	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + दर्शन शास्त्र	10	4	2	1	2	1	कोई नहीं
		बांग्ला डिसिप्लीन + राजनीति शास्त्र	8	3	1	1	2	1	कोई नहीं
		बांग्ला डिसिप्लीन + इतिहास	8	3	1	1	2	1	कोई नहीं
		अंग्रेजी डिसिप्लीन + राजनीति शास्त्र	8	3	1	1	2	1	कोई नहीं
		हिंदी डिसिप्लीन + राजनीति न्सशास्त्र	8	3	1	1	2	1	कोई नहीं
		कंप्यूटर एप्लीकेशन+अर्थशास्त्र	9	4	1	1	2	1	कोई नहीं
		कंप्यूटर एप्लीकेशन + गणित	8	3	1	1	2	1	कोई नहीं
21	लेडी श्रीराम महाविद्यालय	अर्थशास्त्र + इतिहास	8	3	1	1	2	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + गणित	9	4	1	1	2	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + राजनीति शास्त्र	8	3	1	1	2	1	कोई नहीं
		इतिहास + राजनीति शास्त्र	12	6	2	1	3	1	कोई नहीं
		इतिहास + समाज शास्त्र	8	4	1	1	2	1	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + मनोविज्ञान	7	3	1	1	2	1	कोई नहीं
		मनोविज्ञान+ समाज शास्त्र	9	4	1	1	2	1	कोई नहीं

22	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय	राजनीति शास्त्र + इतिहास	71	29	11	5	19	7	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + कंप्यूटर	16	6	2	1	4	2	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र +पंजाबी	14	6	2	1	4	1	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र +शारीरिक शिक्षा	45	18	7	3	12	5	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र +दर्शन शास्त्र	50	20	8	4	13	5	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र +हिंदी	13	5	2	1	4	1	कोई नहीं
		इतिहास + राजनीति शास्त्र	28	11	4	2	7	3	कोई नहीं
		इतिहास +संगीत	12	5	2	1	3	1	कोई नहीं
		इतिहास +हिंदी	25	10	4	2	7	3	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र +विज्ञापन	46	19	7	3	12	5	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र +अंग्रेजी	25	10	4	2	7	3	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र +गणित	25	10	4	2	7	2	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र +कंप्यूटर	19	8	3	1	5	2	कोई नहीं
		दर्शन शास्त्र+खाद्य प्रौद्योगिकी	23	9	3	2	6	2	कोई नहीं
		दर्शन शास्त्र+गणित	10	4	1	1	3	1	कोई नहीं
		दर्शन शास्त्र+समाज शास्त्र	25	10	4	2	7	2	कोई नहीं
		दर्शन शास्त्र+मनोविज्ञान	22	9	3	1	6	2	कोई नहीं
		समाज शास्त्र +संगीत	8	3	1	1	2	1	कोई नहीं
		समाज शास्त्र +पंजाबी	8	4	1	1	2	1	कोई नहीं
22	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय	समाज शास्त्र +परिधान डिजाइन	23	9	3	2	6	2	कोई नहीं
		मनोविज्ञान +अंग्रेजी	13	5	2	1	4	1	कोई नहीं
		मनोविज्ञान +विज्ञापन	10	4	2	1	4	1	कोई नहीं
23	महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय	अंग्रेजी + अर्थशास्त्र	12	5	2	1	3	1	कोई नहीं
		अंग्रेजी + इतिहास	12	5	2	1	3	1	कोई नहीं
		अंग्रेजी + गणित 1	12	5	2	1	3	1	कोई नहीं
		अंग्रेजी + राजनीति शास्त्र	12	5	2	1	3	1	कोई नहीं
		हिंदी + अर्थशास्त्र	12	5	2	1	3	1	कोई नहीं
		हिंदी + इतिहास	12	5	2	1	3	1	कोई नहीं
		हिंदी + गणित	12	5	1	1	4	2	कोई नहीं
		ए हिंदी + राजनीति शास्त्र	12	5	2	1	3	1	कोई नहीं
		बीडीपी + अर्थशास्त्र	12	5	2	1	3	1	कोई नहीं
		बीडीपी + इतिहास	12	5	2	1	3	1	कोई नहीं
		बीडीपी + गणित	12	4	1	1	4	2	कोई नहीं
		बीडीपी + राजनीति शास्त्र	12	5	2	1	3	1	कोई नहीं
		ओएमएसपी + अर्थशास्त्र	12	4	1	1	4	2	कोई नहीं
		ओएमएसपी + इतिहास	12	5	2	1	3	1	कोई नहीं
		ओएमएसपी + गणित	12	4	2	0	4	2	कोई नहीं
		ओएमपीएस + राजनीति शास्त्र	12	5	2	1	3	1	कोई नहीं
24	मैत्रेयी महाविद्यालय	राजनीति शास्त्र + इतिहास	33	13	5	2	9	4	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + समाज शास्त्र	30	12	4	2	8	4	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + हिंदी	26	11	4	2	7	2	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + पंजाबी	8	3	1	1	2	1	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + राजनीति शास्त्र	11	4	2	1	3	1	कोई नहीं
		इतिहास + हिंदी	14	6	2	1	4	1	कोई नहीं
		इतिहास + पंजाबी	8	3	1	1	2	1	कोई नहीं
		इतिहास + राजनीति शास्त्र	5	2	1	0	1	1	कोई नहीं
		समाज शास्त्र + अंग्रेजी	26	11	4	2	7	2	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + अंग्रेजी	25	10	4	2	7	2	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र +गणित	10	4	1	1	3	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + कंप्यूटर एप्लीकेशन्स	20	8	3	1	5	3	कोई नहीं
		कंप्यूटर एप्लीकेशन्स+ गणित	15	6	2	1	4	2	कोई नहीं

25	माता सुंदरी महाविद्यालय फॉर वुमेन	विज्ञापन, बिक्री संवर्धन और बिक्री प्रबंधन (एएसपीएसएम)+ गणित/अर्थशास्त्र/दर्शन शास्त्र	डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया						
		अर्थशास्त्र+इतिहास/राजनीति शास्त्र/ गणित/ ओएमएसपी/ एएसपीएसएम/मनोविज्ञान	डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया						
		इतिहास + अर्थशास्त्र / राजनीति शास्त्र / गणित / दर्शन शास्त्र/ संगीत/ पंजाबी अनुवार्य /हिंदी गणित+अर्थशास्त्र/एएसपीएसएम/दर्शन शास्त्र	डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया						
		संगीत + राजनीति शास्त्र/इतिहास/हिंदी/पंजाबी अनिवार्य	डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया						
25	माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन	कार्यालय प्रबंधन एवं सचिव व्यवहार (ओएमएसपी) + अर्थशास्त्र/पंजाबी अनिवार्य/राजनीति शास्त्र/हिंदी	डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया						
		राजनीति शास्त्र +इतिहास / अर्थशास्त्र / दर्शन शास्त्र/ मनोविज्ञान/ संगीत / दर्शन शास्त्र / पंजाबी अनिवार्य / हिंदी	डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया						
		दर्शन शास्त्र+ राजनीति शास्त्र /इतिहास/गणित/ एएसपीएसएम/ हिंदी/ मनोविज्ञान	डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया						
		मनोविज्ञान+ राजनीति शास्त्र /अर्थशास्त्र/दर्शन शास्त्र	डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया						
		पंजाबी अनिवार्य + राजनीति शास्त्र/इतिहास/संगीत/ओएमएसपी	डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया						
		संस्कृत+इतिहास/ राजनीति शास्त्र/ओएमएसपी	डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया						
		हिंदी+इतिहास/ दर्शन शास्त्र/ राजनीति शास्त्र विज्ञान/ संगीत/ ओएमएसपी	डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया						
26	मिरांडा हाउस	डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया							
27	मोती लाल नेहरू महाविद्यालय (दिवस)	इतिहास + राजनीति शास्त्र	85	36	13	6	23	7	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + राजनीति शास्त्र	45	19	7	3	12	4	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + इतिहास	45	19	7	3	12	4	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + गणित	33	14	5	2	10	2	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + अंग्रेजी	11	4	2	1	3	1	कोई नहीं
		अंग्रेजी + राजनीति शास्त्र	12	4	2	1	3	2	कोई नहीं
		अंग्रेजी+ इतिहास	12	4	2	1	3	2	कोई नहीं
		अंग्रेजी + गणित	11	4	2	1	3	1	कोई नहीं
		हिंदी + राजनीति शास्त्र	23	9	3	2	6	3	कोई नहीं
		हिंदी + इतिहास	23	9	3	2	6	3	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + राजनीति शास्त्र	23	9	3	2	6	3	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + इतिहास	23	9	3	2	6	3	कोई नहीं
28	मोती लाल नेहरू महाविद्यालय (सांध्य)	अंग्रेजी + अर्थशास्त्र	51	20	8	4	14	5	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + गणित	18	7	3	1	5	2	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + राजनीति शास्त्र	51	20	8	4	14	5	कोई नहीं
		अंग्रेजी + इतिहास	30	12	5	2	8	3	कोई नहीं
		अंग्रेजी + गणित	17	6	3	1	5	2	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + अंग्रेजी	79	33	11	7	21	7	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + इतिहास	157	66	23	13	41	14	कोई नहीं
		हिंदी + इतिहास	15	6	2	1	4	2	कोई नहीं
		हिंदी + राजनीति शास्त्र	15	6	2	1	4	2	कोई नहीं
		हिंदी + शारीरिक शिक्षा	15	6	2	1	4	2	कोई नहीं
		शारीरिक शिक्षा+ राजनीति शास्त्र	6	2	1	0	2	1	कोई नहीं

		शारीरिक शिक्षा+ इतिहास	6	2	1	0	2	1	कोई नहीं

29	पी महाविद्यालय .वी .ए.डी .जी .	इतिहास+ राजनीति शास्त्र	77	30	12	6	21	8	कोई नहीं
		लेखांकन और वित्त+ अर्थशास्त्र	14	6	2	1	4	1	कोई नहीं
		उद्यमिता और लघु व्यवसाय+ अर्थशास्त्र	14	6	2	1	4	1	कोई नहीं
		कंप्यूटर एप्लीकेशन+ अर्थशास्त्र	9	4	2	0	2	1	कोई नहीं
		कंप्यूटर एप्लीकेशन + गणित	9	4	2	0	2	1	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र+ शारीरिक शिक्षा	15	6	2	1	4	2	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र+ अर्थशास्त्र	20	8	3	2	5	2	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र+ अंग्रेजी	14	6	2	1	4	1	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र+ राजनीति शास्त्र	14	6	2	1	4	1	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र+हिंदी	9	3	1	1	3	1	कोई नहीं
		इतिहास+ अंग्रेजी	9	4	1	1	2	1	कोई नहीं
		इतिहास+ हिंदी	9	4	1	1	2	1	कोई नहीं
		गणित+ अर्थशास्त्र	9	4	1	0	3	1	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र+ इतिहास	9	3	2	1	2	1	कोई नहीं
30	पी महाविद्यालय .वी .ए.डी .जी . (सांध्य)	अर्थशास्त्र + गणित	15	6	2	1	4	2	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + राजनीति शास्त्र	32	13	5	2	9	3	कोई नहीं
		अंग्रेजी डिसिप्लीन + गणित	10	4	1	1	3	1	कोई नहीं
		अंग्रेजी डिसिप्लीन + राजनीति शास्त्र	30	12	5	2	8	3	कोई नहीं
		कंप्यूटर एप्लीकेशन्स+ अर्थशास्त्र	25	10	4	2	7	2	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + इतिहास	18	7	3	1	5	2	कोई नहीं
		इतिहास + राजनीति शास्त्र	76	31	11	6	20	8	कोई नहीं
		शारीरिक शिक्षा+ राजनीति शास्त्र	10	4	1	1	3	1	कोई नहीं
		वाणिज्य + अर्थशास्त्र	35	14	5	3	9	4	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + अंग्रेजी डिसिप्लीन	15	6	2	1	4	2	कोई नहीं
		अंग्रेजी डिसिप्लीन + इतिहास	20	8	3	2	5	2	कोई नहीं
		हिंदी डिसिप्लीन + इतिहास	16	7	2	1	4	2	कोई नहीं
		कंप्यूटर एप्लीकेशन + गणित	15	6	2	1	4	2	कोई नहीं
		इतिहास + शारीरिक शिक्षा	10	4	1	1	3	1	कोई नहीं
		हिंदी डिसिप्लीन + राजनीति शास्त्र	20	8	3	2	5	2	कोई नहीं
31	राजधानी महाविद्यालय	अर्थशास्त्र+ इतिहास	21	9	3	1	6	2	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र+ गणित	30	13	4	2	8	3	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र+ राजनीति शास्त्र	21	9	3	2	5	2	कोई नहीं
		अंग्रेजी+ इतिहास	11	4	2	1	3	1	कोई नहीं
		अंग्रेजी+ भाषा शास्त्र	21	9	3	1	6	2	कोई नहीं
		हिंदी+ इतिहास	9	4	1	1	2	1	कोई नहीं
		हिंदी+ राजनीति शास्त्र	21	8	3	1	6	3	कोई नहीं
		इतिहास+ राजनीति शास्त्र	44	18	7	3	12	4	कोई नहीं
		इतिहास+ राजनीति शास्त्र	21	8	3	2	6	2	कोई नहीं
		भाषा शास्त्र+ राजनीति शास्त्र	21	9	3	2	5	2	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र+ राजनीति शास्त्र	11	4	2	1	3	1	कोई नहीं
32	रामलाल आनंद महाविद्यालय	इतिहास+ राजनीति शास्त्र	47	19	7	3	13	5	कोई नहीं
		कंप्यूटर एप्लीकेशन+अर्थशास्त्र	25	10	4	2	7	2	कोई नहीं

		अर्थशास्त्र+ गणित	25	10	4	2	6	3	कोई नहीं

33	रामानुजन महाविद्यालय	अर्थशास्त्र + लेखांकन और वित्त	10	4	2	0	3	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + गणित	15	6	2	1	4	2	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + उद्यमिता और लघु व्यवसाय (ईएसबी)	10	4	2	1	2	1	कोई नहीं
		इतिहास + दर्शन शास्त्र	20	8	3	2	5	2	कोई नहीं
		इतिहास + राजनीति शास्त्र	30	12	5	2	8	3	कोई नहीं
		मनोविज्ञान + राजनीति शास्त्र	10	4	1	1	3	1	कोई नहीं
		दर्शन शास्त्र+ राजनीति शास्त्र	10	4	1	1	3	1	कोई नहीं
		मनोविज्ञान + उद्यमिता और लघु व्यवसाय (ईएसबी)	10	4	1	1	3	1	कोई नहीं
		लेखांकन और वित्त + गणित	10	4	2	2	3	1	कोई नहीं
34	रामजस महाविद्यालय	राजनीति शास्त्र + इनमें से कोई एक विषय (अंग्रेजी/ हिंदी/ इतिहास/ राजनीति शास्त्र/ अर्थशास्त्र/ गणित/ दर्शन शास्त्र)	16	7	2	1	4	2	कोई नहीं
		दर्शन शास्त्र+ इनमें से कोई एक विषय (अंग्रेजी/हिंदी/इतिहास/राजनीति शास्त्र/ अर्थशास्त्र/ गणित/ संस्कृत)	32	13	5	2	9	3	कोई नहीं
		इनमें से कोई दो विषय (अंग्रेजी/ हिंदी/ इतिहास/ राजनीति शास्त्र/ अर्थशास्त्र/ गणित)	91	36	14	7	25	9	कोई नहीं
35	सत्यवती महाविद्यालय	डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया							
36	सत्यवती महाविद्यालय (सांध्य)	अर्थशास्त्र + राजनीति शास्त्र	37	16	5	3	10	3	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + गणित	25	10	4	2	6	3	कोई नहीं
		इतिहास + गणित	13	4	2	1	4	1	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + गणित	13	4	2	1	4	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + लेखांकन और वित्त	25	10	4	2	6	3	कोई नहीं
		इतिहास + राजनीति शास्त्र	55	24	7	3	14	6	कोई नहीं
		बौद्ध अध्ययन + राजनीति शास्त्र	21	8	3	2	6	2	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + इतिहास	55	24	7	3	14	6	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + बौद्ध अध्ययन	13	4	2	1	4	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + ओएमएसपी	37	16	4	3	19	3	कोई नहीं
		हिंदी + राजनीति शास्त्र	10	4	2	1	3	1	कोई नहीं
		हिंदी + इतिहास	10	4	2	1	3	1	कोई नहीं
		हिंदी + बौद्ध अध्ययन	10	4	2	1	3	1	कोई नहीं
		अंग्रेजी + अर्थशास्त्र	10	4	2	1	3	1	कोई नहीं
		अंग्रेजी + राजनीति शास्त्र	10	4	2	1	3	1	कोई नहीं
		अंग्रेजी + इतिहास	10	4	2	1	3	1	कोई नहीं
37	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय	इतिहास+ राजनीति शास्त्र	19	7	3	2	5	2	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र+वाणिज्य	19	7	3	2	5	2	कोई नहीं
		भूगोल+ राजनीति शास्त्र	19	7	3	2	5	2	कोई नहीं
		भूगोल + हिंदी	19	7	3	2	5	2	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र+ गणित	19	7	3	2	5	2	कोई नहीं
		अंग्रेजी + इतिहास	19	7	3	2	5	2	कोई नहीं
38	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (सांध्य)	वाणिज्य + अर्थशास्त्र	40	16	6	3	11	4	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + भूगोल	30	13	4	2	8	3	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + इतिहास	20	8	3	1	6	2	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + राजनीति शास्त्र	20	8	3	2	5	2	कोई नहीं
		भूगोल + इतिहास	30	13	4	2	8	3	कोई नहीं
		भूगोल + राजनीति शास्त्र	30	13	4	2	8	3	कोई नहीं

		राजनीति शास्त्र + इतिहास	60	24	10	4	16	6	कोई नहीं

39	शिवाजी महाविद्यालय	इतिहास + राजनीति शास्त्र	65	27	10	5	19	4	कोई नहीं
		इतिहास + भूगोल	28	11	4	2	8	3	कोई नहीं
		इतिहास + हिंदी	18	7	3	1	5	2	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + भूगोल	18	7	3	1	5	2	कोई नहीं
		हिंदी + राजनीति शास्त्र	13	5	2	1	3	2	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + अर्थशास्त्र	22	9	3	2	6	2	कोई नहीं
		भूगोल + हिंदी	13	5	2	1	3	2	कोई नहीं
		भूगोल + अर्थशास्त्र	13	5	2	1	3	2	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + अंग्रेजी	22	9	3	2	6	2	कोई नहीं
		अंग्रेजी + समाज शास्त्र	19	8	3	1	5	2	कोई नहीं
40	श्याम लाल महाविद्यालय	अर्थशास्त्र+ राजनीति शास्त्र	40	16	6	3	11	4	कोई नहीं
		इतिहास+ राजनीति शास्त्र	67	28	10	5	18	6	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + ओएमएसपी	24	10	4	2	6	2	कोई नहीं
		अंग्रेजी + अर्थशास्त्र	31	12	5	2	8	4	कोई नहीं
		अंग्रेजी+ राजनीति शास्त्र	31	12	5	2	8	4	कोई नहीं
41	श्याम लाल महाविद्यालय (सांध्य)	कंप्यूटर साइंस + गणित	17	7	3	1	4	2	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + गणित	17	7	3	1	4	2	कोई नहीं
		इतिहास + गणित	12	5	2	1	3	1	कोई नहीं
		कंप्यूटर साइंस + अंग्रेजी डिसिप्लीन	17	7	3	1	4	2	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + अंग्रेजी डिसिप्लीन	17	7	3	1	4	2	कोई नहीं
		अंग्रेजी डिसिप्लीन + इतिहास	22	9	3	2	6	2	कोई नहीं
		कंप्यूटर साइंस + हिंदी डिसिप्लीन	17	7	3	1	4	2	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + हिंदी डिसिप्लीन	17	7	3	1	4	2	कोई नहीं
		हिंदी डिसिप्लीन + इतिहास	22	9	3	2	6	2	कोई नहीं
		कंप्यूटर साइंस + राजनीति शास्त्र	18	7	3	1	5	2	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + राजनीति शास्त्र	18	7	3	1	5	2	कोई नहीं
		इतिहास + राजनीति शास्त्र	37	15	5	3	10	4	कोई नहीं
42	श्यामाप्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय फॉर वुमेन	हिंदी + भूगोल	6	2	1	0	2	1	कोई नहीं
		हिंदी + इतिहास	14	6	2	1	4	1	कोई नहीं
		हिंदी+ दर्शन शास्त्र	8	3	1	1	2	1	कोई नहीं
		हिंदी + राजनीति शास्त्र	23	10	3	2	6	2	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र+ इतिहास	9	4	1	1	2	1	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + संगीत	8	3	1	1	2	1	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + दर्शन शास्त्र	8	3	1	1	2	1	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + राजनीति शास्त्र	14	6	2	1	4	1	कोई नहीं
		कंप्यूटर साइंस + अर्थशास्त्र	23	10	3	2	6	2	कोई नहीं
		कंप्यूटर साइंस + भूगोल	11	4	2	1	3	1	कोई नहीं
		कंप्यूटर साइंस + गणित	11	4	2	1	3	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + खाद्य प्रौद्योगिकी	23	10	3	2	6	2	कोई नहीं

42	श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय फॉर वुमेन	अर्थशास्त्र + भूगोल	11	4	2	1	3	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + इतिहास	11	4	2	1	3	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + गणित	25	10	4	2	7	2	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + दर्शन शास्त्र	17	6	3	1	5	2	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + राजनीति शास्त्र	23	10	3	2	6	2	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + समाज शास्त्र	20	8	3	2	5	2	कोई नहीं
		खाद्य प्रौद्योगिकी + इतिहास	23	10	3	2	6	2	कोई नहीं
		भूगोल + इतिहास	8	3	1	1	2	1	कोई नहीं
		भूगोल + गणित	8	3	1	1	2	1	कोई नहीं
		भूगोल + राजनीति शास्त्र	11	4	2	1	3	1	कोई नहीं
		इतिहास + संगीत	15	6	2	1	4	2	कोई नहीं
		इतिहास + दर्शन शास्त्र	9	4	1	1	2	1	कोई नहीं
		इतिहास + राजनीति शास्त्र	36	14	5	3	10	4	कोई नहीं
		इतिहास + समाज शास्त्र	14	6	2	1	4	1	कोई नहीं
		एचडीएफई + राजनीति शास्त्र	38	15	6	3	10	4	कोई नहीं
		एचडीएफई + समाज शास्त्र	14	6	2	1	4	1	कोई नहीं
		संगीत + राजनीति शास्त्र	17	6	3	1	5	2	कोई नहीं
		दर्शन शास्त्र+ राजनीति शास्त्र	14	6	2	1	4	1	कोई नहीं
		हिंदी + समाज शास्त्र	8	3	1	1	2	1	कोई नहीं
43	श्री अरविंदो महाविद्यालय (दिवस)	इतिहास+ राजनीति शास्त्र	154	64	22	12	42	16	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र+ राजनीति शास्त्र	77	31	12	6	21	7	कोई नहीं
		वाणिज्य+ अर्थशास्त्र	77	31	12	6	21	7	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र+ इतिहास	44	18	6	2	11	6	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र+ राजनीति शास्त्र	11	4	2	1	3	1	कोई नहीं
		इतिहास+ राजनीति शास्त्र	11	4	2	1	3	1	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र+ राजनीति शास्त्र	11	4	2	1	3	1	कोई नहीं
44	श्री अरविंदो महाविद्यालय (सांध्य)	अर्थशास्त्र + राजनीति शास्त्र	33	16	5	2	9	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + इतिहास	23	8	3	2	6	4	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + शारीरिक शिक्षा	5	2	1	0	1	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + संगीत	4	1	1	0	1	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + राजनीति शास्त्र	7	2	1	1	2	1	कोई नहीं
		अंग्रेजी + राजनीति शास्त्र	32	16	5	2	9	0	कोई नहीं
		अंग्रेजी + इतिहास	21	7	3	1	6	4	कोई नहीं
		अंग्रेजी + शारीरिक शिक्षा	7	3	1	1	2	0	कोई नहीं
		अंग्रेजी + संगीत	5	2	1	0	1	1	कोई नहीं
		अंग्रेजी + राजनीति शास्त्र	7	3	1	1	2	0	कोई नहीं
		इतिहास + राजनीति शास्त्र	44	19	6	3	12	4	कोई नहीं
		इतिहास + शारीरिक शिक्षा	11	4	2	1	3	1	कोई नहीं
		इतिहास + संगीत	7	3	1	1	2	0	कोई नहीं
		इतिहास + राजनीति शास्त्र 1	11	4	2	1	3	1	कोई नहीं
		हिंदी + राजनीति शास्त्र	29	13	4	2	8	2	कोई नहीं
		हिंदी + इतिहास	25	7	4	2	7	5	कोई नहीं
		हिंदी + शारीरिक शिक्षा	9	3	1	1	2	2	कोई नहीं
		हिंदी + संगीत	2	1	0	0	0	1	कोई नहीं
		हिंदी + राजनीति शास्त्र	7	3	1	1	2	0	कोई नहीं
45	श्री गुरु नानक देव खालसा महाविद्यालय	अंग्रेजी + अर्थशास्त्र	20	10	लागू नहीं				10
		अंग्रेजी + राजनीति शास्त्र	16	8	लागू नहीं				8
		पंजाबी + अर्थशास्त्र	10	5	लागू नहीं				5
		पंजाबी + इतिहास	4	2	लागू नहीं				2
		अर्थशास्त्र + गणित	16	8	लागू नहीं				8
		अंग्रेजी + अर्थशास्त्र	14	7	लागू नहीं				7

		इतिहास + राजनीति शास्त्र	30	15	लागू नहीं					15
		गणित + राजनीति शास्त्र	10	5	लागू नहीं					5

46	श्री गुरु तेग बहादुर खालसा महाविद्यालय	अर्थशास्त्र + इतिहास	12	6	लागू नहीं					6
		अर्थशास्त्र + गणित	8	4	लागू नहीं					4
		अर्थशास्त्र + संगीत	2	1	लागू नहीं					1
		अर्थशास्त्र + राजनीति शास्त्र	12	6	लागू नहीं					6
		इतिहास + संगीत	4	2	लागू नहीं					2
		इतिहास + राजनीति शास्त्र	16	8	लागू नहीं					8
		गणित + संगीत	2	1	लागू नहीं					1
		गणित + राजनीति शास्त्र	4	2	लागू नहीं					2
47	श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय	अंग्रेजी + समाज शास्त्र	8	3	1	1	2	1	कोई नहीं	
		अर्थशास्त्र + गणित	17	7	3	1	5	1	कोई नहीं	
		इतिहास + राजनीति शास्त्र	17	7	3	1	5	1	कोई नहीं	
		राजनीति शास्त्र + समाज शास्त्र	14	6	2	1	4	1	कोई नहीं	
		हिंदी + इतिहास	8	3	1	1	2	1	कोई नहीं	
		राजनीति शास्त्र + राजनीति शास्त्र	6	2	1	0	2	1	कोई नहीं	
		तमिल + राजनीति शास्त्र	7	3	1	1	1	1	कोई नहीं	
		तेलगु+ राजनीति शास्त्र	7	3	1	1	1	1	कोई नहीं	
		हिंदी + राजनीति शास्त्र	7	3	1	0	2	1	कोई नहीं	
		इतिहास + समाज शास्त्र	14	6	2	1	4	1	कोई नहीं	
		अर्थशास्त्र + राजनीति शास्त्र	10	4	1	1	3	1	कोई नहीं	
48	स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय	अर्थशास्त्र + राजनीति शास्त्र	65	30	10	5	17	3	कोई नहीं	
		राजनीति शास्त्र + हिंदी डिसिप्लीन	30	14	4	2	8	2	कोई नहीं	
		इतिहास + राजनीति शास्त्र	75	34	12	6	20	3	कोई नहीं	
		अर्थशास्त्र + इतिहास	65	30	10	5	17	3	कोई नहीं	
		इतिहास + हिंदी डिसिप्लीन	10	5	1	1	3	0	कोई नहीं	
		ओएमएसपी + राजनीति शास्त्र	6	3	1	1	1	0	कोई नहीं	
		ओएमएसपी + इतिहास	8	4	1	1	2	0	कोई नहीं	
		ओएमएसपी + गणित	10	5	1	1	3	0	कोई नहीं	
		ओएमएसपी + राजनीति शास्त्र	10	4	2	0	3	1	कोई नहीं	
		राजनीति शास्त्र + अर्थशास्त्र	10	4	1	1	3	1	कोई नहीं	
		राजनीति शास्त्र + इतिहास	10	4	2	0	3	1	कोई नहीं	
		अर्थशास्त्र + गणित	47	22	7	3	13	2	कोई नहीं	
49	विवेकानंद महाविद्यालय	कंप्यूटर एप्लीकेशन+ अर्थशास्त्र	14	6	2	1	4	1	कोई नहीं	
		कंप्यूटर एप्लीकेशन+ अंग्रेजी	13	5	2	1	4	1	कोई नहीं	
		कंप्यूटर एप्लीकेशन+ गणित	16	8	2	1	4	1	कोई नहीं	
		कंप्यूटर एप्लीकेशन+ राजनीति शास्त्र	9	4	1	1	2	1	कोई नहीं	
		अर्थशास्त्र + फ्रेंच	10	3	2	1	3	1	कोई नहीं	
		अर्थशास्त्र + गणित	11	4	2	1	3	1	कोई नहीं	
		अर्थशास्त्र + राजनीति शास्त्र	14	6	2	1	4	1	कोई नहीं	
		अंग्रेजी + फ्रेंच	14	6	2	1	4	1	कोई नहीं	
		अंग्रेजी + खाद्य प्रौद्योगिकी (एफटी)	14	6	2	1	4	1	कोई नहीं	
		खाद्य प्रौद्योगिकी (एफटी) + इतिहास	12	5	2	1	3	1	कोई नहीं	
		खाद्य प्रौद्योगिकी (एफटी) + राजनीति शास्त्र	10	3	2	1	3	1	कोई नहीं	
		इतिहास + संगीत	12	5	2	1	3	1	कोई नहीं	
49	विवेकानंद महाविद्यालय	इतिहास + राजनीति शास्त्र	20	9	3	2	5	1	कोई नहीं	
		इतिहास + राजनीति शास्त्र	10	3	2	1	3	1	कोई नहीं	
		संगीत + राजनीति शास्त्र	13	5	2	1	4	1	कोई नहीं	

50	ज़ाकिरहुसेन दिल्ली महाविद्यालय	अरबी + अर्थशास्त्र	9	3	1	1	3	1	कोई नहीं
		अरबी + इतिहास	11	4	2	1	3	1	कोई नहीं
		अरबी + राजनीति शास्त्र	13	5	2	1	4	1	कोई नहीं
		बांग्ला+ अर्थशास्त्र	4	1	1	0	1	1	कोई नहीं
		बांग्ला+ इतिहास	6	2	1	0	2	1	कोई नहीं
		बांग्ला+ राजनीति शास्त्र	6	2	1	0	2	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + अंग्रेजी	9	3	1	1	2	2	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + हिंदी	9	4	1	1	2	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + एचआरएम	30	12	4	2	8	4	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + गणित	9	2	1	1	2	3	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + फारसी	9	4	1	1	3	0	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + राजनीति शास्त्र	21	8	3	1	6	3	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + राजनीति शास्त्र	9	4	1	1	2	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र + उर्दू	9	4	1	1	2	1	कोई नहीं
		अंग्रेजी + इतिहास	11	4	2	1	3	1	कोई नहीं
		अंग्रेजी + गणित	4	1	1	0	1	1	कोई नहीं
		अंग्रेजी + राजनीति शास्त्र	12	5	2	1	3	1	कोई नहीं
		हिंदी + इतिहास	11	5	2	1	3	0	कोई नहीं
		हिंदी + राजनीति शास्त्र	13	6	2	1	3	1	कोई नहीं
		इतिहास + फारसी	11	5	2	1	3	0	कोई नहीं
		इतिहास + दर्शन शास्त्र	16	6	2	1	4	3	कोई नहीं
		इतिहास + राजनीति शास्त्र	56	23	8	4	15	6	कोई नहीं
		इतिहास + राजनीति शास्त्र	11	5	2	1	3	0	कोई नहीं
		इतिहास + उर्दू 1	11	5	2	1	3	0	कोई नहीं
		एचआरएम + मनोविज्ञान	11	5	2	1	3	0	कोई नहीं
		गणित + दर्शन शास्त्र	4	1	1	0	1	1	कोई नहीं
		गणित + मनोविज्ञान	6	3	1	0	2	0	कोई नहीं
		फारसी + राजनीति शास्त्र	12	6	2	1	3	0	कोई नहीं
		दर्शन शास्त्र+ मनोविज्ञान	16	6	2	1	4	3	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + राजनीति शास्त्र	13	6	2	1	4	0	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र + उर्दू	13	6	2	1	4	0	कोई नहीं
51	ज़ाकिर हुसेन दिल्ली महाविद्यालय (सांध्य)	अर्थशास्त्र+ इतिहास	23	10	3	2	7	1	कोई नहीं
		इतिहास+ राजनीति शास्त्र	23	10	3	2	7	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र+ राजनीति शास्त्र	23	10	3	2	7	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र+ मानव संसाधन प्रबंधन	16	7	2	1	5	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र+ कर प्रक्रिया और अभ्यास	16	7	2	1	5	1	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र+ गणित	11	5	1	2	3	0	कोई नहीं
		अर्थशास्त्र+ दर्शन शास्त्र	7	3	1	1	1	1	कोई नहीं
		दर्शन शास्त्र+ राजनीति शास्त्र	7	2	1	1	3	0	कोई नहीं
		अरबी+ अर्थशास्त्र	5	1	0	1	2	1	कोई नहीं
		अरबी+ इतिहास	5	2	1	0	1	1	कोई नहीं
		अरबी+ राजनीति शास्त्र	5	2	1	0	1	1	कोई नहीं
		फारसी+ अर्थशास्त्र	5	2	1	0	1	1	कोई नहीं
		फारसी+ इतिहास	5	2	1	0	1	1	कोई नहीं
		फारसी+ राजनीति शास्त्र	5	3	0	0	1	1	कोई नहीं

		उर्दू+ अर्थशास्त्र	5	2	1	0	1	1	कोई नहीं
		उर्दू+ इतिहास	5	2	1	0	1	1	कोई नहीं
		उर्दू+ राजनीति शास्त्र	5	1	1	1	1	1	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र+ अर्थशास्त्र	5	1	1	0	2	1	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र+ इतिहास	5	2	1	0	1	1	कोई नहीं
		राजनीति शास्त्र+ राजनीति शास्त्र	5	2	1	0	1	1	कोई नहीं
		अंग्रेजी+ अर्थशास्त्र	5	2	1	1	1	0	कोई नहीं
		अंग्रेजी+ इतिहास	5	1	1	1	1	1	कोई नहीं
		अंग्रेजी+ राजनीति शास्त्र	5	2	1	0	1	1	कोई नहीं
		हिंदी+ अर्थशास्त्र	5	1	1	1	1	1	कोई नहीं
		हिंदी+ इतिहास	5	2	1	0	1	1	कोई नहीं
		हिंदी+ राजनीति शास्त्र	5	2	1	0	1	1	कोई नहीं
		बांग्ला+ अर्थशास्त्र	5	2	1	0	1	1	कोई नहीं
		बांग्ला+ इतिहास	5	3	1	0	1	0	कोई नहीं
		बांग्ला+ राजनीति शास्त्र	5	2	1	0	2	0	कोई नहीं

परिशिष्ट-III बी.ए.(वोकेशनल स्टडीज) के लिए संबंधित व्यावसायिक विषय

बी.ए. (वोकेशनल स्टडीज) पाठ्यक्रमों के संबंध में विचार करने के लिए निम्नलिखित "प्रासंगिक व्यावसायिक विषयों" की सूची दी गई है, जिसके लिए आवश्यक मापदंड इस बुलेटिन के खंड 2.2 में उल्लिखित हैं:

1) बी.ए. (वोकेशनल स्टडीज) कार्यालय प्रबंधन और सचिवीय अभ्यास (ओएमएसपी)

i. कार्यालय अभ्यास और सचिव पद

ii. सचिवालय अभ्यास और लेखांकन

iii. कार्यालय संप्रेषण

iv. टाइपराइटिंग (अंग्रेजी / हिंदी)

v. आशुलिपि (अंग्रेजी / हिंदी)

2) बी.ए. (वोकेशनल स्टडीज) सामग्री प्रबंधन

(क) वित्तीय लेखांकन

(ख) लागत लेखांकन और लेखा परीक्षा के तत्व

(ग) भंडार लेखांकन (स्टोर अकाउंटिंग)

3. बी.ए. (वोकेशनल स्टडीज) विपणन प्रबंधन और खुदरा व्यापार

(क) विपणन

(ख) सेल्समैनशिप

(ग) उपभोक्ता व्यवहार और संरक्षण

4. बी.ए. (वोकेशनल स्टडीज) पर्यटन प्रबंधन

(क) भारतीय - पर्यटन स्थल

(ख) यात्रा व्यापार प्रबंधन

(ग) पर्यटन प्रबंधन और जनशक्ति योजना

5. बी.ए. (वोकेशनल स्टडीज) बीमा का प्रबंधन और विपणन

(क) जीवन बीमा के व्यवहारिक सिद्धांत अभ्यास

(ख) कंप्यूटर और जीवन बीमा प्रशासन

परिशिष्ट -IV अंतरिम परीक्षण के लिए खेल श्रेणियों की सूची

क्रमांक	श्रेणी
1.	तीरंदाजी
2.	एथलेटिक्स
3.	बैडमिंटन
4.	बेसबॉल *
5.	बास्केटबाल
6.	मुक्केबाज़ी
7.	शतरंज
8.	क्रिकेट
9.	गोताखोरी
10.	फ़ुटबॉल
11.	जिमनास्टिक
12.	हैंडबॉल
13.	हॉकी
14.	जूडो
15.	कबड्डी
16.	खो-खो
17.	नेटबॉल **
18.	शूटिंग
19.	सॉफ्टबॉल **
20.	स्क्वाश
21.	तैराकी
22.	टेबल टेनिस
23.	तायक्वोंडो
24.	टेनिस
25.	वालीबाल
26.	भारोत्तोलन
27.	कुश्ती

*केवल पुरुषों के लिए

** केवल महिलाओं के लिए

परिशिष्ट-V आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण

आय और संपत्ति प्रमाण-पत्र के लिए प्रारूपः

..... सरकार

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और संपत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणपत्र सं..... तारीख.....

..... वर्ष के लिए वैध

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/सुपुत्रीr/पत्नी ..... ग्राम/गली..... पोस्ट ऑफिस.....जिला..... राज्य/केंद्रशासित प्रदेश .....पिनकोड की स्थायी निवासी है, जिनकी सत्यापित तस्वीर नीचे लगाई गई है, वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के/की हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष ..... के लिए उनके परिवार** की सकल वार्षिक आय* आठ लाख (केवल आठ लाख रुपए) से कम है। उनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति या उसका मालिकाना नहीं है***:

i: 5 एकड़ और उससे अधिक कृषि योग्य भूमि;

ii: 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

iii: अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;

iv: अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा 200 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..... ..... जाति से हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

आवेदक का हाल में लिया गया पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो चिपकाएं

*टिप्पणी 1 आय में सभी स्रोत अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे, आदि शामिल हैं।

**टिप्पणी 2. इस उद्देश्य के लिए "परिवार" शब्द में आरक्षण का लाभ चाहने वाला व्यक्ति, उसके माता-पिता और18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन और साथ ही उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं।

***टिप्पणी 3 ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्थानों या अलग-अलग स्थानों/शहरों में एक "परिवार" की भूमि या संपत्ति के मालिकाने को लागू करते समय एक साथ जोड़ा गया है।.

परिशिष्ट-VI अ.पि.व(ओ.बी.सी) प्रमाणपत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....., गाँव/कस्बे..... जिला/मंडल ..... राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के श्री..... के सुपुत्र/सुपुत्री हैं, जो ... . समुदाय से संबंध रखते हैं जिसे भारत सरकार के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी जाती है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या दिनांक..... में मान्यता दी गई है।* श्री/श्रीमती/कुमारी ..... और/या उनका परिवार आमतौर पर गाँव/कस्बे..... जिला/मंडल ..... राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश निवास करता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह (पुरुष/महिला) भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ओ.एम. क्रमांक 36012/22/93 दिनांकित ईएसटीटी (एससीटी) दिनांक 8.9.93 ** के स्तंभ 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है।

जिला मजिस्ट्रेट
उप कमिश्नर आदि
दिनांक:
मुहरः

---

*प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प के विवरण का उल्लेख करना पड़ सकता है, जिसमें उम्मीदवार की जाति का उल्लेख अ.पि.व. के रूप में किया गया है।

** समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार।

परिशिष्ट-VII शैक्षिक रियायत प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रारूप

शैक्षिक रियायत प्रमाण-पत्र (उपयुक्त लेटर हेड पर)

(पूरा पता, टेलीफोन नंबर/नंबरों और ई-मेल आईडी के साथ)

.....का कार्यालय

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री....., ...के निवासी उपरोक्त नामित अधिकारी / जेसीओ / ओआर श्री ..... (सं.....) ..... के सुपुत्र/सुपुत्री हैं : -

प्राथमिकता-I कार्रवाई के दौरान मारे गए रक्षा कार्मिकों (सैनिकों) की विधवा /संतान;

प्राथमिकता -II के दौरान विकलांग हुए और नौकरी से अवकाश दिए गए की संतान।

प्राथमिकता -III रक्षा कार्मिकों की विधवाओं/संतानों को, जिनकी जिनकी शांति के समय ड्यूटी पर मृत्यु, हुई हो, जिसे सैन्य सेवा के कारण मृत्यु माना गया।

प्राथमिकता -IV .... नौकरी पर विकलांग हुए और नौकरी से अवकाश दिए गए रक्षा कार्मिकों (सैनिकों) की संतान

प्राथमिकता -V वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुलिस बलों के कर्मियों सहित सेवारत/पूर्व सैनिकों की संतान;

i. परमवीर चक्र

ii.अशोक चक्र

iii. महावीर चक्र

iv. कीर्ति चक्र

v. वीर चक्र

vi. शौर्य चक्र

vii. वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक

viii. सेना पदक (वीरता), नौ सेना पदक (वीरता), वायु सेना पदक (वीरता)

ix. रवानगी में उल्लेख

x. वीरता के लिए पुलिस पदक

प्राथमिकता -VI पूर्व रक्षा कार्मिकों की संतान (सैनिकों);

प्राथमिकता -VII निम्नलिखित की पत्नियां:

(i) कार्रवाई में अक्षम हुए और सेवा से अवकाश प्राप्त रक्षा कार्मिक।

(ii) सेवा में अक्षम हुए और विकलांगता के कारण सेवा से अवकाश प्राप्त रक्षा कार्मिक।

(iii) वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले भूतपूर्व सैनिक और सेवारत कार्मिक।

प्राथमिकता -VIII सेवारत कार्मिकों की संतान

प्राथमिकता -IX सेवारत कार्मिकों की पत्नियां।

श्री .....अधिकारी/जेसीओ/ओआर के सुपुत्र/ सुपुत्री/पत्नी, श्री (मास्टर)/सुश्री/श्रीमती..... सशस्त्र बलों लिए- प्राथमिकता संख्या.... के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए शैक्षिक रियायत हेतु विचार किए जाने के पात्र हैं।

सं.. :.....

तारीख: ...../...../.....

हस्ताक्षर))

मुहर <रबर की मुहर> नाम और पद सहित

परिशिष्ट- VIII पेपर के नामों में फर्क हेतु/सी.बी.एस.ई से इतर कुछ अन्य बोर्डो के विषयों हेतु समतुल्यता

क्र. सं.	विषय	बोर्ड	शीर्ष	परिणाम
1	गणित	महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	गणित सांख्यिकी	सीबीएसई गणित के समकक्ष
		उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का केरल बोर्ड	गणित (वाणिज्य/ विज्ञान)	सीबीएसई गणित के समकक्ष
		कर्नाटक सरकार पूर्व-विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग	बुनियादी गणित	बी.कॉम. (ऑनर्स) / बी.कॉम. के लिए बिजनेस मैथमेटिक्स के समकक्ष
		नागालैंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन	व्यवसायिक गणित की बुनियादी बातें	बी.कॉम. (ऑनर्स) / बी.कॉम. के लिए बिजनेस मैथमेटिक्स के समकक्ष
2	राजनीति शास्त्र		नागरिकशास्त्र	सीबीएसई के राजनीति शास्त्र के समकक्ष नहीं
3	अर्थशास्त्र	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मध्य प्रदेश	व्यवसायिक अर्थशास्त्र	सीबीएसई अर्थशास्त्र के समकक्ष नहीं
4	लेखांकन (एकाउंटेंसी)	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मध्य प्रदेश	बुक कीपिंग लेखांकन	सीबीएसई लेखांकन के समकक्ष नहीं
		तमिलनाडु		
		इंडियन स्कूल प्रमाणपत्र (आईएससी)	लेखांकन	
5	अरबी/मलयालम /उर्दू	केरल उच्चतर माध्यमिक परीक्षा बोर्ड	अरबी/ मलयालम / उर्दू/ बांग्ला	सीबीएसई के अरबी/मलयालम / उर्दू वैकल्पिक भाषाओं के समकक्ष
6	बांग्ला	पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	बांग्ला	सीबीएसई ऐच्छिक बांग्ला के समकक्ष
7	सभी एच्छिक भाषाएं	इंडियन स्कूल प्रमाणपत्र (आईएससी)		सीबीएसई की समकक्ष वैकल्पिक भाषाओं के अनुरूप

परिशिष्ट- IX पी.सी.एम/पी.सी.बी/श्रेष्ठ चार की गणना के लिए उदाहरण

उदाहरण 1: सिद्धांत 70% से कम और प्रायोगिक अंक 30% से अधिक

	सिद्धांत		प्रायोगिक		कुल योग		सिद्धांत		प्रायोगिक		कुल योग	
	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक	परिवर्तित प्राप्त अंक	परिवर्तित प्राप्त अंक	परिवर्तित प्राप्त अंक	परिवर्तित प्राप्त अंक	परिवर्तित प्राप्त अंक	परिवर्तित प्राप्त अंक
अंग्रेजी	100	90	कोई नहीं	कोई नहीं	100	90	100	90	कोई नहीं	कोई नहीं	100	90
भौतिक विज्ञान	60	50	40	40	100	90	70	58.33	30	30	100	88.33
रसायन विज्ञान	60	52	40	39	100	91	70	60.67	30	29.25	100	89.92
गणित	100	92	कोई नहीं	कोई नहीं	100	92	100	92	कोई नहीं	कोई नहीं	100	92
शारीरिक शिक्षा	100	95	कोई नहीं	कोई नहीं	100	95	100	95	कोई नहीं	कोई नहीं	100	95

क. निम्नलिखित में प्रवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ तीन प्रभावी प्रतिशत (88.33 + 89.92 + 92)/ 3=90.08% है

- **बी.एससी.(ऑनर्स)** रसायन विज्ञान/भौतिकी/पॉलिमर विज्ञान/इलेक्ट्रॉनिक्स/इंस्ट्रूमेंटेशन/भू-विज्ञान/खाद्य प्रौद्योगिकी/गृह विज्ञान
- **बी.एससी.(प्रोग्राम)** रसायन विज्ञान में विश्लेषणात्मक तरीकों के साथ अनुप्रयुक्त भौतिक विज्ञान और औद्योगिक रसायन विज्ञान के साथ जैव रसायन/ अनुप्रयुक्त भौतिक विज्ञान
- **बी.एससी.(प्रोग्राम)** रसायन विज्ञान के साथ भौतिक विज्ञान/इलेक्ट्रानिक्स के साथ भौतिक विज्ञान
- **बी.एससी.(प्रोग्राम)** कंप्यूटर विज्ञान सहित भौतिक विज्ञान

ख. निम्नलिखित में प्रवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ चार प्रभावी प्रतिशत (90 + 88.33 + 89.92 + 92)/4 = 90.06% है

- **बी.एससी.(पास)** गृह विज्ञान
- **बी.एससी.**गणितीय विज्ञान
- **बी.एससी.(ऑनर्स)** कंप्यूटर विज्ञान/गणित/सांख्यिकी
- **बी.ए (ऑनर्स)** अंग्रेजी/पत्रकारिता
- **बी.ए. (वोकेशनल स्टडीज)** की सामाजिक विज्ञान संकाय/बी. वोकेशनल. (प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी)/ बी. वोकेशनल. (वेब डिजाइनिंग)/बी. वोकेशनल. (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट)/बी. वोकेशनल. (स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन)/ बी. वोकेशनल. (खुदरा बिक्री प्रबंधन और आईटी)/बी. वोकेशनल. (बैंकिंग ऑपरेशंस)/बी. वोकेशनल. (सॉफ्टवेयर विकास) के माध्यम से पेशकश की जाती है।

ग. **मामला (केस) I:** (90 + 88.33 + 89.92 + 92) / 4 = 90.06% - 2% = 88.06% (भौतिकी और रसायन विज्ञान प्रत्येक के लिए नकारात्मक 1%)

मामला (केस) II: (90+89.92+92+95)/4 = 91.73% - 1% - 2.5% = 88.23% (रसायन विज्ञान को शामिल करने के लिए नकारात्मक 1% और गैर-सूचीबद्ध ए / बी विषय को शामिल करने के लिए नकारात्मक 2.5%)

निम्नलिखित में प्रवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ चार प्रभावी प्रतिशत 88.23% है

- बी.कॉम. (ऑनर्स)/ बी.कॉम

घ. मामला (केस) I: (90+88.33+89.92+92)/4 = 90.06% - 2.5% = 87.56% (प्रासंगिक विषय का अध्ययन नहीं करने के लिए नकारात्मक 2.5%)

मामला (केस) II: (90+89.92+92+95)/4 = 91.73% - 2.5% - 2.5% = 86.73% (प्रासंगिक विषय का अध्ययन नहीं करने और गैर-सूची ए/बी विषय को शामिल करने के लिए नकारात्मक 2.5%)

निम्नलिखित में प्रवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ चार प्रभावी प्रतिशत 87.56% है

- बी.ए. (ऑनर्स) अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान/भूगोल/इतिहास/राजनीति शास्त्र/ सामाजिक कार्य/ समाजशास्त्र/मनोविज्ञान/ अर्थशास्त्र/दर्शन शास्त्र

ङ. मामला (केस) I: (90+88.33+89.92+92)/4 = 90.06% - 5% = 85.06% (प्रासंगिक भाषा का अध्ययन नहीं करने के लिए नकारात्मक 5%)

मामला (केस) II: (90+89.92+92+95)/4 = 91.73% - 5% - 2.5% = 84.23% (प्रासंगिक भाषा का अध्ययन नहीं करने के लिए नकारात्मक 5% और गैर-सूचीबद्ध ए/बी विषय को शामिल करने के लिए नकारात्मक 2.5%) निम्नलिखित में प्रवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ चार प्रभावी प्रतिशत 85.06% है

-बी.ए. (ऑनर्स) फ्रेंच/जर्मन/इतालवी/स्पेनिश/बांग्ला/पंजाबी/संस्कृत/उर्दू/अरबी/फारसी

च. पात्र नहीं हैं

-बी.ए. (ऑनर्स) हिंदी/हिंदी पत्रकारिता -बारहवीं कक्षा में हिंदी का अध्ययन नहीं करने के कारण

-बी.एससी.(ऑनर्स.) मानव विज्ञान/जैविक विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/माइक्रोबायोलॉजी/जूलॉजी/ बायोकेमिस्ट्री/बायोमेडिकल साइंस/ बी. एससी.(प्रोग.) अनुप्रयुक्त जीव विज्ञान/ जीव विज्ञान - बारहवीं कक्षा में जीव विज्ञान/जैव रसायन/जैव प्रौद्योगिकी का अध्ययन नहीं करने के कारण

उदाहरण 2: सिद्धांत के अंकों में एक आंतरिक मूल्यांकन घटक होता है और सिद्धांत का घटक 70% से कम होता है

	सिद्धांत		**प्रायोगिक**		**कुल योग**		**सिद्धांत**		**प्रायोगिक**		**कुल योग**	
	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक	परिवर्तित प्राप्त अंक	परिवर्तित प्राप्त अंक	परिवर्तित प्राप्त अंक	परिवर्तित प्राप्त अंक	परिवर्तित प्राप्त अंक	परिवर्तित प्राप्त अंक
अंग्रेजी	-	-	100	90	कोई नहीं	कोई नहीं	100	90	100	90	कोई नहीं	कोई नहीं
भौतिक विज्ञान	14	14	56	45	30	29	100	88	70	56.25	30	29
रसायन विज्ञान	14	14	56	48	30	30	100	92	70	60	30	30
गणित	-	-	100	92	कोई नहीं	कोई नहीं	100	92	100	92	कोई नहीं	कोई नहीं
जीव विज्ञान	14	14	56	51	30	30	100	95	70	63.75	30	30

क. निम्नलिखित में प्रवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ तीन प्रभावी प्रतिशत (85.25+90+93.75)/3 = 89.67% हैं

- **बी. एससी.(ऑनर्स**.) नृविज्ञान/जैविक विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/सूक्ष्म जीव विज्ञान/प्राणी विज्ञान/ भूविज्ञान (जीव विज्ञान में उच्चतर अंक)
- **बी. एससी.(प्रोग्राम)** अनुप्रयुक्त जीव विज्ञान/जीव विज्ञान

ख. निम्नलिखित में प्रवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ तीन प्रभावी प्रतिशत (85.25+90+92)/3 = 89.08% हैं

- **बी. एससी.(ऑनर्स.)** रसायन विज्ञान/भौतिकी/पॉलिमर विज्ञान/इलेक्ट्रॉनिक्स/इंस्ट्रूमेंटेशन
- **बी. एससी.(प्रोग्राम)** रसायन विज्ञान में विश्लेषणात्मक तरीकों के साथ अनुप्रयुक्त भौतिक विज्ञान और औद्योगिक रसायन विज्ञान के साथ जैव रसायन/ अनुप्रयुक्त भौतिक विज्ञान
- **बी. एससी.(प्रोग्राम)** रसायनशास्त्र के साथ भौतिक विज्ञान/इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भौतिक विज्ञान
- **बी. एससी.(प्रोग्राम)** कंप्यूटर विज्ञान के साथ भौतिक विज्ञान

ग. निम्नलिखित में प्रवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ तीन प्रभावी प्रतिशत (85.25+90+93.75)/3 = 89.67% + 3% = 92.67% हैं (भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और जीवविज्ञान का अध्ययन करने के लिए 3% की छूट) है।

-**बी. एससी.(ऑनर्स)** खाद्य प्रौद्योगिकी/बायोमेडिकल साइंस

घ. निम्नलिखित में प्रवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ तीन प्रभावी प्रतिशत (92+90+93.75)/3 = 91.92% हैं

-बी. एससी.(ऑनर्स) जैव रसायन/गृह विज्ञान

ङ. निम्नलिखित में प्रवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ चार प्रभावी प्रतिशत (90 + 90 + 93.75 + 92) / 4 = 91.44% है

-**बी.एससी.(पास)** गृह विज्ञान

-**बी.एससी.**गणितीय विज्ञान

-**बी.एससी.(ऑनर्स)** गणित/सांख्यिकी

-बी.ए. (वोकेशनल स्टडीज) सामाजिक विज्ञान संकाय के माध्यम से वोकेशनल स्टडीज की पेशकश की जाती है/ बी. वोकेशनल (प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी)/ बी. वोकेशनल. (वेब डिजाइनिंग)/बी. वोकेशनल. (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट)/ बी. वोकेशनल. (खुदरा बिक्री प्रबंधन और आईटी) / बी. वोकेशनल. (बैंकिंग परिचालन)

-बी.ए. (ऑनर्स) पत्रकारिता/अंग्रेजी

च. मामला (केस) I: (90+90+85.25+92)/4 = 89.31%

मामला (केस) II : (90+90+93.75+92)/4 = 91.43% - 2% = 89.43% (जीव विज्ञान को शामिल करने के लिए नकारात्मक 2%)

निम्नलिखित में प्रवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ चार प्रभावी प्रतिशत 89.43% है

-बी. एससी.(ऑनर्स) कंप्यूटर साइंस

छ. निम्नलिखित में प्रवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ चार प्रभावी प्रतिशत (90+90+93.75+92)/4 = 91.43% - 2% = 89.44% है (जीव विज्ञान और रसायनशास्त्र प्रत्येक के लिए 1% नकारात्मक) निम्नलिखित में प्रवेश के लिए

-बी. कॉम. (आनर्स)/ बी. कॉम.

ज. निम्नलिखित में प्रवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ चार प्रभावी प्रतिशत (90+90+93.75+92)/4 = 91.43% + 2% = 93.43% है। (बारहवीं कक्षा में जीव विज्ञान के अध्ययन के लिए अतिरिक्त 2%)

-**बी. वोकेशनल.** (स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन)

झ. निम्नलिखित में प्रवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ चार प्रभावी प्रतिशत (90+90+93.75+92)/4 = 91.43% - 2.5% = 88.93% हैं (प्रासंगिक विषय का अध्ययन न करने के लिए 2.5% नकारात्मक)

-बी. ए. (ऑनर्स) अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान/ भूगोल/इतिहास/राजनीति शास्त्र/ सामाजिक कार्य/ सामाज शास्त्र/ मनोविज्ञान/ अर्थशास्त्र/दर्शन शास्त्र

ञ. निम्नलिखित में प्रवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ चार प्रभावी प्रतिशत (90+90+93.75+92)/4 = 91.43% - 5% = 86.43% हैं (प्रासंगिक भाषा का अध्ययन न करने के लिए 5% नकारात्मक)

-बी. ए. (ऑनर्स) फ्रेंच/जर्मन/इतालवी/स्पेनिश/बांग्ला/पंजाबी/राजनीति शास्त्र/उर्दू/अरबी/फारसी

ट. पात्र नहीं हैं

-बी.ए. (**ऑनर्स**) हिंदी/ हिंदी पत्रकारिता - बारहवीं कक्षा में हिंदी का अध्ययन न करने के कारण।

उदाहरण 3:

	सिद्धांत	
	अधिकतम अंक	**न्यूनतम अंक**
अंग्रेजी मुख्य	100	88
अर्थशास्त्र	100	94
लेखांकन	100	94
विधिक अध्ययन	100	92
हिंदी ऐच्छिक	100	86

क. निम्नलिखित में प्रवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ चार प्रभावी प्रतिशत (88+94+94+92)/4 = 92% हैं

-**बी. ए. (ऑनर्स)** अंग्रेजी/पत्रकारिता

-**बी.ए. (व्यायवसायिक अध्ययन)** सामाजिक विज्ञान संकाय के माध्यम से वोकेशनल स्टडीज की पेशकश की जाती है/ बी. वोकेशनल (खुदरा बिक्री प्रबंधन और आईटी) / बी. वोकेशनल. (बैंकिंग परिचालन)/ स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन

-बी. एससी.(पास) गृह विज्ञान

ख. निम्नलिखित में प्रवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ चार प्रभावी प्रतिशत (86+94+94+92)/4 = 91.5% + 2% हैं (हिंदी ऐच्छिक के अध्ययन के लिए 2% अतिरिक्त)

-बी. ए. (ऑनर्स) हिंदी

ग. निम्नलिखित में प्रवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ चार प्रभावी प्रतिशत (88+94+94+92)/4 = 92% - 5%= 87% हैं (प्रासंगिक भाषा का अध्ययन न करने के लिए 5% नकारात्मक)

-बी. ए. (आनर्स) फ्रेंच/ जर्मन/ इतालवी/ स्पेनिश/बांग्ला/पंजाबी/राजनीति शास्त्र/उर्दू/अरबी/फारसी

घ. निम्नलिखित में प्रवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ चार प्रभावी प्रतिशत (88+94+94+92)/4 = 92% - 2.5% = 89.5% है (प्रासंगिक विषय का अध्ययन न करने के लिए 2.5% नकारात्मक)

-बी.ए. (आनर्स)अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान/ भूगोल/इतिहास/राजनीति शास्त्र/ सामाजिक कार्य/ समाज शास्त्र/ मनोविज्ञान/ दर्शन शास्त्र

ङ. निम्नलिखित में प्रवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ चार प्रभावी प्रतिशत (86+94+94+92)/4 = 91.5% है

-**बी.ए. (ऑनर्स)** हिंदी पत्रकारिता

च. पात्र नहीं है

-बी.ए. (ऑनर्स)अर्थशास्त्र/ बी.कॉम (आनर्स)- बारहवीं कक्षा में गणित का अध्ययन न करने वाले

-**बी.एससी.(ऑनर्स)** कंप्यूटर साइंस/ गणित/सांख्यिकी - बारहवीं कक्षा में गणित का अध्ययन न करने वाले

-**बी.एससी.(ऑनर्स)** मानव विज्ञान/जीव विज्ञान/ वनस्पति विज्ञान सूक्ष्म जीव विज्ञान/जूलॉजी/भूविज्ञान/रसायन विज्ञान/भौतिकी/पॉलिमर विज्ञान/ इलेक्ट्रॉनिक्स/इंस्ट्रुमेंटेशन/ खाद्य प्रौद्योगिकी/जैव चिकित्सा विज्ञान/गृह विज्ञान - प्रासंगिक विषयों का अध्ययन न करने वाले

-बी.एससी.गणितीय विज्ञान- बारहवीं कक्षा में गणित का अध्ययन न करने वाले

-बी.एससी.(कार्यक्रम) रसायन विज्ञान में विश्लेषणात्मक तरीकों के साथ अनुप्रयुक्त भौतिक विज्ञान और औद्योगिक रसायन विज्ञान के साथ जैव रसायन विज्ञान/ भौतिक भौतिक विज्ञान - प्रासंगिक विषयों का अध्ययन न करने वाले

-बी.एससी.(कार्यक्रम) रसायन विज्ञान के साथ भौतिक विज्ञान/ इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान के साथ भौतिक विज्ञान/अनुप्रयुक्त जीव विज्ञान/ जीव विज्ञान- प्रासंगिक विषयों का अध्ययन न करने वाले

-बी.एससी.(कार्यक्रम) कंप्यूटर साइंस के साथ भौतिक विज्ञान- प्रासंगिक विषयों का अध्ययन न करने वाले

-बी. वोकेशनल. प्रिंटिंग टेकनोलॉजी/वेब डिजाइनिंग / सॉफ्टवेयर विकास - बारहवीं कक्षा में गणित का अध्ययन नहीं करने वाले।

परिशिष्ट-X सी.बी.सी.एस की संरचना

1. एक क्रेडिट शिक्षण के एक घंटे (व्याख्यान / ट्यूटोरियल) या प्रायोगिक काम या क्षेत्र के दो घंटे प्रति सप्ताह के बराबर है। कालेजों के संबंधित प्राचार्यों द्वारा तदनुसार कक्षाओं की अवधि तय की जा सकती है।
2. मूल पाठ्यक्रम, वैकल्पिक पाठ्यक्रम और योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम के अंतर्गत परचों की संख्या और विभिन्न स्नातक-पूर्व कार्यक्रमों के लिए उनके संबंधित क्रेडिट यूजीसी की मार्गदर्शिका- अनुलग्नक (1) के अनुसार हैं।
3. अध्यादेश VIII(2) में संशोधन करके सीबीसीएस के अंतर्गत स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए अकादमिक परिषद और एक्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा अनुमोदित परीक्षा योजना अनुलग्नक (2) के अनुसार होगी।
4. मानक के अनुसार, एक ट्यूटोरियल का आकार 8 से 10 छात्र हैं। संबंधित कॉलेजों के प्रधानाचार्य निर्धारित मानकों के अनुसार अपनी आवश्यकता के अनुसार वर्ग का आकार और ट्यूटोरियल आकार के बारे में निर्णय ले सकते हैं।
5. विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए सामान्य वैकल्पिक पाठ्यक्रम उसी विभाग के शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाएंगे।
6. महाविद्यालयों के प्राचार्य प्रत्येक सेमेस्टर में छात्रों द्वारा चुने जाने के लिए एक से अधिक सामान्य ऐच्छिक पेपर देने का निर्णय ले सकते हैं।
7. किसी विशेष विभाग में भर्ती किया गया विद्यार्थी अन्य विभाग द्वारा दिए जाने वाले सामान्य वैकल्पिक पाठ्यक्रमों का विकल्प चुन सकता है, उदाहरण के लिए, बी.ए. (ऑनर्स) इतिहास कार्यक्रम इतिहास विभाग द्वारा प्रस्तावित सामान्य वैकल्पिक पाठ्यक्रम का विकल्प नहीं चुन सकता है।
8. बीएमएस/बीएफआईए कार्यक्रम के अंतर्गत भर्ती किए गए विद्यार्थी, जिसमें वे शामिल हैं उस विशेषज्ञता से अलग सामान्य ऐच्छिक पत्रों का चयन कर सकते हैं।
9. गृह विज्ञान पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्र द्वारा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम के विभिन्न स्पेशलाइजेशन द्वारा दिए जाने वाले सामान्य ऐच्छिक पेपर चुने जा सकते हैं, जो अलग-अलग स्पेशलाइजेशन को अलग-अलग विभाग मानते हैं और बिंदु सं. 7 की पुष्टि करते हैं।
10. विभागों द्वारा तैयार किए गए और दिल्ली विश्वविद्यालय के अकादमिक परिषद और कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित सामान्य ऐच्छिक पत्र शैक्षणिक वर्ष 2015-16 में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
11. अध्ययन करने के लिए आवश्यक दो भाषाओं के भाग के रूप में अंग्रेजी/हिंदी/ एमआईएल के मुख्य पेपर क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (एईसी) के अंतर्गत आने वाले अंग्रेजी/हिंदी/ एमआईएल के पाठ्यक्रमों से अलग है। उपरोक्त को दृष्टिगत रख कर, एक छात्र बी.ए. (प्रोग्राम) के अपने मुख्य परचों में से एक के रूप में अंग्रेजी भाषा का चयन कर सकता है और ए, बी या सी योजना के अंतर्गत योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम के रूप में अंग्रेजी का भी चयन कर सकते हैं।
12. वर्तमान सत्र में जिन पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश पत्र तैयार नहीं किए गए हैं, उनके पाठ्यक्रम को विभागों द्वारा तैयार नहीं किया गया है उन्हें संबंधित संकायों द्वारा जल्द से जल्द तैयार और अनुमोदित कर और कुलपति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
13. बी.एससी (ऑनर्स) का छात्र वनस्पति विज्ञान और बी.एससी. (ऑनर्स) जूलॉजी को रसायन विज्ञान विभाग द्वारा पेश किए गए एक या दो सामान्य वैकल्पिक पत्रों का चयन करना चाहिए ताकि पी.जी. में प्रवेश के लिए उनकी पात्रता हो। विभिन्न संस्थानों में पाठ्यक्रम बाधित नहीं है।
14. इसी तरह, बी. एससी. भौतिकी/ रसायन विज्ञान/इलेक्ट्रॉनिक्स में पोस्ट-ग्रेजुएशन को आगे बढ़ाने के इच्छुक को सामान्य वैकल्पिक के रूप में गणित का एक पेपर चुनना चाहिए, यदि गणित का अध्ययन कोर विषय में से नहीं है।

15. बी. एससी. (ऑनर्स)/बीए (ऑनर्स)/बी.कॉम (ऑनर्स) के छात्र पोस्ट-ग्रेजुएट के लिए पात्र होने के लिए अन्य विषयों में प्रत्येक सेमेस्टर में किसी विशेष विषय के सामान्य ऐच्छिक के लिए संबंधित विभाग में 24 क्रेडिट अर्जित करने का विकल्प चुन सकते हैं। ।
16. विश्वविद्यालय/संस्थान पाठ्यक्रम/संकाय की उपलब्धता के अनुसार जेनेरिक ऐच्छिक और अनुशासन विशिष्ट ऐच्छिक के अंतर्गत अलग-अलग अनुभागों से किसी भी प्रकार के पेपर का प्रस्ताव कर सकते हैं।
17. विश्वविद्यालय/संस्थान अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों/सामान्य हित और रुचि पाठ्यक्रम / खेल/एनसीसी/एनएसएस/व्यावसायिक पाठ्यक्रम/संबंधित पाठ्यक्रमों के बारे में अपनी एक प्रणाली/ नीति विकसित कर सकते हैं।
18. एक छात्र यूजीसी के मॉडल पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित से अधिक संख्या में ऐच्छिक और एई वैकल्पिक पेपर चुन सकता है। हालांकि अर्जित कुल क्रेडिट स्कोर यूजी ऑनर्स के लिए 160 क्रेडिट और यूजी प्रोग्राम की डिग्री के लिए 140 क्रेडिट से अधिक नहीं होगा।
19. यूजी पाठ्यक्रमों की नई योजना को भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में पीजी/तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश की पात्रता के लिए आवश्यकता को निर्धारित करते हुए उचित विचार दिया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सीबीसीएस के अंतर्गत अंतर और बहु-विषयक प्रारूप का पालन करने वाले छात्रों को नुकसान न हो। यह सुझाव दिया जाता है कि जहां भी आवश्यकता हो, विशेष अनुभाग में 24 क्रेडिट प्राप्त करना, संबंधित विश्वविद्यालयों में भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में पीजी/तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए, न्यूनतम पात्रता माना जा सकता है।

बी.एससी.(आनर्स) के अंतर्गत पाठ्यक्रमों का विवरण

* **क्रेडिट**

पाठ्यक्रम	सिद्धांत+ प्रायोगिक	सिद्धांत+ ट्यूटोरियल
I.मूल पाठ्यक्रम (6 क्रेडिट)		
(14 पेपर)	**14 ×4 = 56**	**14 ×5 = 70**
मूल पाठ्यक्रम प्रायोगिक/ट्यूटोरियल *		
(14 पेपर)	**14 ×2 = 28**	**14 ×1 = 14**
II.ऐच्छिक पाठ्यक्रम (6 अंक) (8 पेपर)		
क.1. विभाग विशिष्ट ऐच्छिक		
(**4 पेपर**)	4 ×4 = 16	4 ×5 = 20
क.2. विभाग विशिष्ट ऐच्छिक प्रायोगिक/ट्यूटोरियल *		
(**4 पेपर**)	4 ×2 **=** 8	4 ×1 **=** 4
ख 1.जेनरिक ऐच्छिक/अंतरविषयक		
(**4 पेपर**)	4 ×4**=** 16	4 x5 **=** 20
ख 2.जेनरिक ऐच्छिक प्रायोगिक/ट्यूटोरियल *		
(4 पेपर)	**4 ×2 = 8**	**4 ×1 = 4**
III.योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम		
1. योग्यता संवर्धन अनिवार्य पाठ्यक्रम (एईसीसी)		
(4 क्रेडिट प्रत्येक के 2 पेपर)	**2X4 = 8**	**2X4 = 8**
पर्यावरण विज्ञान अंग्रेजी/हिंदी/एमआईएल संचार		
2. योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम (एईसीसी)		
(न्यूनतम 2) **(4 क्रेडिट प्रत्येक के 2 पेपर)**	**2X4 = 8**	**2X4 = 8**
कुल क्रेडिट	148	148

संस्थान को ईसीए/सामान्य रुचि/ शौक/खेल/एनसीसी/एनएसएस संबंधित पाठ्यक्रमों के बारे में एक प्रणाली/नीति विकसित करनी चाहिए।

*** जहाँ भी प्रायोगिक है वहाँ कोई ट्यूटोरियल हो सकता है या नहीं हो सकता है।**

बी.ए. आनर्स में चुने गए क्रेडिट सिस्टम के लिए योजना

	मूल पाठ्यक्रम(14)	योग्यता संवर्धन अनिवार्य पाठ्यक्रम (एईसीसी) (2)	योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम (एसईसी) (2)	विभाग विशिष्ट ऐच्छिक:डीएसई (4)	ऐच्छिक: जेनरिक (जीई) (4)
I.	सी1 सी 2	अंग्रेजी/ हिंदी/ एमआईएल संचार/ पर्यावरण विज्ञान			जीई -1
II.	सी3 सी4	पर्यावरण विज्ञान / (अंग्रेजी/ हिंदी/ एमआईएल संचार)			जीई -2
III.	सी5 सी6 सी7		एसईसी -1		जीई -3
IV.	सी8 सी9 सी10		एसईसी-2		जीई -4
V.	सी11 सी12			डीएसई-1 डीएसई -2	
VI.	सी13 सी14			डीएसई -3 डीएसई -4	

बी.ए. / बी.कॉम (ऑनर्स) के अंतर्गत प्रस्तावित पाठ्यक्रमों का विवरण

*** क्रेडिट**

पाठ्यक्रम	सिद्धांत+ प्रायोगिक	सिद्धांत+ ट्यूटोरियल
<u>मूल पाठ्यक्रम(6 क्रेडिट)</u>		
(14 पेपर)	**14 ×4 = 56**	**14 ×5 = 70**
मूल पाठ्यक्रम प्रायोगिक/ट्यूटोरियल*		
(14 पेपर)	**14 ×2 = 28**	**14 ×1 = 14**
<u>ऐच्छिक **पाठ्यक्रम** (6 **क्रेडिट**)</u>		
(8 पेपर)		
एडिसिप्लीन 1 विशिष्ट ऐच्छिक		
(4 पेपर)	4X4 **=** 16	4X5 **=** 20
ए 2.डिसिप्लीन विशिष्ट ऐच्छिक प्रायोगिक/ट्यूटोरियल *		
(4 पेपर)	4X2 **=** 8	4X1 **=** 4
बी 1.जेनरिक ऐच्छिक/अंतर विषयक		
(4 पेपर)	4X4 **=** 16	4X5 **=** 20
बी 2.जेनरिक ऐच्छिक प्रायोगिक/ट्यूटोरियल*		
(4 पेपर)	**4 ×2 = 8**	**4 ×1 = 4**

* छठे सत्र में एक डिसिप्लीन विशिष्ट ऐच्छिक पेपर (6 क्रेडिट) की जगह वैकल्पिक शोध प्रबंध या परियोजना का काम हो सकता है।

<u>III. क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम</u>

1.क्षमता संवर्धन अनिवार्य पाठ्यक्रम (एईसीसी)		
(4 क्रेडिट प्रत्येक के 2 पेपर)	**2x4 = 8**	**2X4 = 8**
पर्यावरण विज्ञान अंग्रेजी/हिंदी/एमआईएल संचार		
2.क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (एसईसी)		
(न्यूनतम 2)	**2x4 = 8**	**2x4 = 8**
(4 क्रेडिट प्रत्येक के 2 पेपर)		
कुल क्रेडिट	148	148

संस्थान को ईसीए/सामान्य रुचि/ शौक/खेल/एनसीसी/एनएसएस संबंधित पाठ्यक्रमों के बारे में एक प्रणाली/नीति विकसित करनी चाहिए।

*** जहाँ भी प्रायोगिक है वहाँ कोई ट्यूटोरियल हो सकता है या नहीं हो सकता है।**

बी.ए. / बी.कॉम (ऑनर्स) में चुने गए क्रेडिट सिस्टम के लिए योजना

	मूल पाठ्यक्रम (14)	**योग्यता संवर्धन अनिवार्य पाठ्यक्रम (2) (एईसीसी)**	**योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम (2) (एसईसी)**	**विभाग विशिष्ट :ऐच्छिक डीएसई(4)**	**ऐच्छिकजेनरिक : (4) (जीई)**
I.	सी1 सी2	अंग्रेजी/ हिंदी/ एमआईएल संचार/ पर्यावरण विज्ञान			जीई-1
II.	सी 3 सी 4	पर्यावरण विज्ञान/ (अंग्रेजी/ हिंदी/ एमआईएल संचार)			जीई -2
III.	सी 5 सी 6 सी 7		एसईसी -1		जीई-3
IV.	सी 8 सी 9 सी 10		एसईसी-2		जीई-4
V.	सी 11 सी 12			डीएसई-1 डीएसई-2	
VI.	सी 13 सी14			डीएसई -3 डीएसई-4	

स्नातकपूर्व कार्यक्रम- (बी.एससी.) के अंतर्गत पाठ्यक्रमों का विवरण

	*क्रेडिट	
पाठ्यक्रम	**सिद्धांत+ प्रायोगिक**	**सिद्धांत+ ट्यूटोरियल**
<u>I.मूल पाठ्यक्रम (6 क्रेडिट)</u>		
(12 पेपर)	**12x4 = 48**	**12x5 = 60**
चुने गए 03 डिसिप्लीन में प्रत्येक से पाठ्यक्रम 04		
मूल प्रायोगिक/ट्यूटोरियल *		
(12 प्रायोगिक/ट्यूटोरियल*)	**12x2 = 24**	**12x1 = 12**
चुने गए 03 डिसिप्लीन में प्रत्येक से पाठ्यक्रम 04		
<u>II.ऐच्छिक पाठ्यक्रम (6 क्रेडिट)</u>		
(6 पेपर)	**6x4 = 24**	**6x5 = 30**
अंतरविषयक प्रकृति के पेपर सहित चुने गए प्रत्येक डिसिप्लीन से दो पेपर		
ऐच्छिक पाठ्यक्रम प्रायोगिक/ट्यूटोरियल		
(6 **प्रायोगिक/ट्यूटोरियल***)	**6x2 = 12**	**6x1 = 6**
अंतर विषयक प्रकृति के पेपर सहित प्रति अनुभाग से दो पेपर ।		

* छठे सत्र में एक डिसिप्लीन विशिष्ट ऐच्छिक पेपर (6 क्रेडिट) की जगह वैकल्पिक शोध प्रबंध या परियोजना का काम हो सकता है।

<u>III.क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम</u>		
1.क्षमता संवर्धन अनिवार्य पाठ्यक्रम (एईसीसी)		
(4 क्रेडिट प्रत्येक के 2 पेपर)	**2X4 = 8**	**2X4 = 8**
पर्यावरण विज्ञान अंग्रेजी/हिंदी/एमआईएल संचार		
क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (एसईसी)		
(4 क्रेडिट प्रत्येक के 4पेपर)	**4×4 = 16**	**4 ×4 = 16**
कुल क्रेडिट	132	132

संस्थान को ईसीए/सामान्य रुचि/ शौक/खेल/एनसीसी/एनएसएस संबंधित पाठ्यक्रमों के बारे में एक प्रणाली/नीति विकसित करनी चाहिए।

*** जहाँ भी प्रायोगिक है वहाँ कोई ट्यूटोरियल हो सकता है या नहीं हो सकता है।**

	मूल पाठ्यक्रम	**योग्यता संवर्धन अनिवार्य पाठ्यक्रम (एईसीसी) (2)**	**योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम (एसईसी) (2)**	**विभाग विशिष्ट ऐच्छिक डीएसई (6)**
I.	डीएससी-1 ए	अंग्रेजी/ हिंदी/ एमआईएल संचार/ पर्यावरण विज्ञान		
	डीएससी-2 ए			
	डीएससी-3 ए			
II.	डीएससी-1 बी	पर्यावरण विज्ञान/ (अंग्रेजी/ हिंदी/ एमआईएल संचार)		
	डीएससी-2 बी			
	डीएससी-3 बी			
III.	डीएससी-1 सी		एसईसी-1	
	डीएससी-2 सी			
	डीएससी-3 सी			
IV.	डीएससी-1 डी		एसईसी-2	
	डीएससी-2 डी			
	डीएससी-3 डी			
V.			एसईसी-3	डीएसई-1 ए
				डीएसई-2ए
				डीएसई-3ए
VI.			एसईसी-4	डीएसई-1 बी
				डीएसई-2बी
				डीएसई-3 बी

स्नातकपूर्व कार्यक्रम- (बी.ए/बी.कॉम.) के अंतर्गत पाठ्यक्रमों का विवरण

	* **क्रेडिट**	
पाठ्यक्रम	**सिद्धांत+ प्रायोगिक**	**सिद्धांत+ ट्यूटोरियल**
I.मूल पाठ्यक्रम (6 क्रेडिट)		
(12 पेपर)	**12X4 = 48**	**12X5 = 60**
अंग्रेजी दो पेपर - हिंदी/एमआईएलदो - पेपर		
डिसिप्लीन 1. चार पेपर - डिसिप्लीन 2. चार पेपर		
मूल पाठ्यक्रम प्रायोगिक/ट्यूटोरियल*		
(12 प्रायोगिक/ट्यूटोरियल*)	**12×2 = 24**	**12×1 = 12**
II.ऐच्छिक पाठ्यक्रम (6 क्रेडिट)		
(6 पेपर)	**6 X 4 = 24**	**6X5 = 30**
डिसिप्लीन 1 दो विशिष्ट पेपर डिसिप्लीन 2 दो- विशिष्ट पेपर		
अंतरविषयक प्रकृति के पेपर सहित चुने गए प्रत्येक डिसिप्लीन से दो पेपर		
ऐच्छिक पाठ्यक्रम प्रायोगिक/ट्यूटोरियल		
(6 प्रायोगिक/ट्यूटोरियल *)	**6X2 = 12**	**6X1 = 6**
दो पेपर - डिसिप्लीन 1 विशिष्ट दो पेपर - डिसिप्लीन 2 विशिष्ट		
दो पेपर - जेनरिक (अंतरविषयक)		
अंतरविषयक प्रकृति के पेपर सहित चुने गए प्रत्येक डिसिप्लीन से दो पेपर		
* छठे सत्र में एक डिसिप्लीन विशिष्ट ऐच्छिक पेपर (6 क्रेडिट) की जगह वैकल्पिक शोध प्रबंध या परियोजना का काम हो सकता है।		
III.क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम		
1. क्षमता संवर्धन अनिवार्य पाठ्यक्रम (एईसीसी)		
(4 क्रेडिट प्रत्येक के 2 पेपर)	**2X4 = 8**	**2X4 = 8**
पर्यावरण विज्ञान		
अंग्रेजी/ हिंदी/ एमआईएल संचार		
2.क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (एसईसी)		
(4 क्रेडिट प्रत्येक के 4 पेपर)	**4× 4 = 16**	**4 4 = 16**
कुल क्रेडिट	132	132

संस्थान को ईसीए/सामान्य रुचि/ शौक/खेल/एनसीसी/एनएसएस संबंधित पाठ्यक्रमों के बारे में एक प्रणाली/नीति विकसित करनी चाहिए।

*** जहाँ भी प्रायोगिक है वहाँ कोई ट्यूटोरियल हो सकता है या नहीं हो सकता है।**

	मूल पाठ्यक्रम (12)	योग्यता संवर्धन अनिवार्य पाठ्यक्रम (एईसीसी)(2)	योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम (एसईसी) (एसईसी) (2)	विभाग विशिष्ट ऐच्छिक डीएसई (4)	जेनरिक ऐच्छिक जीई (2)
I.	अंग्रेजी/ हिंदी/ एमआईएल-1 डीएससी-1 ए डीएससी-2 ए	अंग्रेजी/ हिंदी/ एमआईएल संचार/ पर्यावरण विज्ञान			
II.	हिंदी/ एमआईएल/ अंग्रेजी-1 डीएससी-1 बी डीएससी-2 बी	पर्यावरण विज्ञान/ (अंग्रेजी/ हिंदी/ एमआईएल संचार)			
III.	अंग्रेजी/ हिंदी/ एमआईएल-2 डीएससी-1 सी डीएससी-2 सी		एसईसी-1		
IV.	हिंदी/ एमआईएल/ अंग्रेजी-2 डीएससी-1 डी डीएससी-2 डी		एसईसी-1		
V.			एसईसी-1	डीएसई-1 ए डीएसई-2 ए	जीई-1
VI.			एसईसी-2	डीएसई-1 बी डीएसई-2 बी	जीई-2

परिशिष्ट XI छात्रावास सुविधाएं

दिल्ली विश्वविद्यालय भारत के प्रमुख संस्थानों में से एक है और यह पूरे देश और विदेशों से आवेदकों की एक बड़ी संख्या को आकर्षित करता है। बाहरी छात्र सुरक्षित और आरामदायक आवास चाहते हैं और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कुछ महाविद्यालय अपने छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा प्रदान करते हैं। सभी महाविद्यालयों में छात्रावास नहीं हैं, ये छात्रावास अत्यधिक सीमित हैं और पूरी तरह से आवेदक की योग्यता के आधार पर आबंटित किए जाते हैं।

महाविद्यालयों में स्नातकपूर्व विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की सुविधा-

क्रम सं.	महाविद्यालय का नाम	पुरुष	महिला	पुरुष और महिला दोनों
1.	भारती महाविद्यालय		•	
2.	दीन दयाल उपाध्याय महाविद्यालय			•
3.	दौलत राम महाविद्यालय		•	
4.	हंसराज महाविद्यालय	•		
5.	हिंदू महाविद्यालय			•
6.	इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय		•	
7.	जानकी देवी मेमोरियल महाविद्यालय		•	
8.	किरोड़ीमल महाविद्यालय	•		
9.	एलएसआर महाविद्यालय		•	
10.	लेडी इरविन महाविद्यालय		•	
11.	मिरांडा हाउस		•	
12.	रामजस महाविद्यालय			•
13.	श्री राम महाविद्यालय ऑफ कॉमर्स			•
14.	श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय			•
15.	एस.जी.टी.बी. खालसा महाविद्यालय		•	
16.	महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय		•	
17.	केशव महाविद्यालय		•	
18.	शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ विमेन फॉर एप्लीइड साइंस		•	
19.	श्री गुरु गोबिंद सिंह वाणिज्य महाविद्यालय		•	
20.	शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज			•

विश्वविद्यालय में छात्रावास सुविधाएं

महाविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली छात्रावास सुविधाओं के अलावा, दिल्ली विश्वविद्यालय (उत्तरी परिसर) महिला स्नातक छात्रों को छात्रावास की सुविधा भी प्रदान करता है। जिनकी सूची नीचे दी गई है:

क्रम सं.	छात्रावास का नाम	संपर्क
1	कन्या स्नातक-पूर्व छात्रावास (अंडर ग्रेजुएट होस्टल फॉर गर्ल्स)	011-27605897 अधिक जानकारी के लिए कृपयाwww.ughg-du.org देखें।
2.	इंटरनेशनल स्टुडेंट्स हाउस फॉर वुमेन (विदेशी स्नातक-पूर्व के लिए केवल कुछ सीटें)	प्रोफेसर पामेला सिंगला 9811328666

छात्रों की बड़ी संख्या के कारण, सभी चयनित बाहरी आवेदकों को छात्रावास नहीं मिल सकता है। अध्ययन के एक पाठ्यक्रम में प्रवेश करने से छात्रावास के आवास का आबंटन सुनिश्चित नहीं होगा। पात्र आवेदकों को उनकी योग्यता और एक छात्रावास में सीट की उपलब्धता के आधार पर आवास की पेशकश की जाएगी। छात्र अपनी निजी व्यवस्था के अनुसार मेहमानों (पीजी) या आसपास के क्षेत्रों में आवास के किराये का भुगतान करते हैं, जिसमें विश्वविद्यालय की कोई भूमिका या जिम्मेदारी नहीं है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे पीजी/निजी आवास की साख को जांचें।

अ.जा/अ.ज.जा/पी.डब्ल्यू.बीडी/सी.डब्ल्यू छात्रों के लिए छात्रावास में प्रवेश

1. खाली छात्रावास की रिक्त सीटों में से 15% सीटें अ.जा छात्रों के लिए और महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय छात्रावासों 7.5% सीटें अ.ज.जा छात्रों के लिए आरक्षित हैं। अ.जा/अ.ज.जा छात्रों को छात्रावास में सीटों का आबंटन अ.जा/अ.ज.जा की योग्यता के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक महाविद्यालय के छात्र और केवल ऐसे छात्रों को छात्रावास में आवास देने के लिए विचार किया जाएगा जिनके माता-पिता दिल्ली में नहीं रहते हैं।
2. हालांकि, यदि सीटें उपलब्ध हैं, तो उन अ.जा/अ.ज.जा छात्रों के आवेदन की जांच संबंधित छात्रों के व्यक्तिगत गुण के आधार पर संस्था/छात्रावास के प्रमुख द्वारा की जा सकती है, जिनके माता-पिता दिल्ली में रहते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के प्रवेश के लिए निर्धारित तारीखों के अनुसार छात्रावासों में प्रवेश की अंतिम तारीख निर्धारित की जाएगी और अ.जा./ अ.ज.जा. छात्रों के हॉस्टल में प्रवेश की अंतिम तारीख के बाद आरक्षित वर्ग की बची हुई सीटों को खुली सीटें माना जाएगा और अंतिम तारीख की समाप्ति के बाद उन्हें अन्य छात्रों को प्रदान किया जाएगा।
3. विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के छात्रावास में पी.डब्ल्यू.बीडी छात्रों के लिए 3% सीटें आरक्षित हैं।
4. विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के छात्रावासों में सी.डब्ल्यू कोटा के लिए कुछ सीटें भी आरक्षित हैं।

परिशिष्ट XII प्रवेश के आहरण/निरस्तीकरण के कारण शुल्क की वापसी के नियम

क्रम सं.	शुल्क वापस मांगने का कारण	लौटाए जाने वाले शुल्क का परिमाण
1.	जब कोई छात्र प्रवेश की अंतिम तिथि तक प्रवेश वापस लेने के लिए आवेदन करता है	1000 रुपएऔर पूर्ण परीक्षा शुल्क की कटौती के बाद पूर्ण शुल्क।
2.	जब विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की ओर से हुई त्रुटि/चूक/कार्य के कारण अनजाने में प्रवेश हो जाता है	पूरा शुल्क और पूरा परीक्षा शुल्क।
3.	जब तथ्यों को छिपाने/गलत तरीके से प्रस्तुत करने, भ्रामक जानकारी प्रदान करने या छात्र की ओर से किसी त्रुटि/गलती अथवा छात्र द्वारा गलत या फर्जी प्रमाण-पत्र प्रदान करने के कारण प्रवेश रद्द करना होता है।	कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
4.	जब स्व वित्त पोषण करने वाला कोई छात्र प्रवेश की अंतिम तिथि को या उससे पहले शुल्क वापसी के लिए आवेदन करता है।	रुपए और पूरे परीक्षा शुल्क 1000 की कटौती के बाद पूरा शुल्क।
5.	यदि किसी छात्र की उसके प्रवेश के बाद प्रवेश की अंतिम तिथि के एक महीने के भीतर मौत हो जाती है।	परीक्षा शुल्क सहित पूरा शुल्क उसके माता-जाएगा। पिता को वापस कर दिया

परिशिष्ट XIII कॉलेजों के वित्तपोषण की स्थित

ट्रस्ट के महाविद्यालय 95% रखरखाव यू.जी.सी अनुदान द्वारा और 5% ट्रस्ट द्वारा	दिल्ली प्रशासन के महाविद्यालय %100वित्तीय सहायता दिल्ली सरकार द्वारा	दिल्ली प्रशासन महाविद्यालय (रखरखाव 95% यू.जी.सी द्वारा दिए गए अनुदान से और 5% दिल्ली सरकार द्वारा)
आत्मा राम सनातन धर्म महाविद्यालय	आचार्य नरेंद्र देव महाविद्यालय	भारती महाविद्यालय
दौलत राम महाविद्यालय	अदिति महाविद्यालय	दिल्ली महाविद्यालय ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स
हंस राज महाविद्यालय	भगिनी निवेदिता महाविद्यालय	गार्गी कॉलेज फॉर वुमेन
हिंदू महाविद्यालय	भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज	कालिंदी महिला महाविद्यालय
इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय	डॉभीम राव अंबेडकर . महाविद्यालय	कमला नेहरू कॉलेज फॉर वुमैन
गृह आर्थिक संस्थान	दीन दयाल उपाध्याय महाविद्यालय	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय
जानकी देवी मेमोरियल महाविद्यालय	इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस	मैत्रेयी कॉलेज फॉर वुमैन
जीसस एंड मेरी महाविद्यालय	केशव महाविद्यालय	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय
लेडी इरविन महाविद्यालय	महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय	राजधानी महाविद्यालय
लेडी श्री राम महाविद्यालय	महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन	सत्यवती महाविद्यालय
माता सुंदरी महाविद्यालय फॉर वुमेन	एसकॉलेज ऑफ अप्लाइड .आर. साइंसेज	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय
पीमहाविद्यालय .वी.ए.डी.जी.	एसकॉलेज ऑफ बिजनेस .एस. स्टडीज	शिवाजी महाविद्यालय
रामजस महाविद्यालय	ट्रस्ट के महाविद्यालय यूसी .जी. द्वारा100% रखरखाव अनुदान	श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन
श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स	पी महाविद्यालय.वी.ए.डी.जी. (सांध्य)	श्री अरविन्द महाविद्यालय
श्याम लाल महाविद्यालय	श्याम लाल महाविद्यालय (सांध्य)	स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय
श्री गुरु गोबिंद सिंह महाविद्यालय ऑफ कॉमर्स	जाकिर हुसैन दिल्ली महाविद्यालय	विवेकानंद महाविद्यालय
श्री गुरु नानक देव खालसा महाविद्यालय	जाकिर हुसैन दिल्ली महाविद्यालय (सांध्य)	

श्री गुरु तेग बहादुर खालसा महाविद्यालय	कॉलेजों विश्वविद्यालय द्वारा संचालित महाविद्यालय केंद्र /	**दिल्ली प्रशासन के महाविद्यालय यू.जी.सी द्वारा 100% रखरखाव अनुदान**
श्री गुरु तेग बहादुर खालसा महाविद्यालय	आर्यभट्ट महाविद्यालय	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (सांध्य)
श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय	कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज	सत्यवती महाविद्यालय (सांध्य)
सेंट स्टीफेंस महाविद्यालय	देशबंधु महाविद्यालय	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (सांध्य)
बिना किसी अनुदान के	दयाल सिंह महाविद्यालय	श्री अरबिंदो महाविद्यालय (सांध्य)
दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म छात्र की फीस से अर्जित धन से चलाया जाता है	किरोड़ीमल महाविद्यालय	
	मिरांडा हाउस	
	रामानुजन महाविद्यालय	
	राम लाल आनंद महाविद्यालय	
	क्लस्टर नवाचार केंद्र	

परिशिष्ट XIV अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न. मैंने डी.यू स्नातक-पूर्व(यू.जी) ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण किया है। क्या मुझे अब भी स्नातक प्रवेश के लिए कोई ऑफ़लाइन फॉर्म भरने की आवश्यकता है?

उत्तर. डीयू स्नातक-पूर्व प्रवेश के लिए कोई ऑफ़लाइन फॉर्म नहीं है। आपको विश्वविद्यालय के केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन फॉर्म को पंजीकृत करने और भरने की आवश्यकता है, जहां एक उम्मीदवार दोनों पाठ्यक्रमों अर्थात् जिसमें कक्षा 12वीं की योग्यता परीक्षाओं में योग्यता के आधार पर प्रवेश मिलता है, साथ ही जिनमें प्रवेश परीक्षा पर आधारित पाठ्यक्रम के लिए आवेदन कर सकता है ।

प्रश्न. मैं किन पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन फॉर्म का उपयोग कर सकता हूँ?

उत्तर. आवेदक निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए ऑन-लाइन पंजीकरण फॉर्म का उपयोग कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं:

योग्यता(मेरिट) के आधार पर प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम:

संकाय का नाम	**पाठ्यक्रम**
कला संकाय	अरबी, बांग्ला, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, हिंदी, फारसी, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, पंजाबी, राजनीति शास्त्र, स्पेनिश और उर्दू में बी.ए.प्रोग्राम., बी.ए.व्यवसायिक अध्ययन, बी. ए. (आनर्स)
सामाजिक विज्ञान संकाय	अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, सामाजिक कार्य और समाज शास्त्र में बी. ए. (आनर्स)
अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी संकाय	हिंदी पत्रकारिता, पत्रकारिता में बी. ए. (आनर्स), स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन, खुदरा बिक्री प्रबंधन और आईटी, वेब डिजाइनिंग, मुद्रण प्रौद्योगिकी, बैंकिंग संचालन में बी. वोकेशनल.
वाणिज्य और व्यावसायिक अध्ययन संकाय	बी.कॉम (ऑनर्स) और बी.कॉम।
गणितीय विज्ञान संकाय	गणितीय विज्ञानों में बी. एससी.। गणित/ सांख्यिकी, में बी. एससी. (ऑनर्स)। कंप्यूटर साइंस में बी. एससी. (ऑनर्स)।
विज्ञानअनुशासनात्मक और -अंतर / अनुप्रयुक्त विज्ञान संकाय	नृविज्ञान/जीव विज्ञान/ वनस्पति विज्ञान/सूक्ष्म जीव विज्ञान/प्राणी विज्ञान में बी. एससी. (ऑनर्स)। रसायन विज्ञान / भौतिक विज्ञान / पॉलिमर विज्ञान में बी.एससी. (ऑनर्स)। इलेक्ट्रॉनिक्स / इंस्ट्रुमेंटेशन / भूविज्ञान / खाद्य प्रौद्योगिकी / जैव रसायन विज्ञान / जैव चिकित्सा विज्ञान /गृह विज्ञान में बी. एससी (ऑनर्स)। अनुप्रयुक्त भौतिक विज्ञान/भौतिक विज्ञान (कंप्यूटर साइंस)/ भौतिक विज्ञान (रसायन विज्ञान)/ अनुप्रयुक्त भौतिक विज्ञान (औद्योगिक रसायन विज्ञान/ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भौतिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त जीव विज्ञान/जीव विज्ञान में बी.एससी (प्रोग्राम)। गृहविज्ञान बी.एससी (पास)

प्रवेश परीक्षा पर आधारित प्रवेश वाले पाठ्यक्रम:

संकाय / संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम
अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी संकाय	वाणिज्यिक अर्थशास्त्र में बी.ए.(आनर्स) प्रबंधन अध्ययन स्नातक व्यवसाय प्रशासन स्नातक (वित्तीय निवेश विश्लेषण)
क्लस्टर नवाचार केंद्र	बी. टेक. (सूचना प्रौद्योगिकी और गणितीय नवाचार) मानविकी और समाज विज्ञान में बी.ए.(आनर्स)
शिक्षा संकाय	प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक
अंतर-अनुशासनात्मक और अनुप्रयुक्त विज्ञान संकाय	शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और खेल में विज्ञान स्नातक.
इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन	मल्टीमीडिया और मास कम्युनिकेशन में बी.ए.(आनर्स)
संगीत एवं ललित कला संकाय	हिंदुस्तानी संगीत-कंठ/ वाद्य (सितार/सरोद/ गिटार/ वायलिन/ संतूर) में कला स्नातक (आनर्स) कर्नाटक संगीत- मौखिक/ वाद्यंत्र (वीणा/वायलिन) में कला स्नातक (आनर्स) हिंदुस्तानी संगीत - तालवाद्य (तबला/पखावज) में कला स्नातक (आनर्स)
सामाजिक विज्ञान का संकाय	दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में पत्रकारिता में पाँच वर्ष का एकीकृत प्रोग्राम (अंग्रेजी और हिंदी में)

प्रश्न. क्या प्रवेश के लिए ऑफलाइन आवेदन करने का कोई तरीका है?

उत्तर. नहीं, कोई ऑफ़लाइन फ़ॉर्म/विधि नहीं है। आपको केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल http://admission.du.ac.in/. के माध्यम से आवेदन करना होगा।

प्रश्न. यदि मैंने पंजीकरण करते समय गलत ईमेल पता भर दिया है तो मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर. आपको सही ईमेल पते के साथ पंजीकरण फॉर्म भर कर फिर से पंजीकरण करना होगा।

प्रश्न. क्या मैं ऑनलाइन फॉर्म पर कई पाठ्यक्रमों में पंजीकरण करा सकता हूँ?

उत्तर. आप एक ही ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म के माध्यम से सभी पाठ्यक्रमों को चुनकर कई पाठ्यक्रमों में पंजीकरण कर सकते हैं।

प्रश्न. क्या मैं इस फॉर्म के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रम के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

उत्तर. हाँ, आवेदक इस पोर्टल के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश के लिए स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न. क्या मुझे विभिन्न कॉलेजों में आवेदन करने के लिए अलग-अलग फॉर्म भरने होंगे?

उत्तर. नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों (सेंट स्टीफंस और जीसस एंड मैरी महाविद्यालय को छोड़कर) में आपके पंजीकरण और आवेदन के लिए केवल एक फार्म भर कर जमा करना होता है।

प्रश्न. मुझे अल्पसंख्यक कॉलेजों में आवेदन करने में भी दिलचस्पी है, मैं कैसे आवेदन कर सकता हूँ?

उत्तर. आपको डीयू पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के बाद अलग से अपना पंजीकरण फॉर्म पूरा करने का विकल्प मिलेगा, यह उन उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है जो ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न विश्वविद्यालय पंजीकरण संख्या का उल्लेख कर अल्पसंख्यक कॉलेजों (ईसाई) में आवेदन करना चाहते हैं।

प्रश्न. आवेदन में कौन से अनिवार्य क्षेत्र हैं?

उत्तर. अनिवार्य क्षेत्रों को शीर्षकों से सटे लाल तारांकित (*) से संकेतित किया जाता है। पंजीकरण पूरा करने के लिए आवेदक को इन क्षेत्रों में प्रासंगिक जानकारी भरनी होगी।

प्रश्न. मैंने अपना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने में त्रुटि कर दी है। क्या मैं अलग ईमेल आईडी का उपयोग करके फिर से पंजीकरण करूँ और नया पंजीकरण फॉर्म भरूँ?

उत्तर. नहीं, पोर्टल आपको दो बार पंजीकरण कराने की अनुमति नहीं देता है। हालाँकि, आप अपने खाते में फिर से प्रवेश करके और प्रत्येक सत्र/पृष्ठ के अंत में दिए गए "संपादित करें" बटन का उपयोग करके अपनी त्रुटि को सुधार सकते हैं। आप तब तक ऐसा कर सकते हैं जब तक आप शुल्क का भुगतान करने के लिए "भुगतान" लिंक पर क्लिक नहीं करते हैं और इस तरह अपना पंजीकरण फॉर्म जमा नहीं करते हैं। आपके द्वारा अपना फॉर्म जमा करने के बाद, आप कुछ सीमित प्रकार की जानकारी के लिए केवल 100 रुपए के शुल्क पर एकमुश्त सुधार कर सकते हैं।

प्रश्न. मैंने ऑनलाइन पोर्टल में, अपना खाता बनाया है और अपना पंजीकरण फॉर्म भरा है। क्या मैं अपने मित्र का पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए उसी खाते का उपयोग कर सकता हूँ?

उत्तर. नहीं, यूजी प्रवेश के लिए एक खाते से केवल एक आवेदक आवेदन कर सकता है। प्रत्येक आवेदक/उम्मीदवार को एक अलग खाता बनाना होगा और अलग-अलग ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरना होगा।

प्रश्न. मेरे पास ईमेल अकाउंट नहीं है। क्या मैं पंजीकरण के लिए खाता बनाने के लिए "साइन अप" करते समय किसी और के ईमेल का उपयोग कर सकता हूँ?

उत्तर. नहीं, आपको पंजीकरण के लिए किसी और के ईमेल खाते का उपयोग नहीं करना चाहिए। आपको एक मान्य ईमेल खाता बनाना होगा और उसका पासवर्ड याद रखना होगा, क्योंकि प्रवेश प्रक्रिया के दौरान उपयोग किए गए विश्वविद्यालय के सभी संचार आपके ईमेल खाते में भेजे जाएंगे।

प्रश्न. मैं अपनी पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान उपयोग करने के लिए बनाए गए ईमेल खाते को भूल गया। मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर. पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आपका ईमेल पता आपका लॉगिन आईडी होगा। यह पूरी तरह से आवश्यक है कि आप अपना ईमेल पता याद रखें, जिसके बिना हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे।

प्रश्न. निर्दिष्ट विकलांगता (पीडब्लूडीडीसी) का उपयोग करने वाले व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन पत्र कैसे भर सकते हैं?

उत्तर. पीडब्ल्यूडीबीडीसी आवेदक सहायक तकनीक का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। विशेष रूप से, नेत्रहीन आवेदक आवेदन फॉर्म भरने के लिए JAWS या NVDA जैसे स्क्रीन रीडिंग सॉफ़्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर का उपयोग करने में असमर्थ लोग किसी से मानवीय सहायता ले सकते हैं।

प्रश्न. यदि प्रक्रिया के दौरान विश्वविद्यालय वेबसाइट लिंक हैंग हो जाता है या कार्यात्मक नहीं रहता है तो क्या करना चाहिए?

उत्तर. ऐसी स्थिति से बचने के लिए विकास के चरण के दौरान सभी संभव उपाय किए जाते हैं। हालाँकि, इंटरनेट के मुद्दों के कारण या यदि बड़ी संख्या में आवेदक एक साथ साइट का उपयोग करते हैं, तो इस तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। पंजीकरण फॉर्म में एक "सेव एंड कंटिन्यू" फीचर होता है, आप एक सत्र में पूरे फॉर्म को पूरा करने में सक्षम नहीं होने पर इसका उपयोग कर सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि जानकारी को सहेजने के लिए प्रत्येक पृष्ठ/सत्र पर अलग से "सबमिट" बटन पर क्लिक करें, और आप लिंक को ताज़ा करने या किसी अन्य सत्र में अपने खाते में लॉग इन करने के बाद शेष ऑनलाइन पंजीकरण फ़ॉर्म भरने के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आपको यह भी सलाह दी जाती है कि फॉर्म को पूरा करने या जमा करने के लिए अंतिम दिन तक इंतजार न करें।

प्रश्न. मैं डी.यू यूजी पोर्टल पर पंजीकरण शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता हूँ?

उत्तर. केवल क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान स्वीकार किया जाता है। सुनिश्चित करें कि आप केवल एडमिशन पोर्टल में दिए गए भुगतान लिंक के माध्यम से भुगतान करते हैं।

प्रश्न. क्या मुझे शुल्क रियायत मिल सकती है? शुल्क में रियायत की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर. सभी आवेदकों को यूजी प्रवेश बुलेटिन 2020-21 की धारा 1 में निर्दिष्ट अनुसार पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। अधिकतर कॉलेजों में फीस में छूट का प्रावधान है लेकिन वह प्रवेश के बाद ही संभव है। आपको विवरण के लिए महाविद्यालय से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

प्रश्न. ऑनलाइन भुगतान के दौरान, मेरे खाते से राशि काट ली गई है लेकिन यू.जी प्रवेश पोर्टल पर मुझे अभी भी स्थिति "लंबित" दिखाई दे रही है।

उत्तर. ऑनलाइन भुगतान से संबंधित तकनीकी मुद्दों से निपटने के लिए एक विस्तृत संकल्प मार्ग अंडरग्रेजुएट एडमिशन बुलेटिन 2020-21 के एक अनुबंध (विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपडेट किए जाने वाले) के रूप में प्रदान किया जाएगा। आप "शिकायत विवरण" के अंतर्गत लेनदेन के पूर्ण विवरण के साथ वहां सूचीबद्ध संख्याओं और ईमेलों को देख सकते हैं। इस प्रकृति के प्रश्नों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

प्रश्न. क्या कट-ऑफ घोषित होने के बाद आवेदकों को पहले आओ, पहले पाओ की नीति पर प्रवेश दिया जाएगा?

उत्तर. कॉलेजों में प्रवेश पहले आओ पहले पाओ की नीति पर आधारित नहीं हैं। इसकी बजाय, जिस आवेदक ने ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरा है और किसी विशेष महाविद्यालय में किसी विशेष पाठ्यक्रम के लिए मानदंडों और कट-ऑफ को संतुष्ट करता है, तो प्रवेश के निर्धारित समय के अनुसार उसके प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा।

प्रश्न. मैं विज्ञान का छात्र हूँ। क्या मैं कला/मानविकी विषयों में ऑनर्स के साथ स्नातक पाठ्यक्रम के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

उत्तर. हाँ, अगर आप पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं और जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं, उसके लिए अपेक्षित कट ऑफ को पूरा करते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 2020-21 सूचना के स्नातक-पूर्व बुलेटिन की धारा 2 और 3 का संदर्भ लें।

प्रश्न. एक बार किसी विशेष विषय में प्रवेश ले लेने के बाद, क्या मैं अध्ययन के दौरान या प्रथम वर्ष पूरा करने के बाद अपना विषय बदल सकता हूँ?

उत्तर. एक बार जब आप किसी विशेष विषय में भर्ती हो जाते हैं, तो आप अपने विषय को केवल प्रवेश की अंतिम तिथि से पहले ही बदल सकते हैं, बशर्ते कि आपने अपने ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म में उस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया हो, अपेक्षित कट-ऑफ पूरा करते हों और सीटें उपलब्ध हों। आप अध्ययन के दौरान या अपने अध्ययन के पहले वर्ष को पूरा करने के बाद अपना विषय नहीं बदल सकते हैं।

प्रश्न. मैं पिछले वर्ष बारहवीं कक्षा की परीक्षा में उपस्थित हुआ था लेकिन गणित में पास होने में असफल रहा। फिर, मैं कम्पार्टमेंट परीक्षा में उपस्थित हुआ और उसमें उत्तीर्ण हुआ। अब, मेरे पास दो मार्कशीट हैं, क्या मुझे प्रवेश मिल सकता है?

उत्तर. हाँ, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने से पहले कम्पार्टमेंट परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाए और सीटें उपलब्ध हों। आपको अपने नवीनतम अंक भरकर ऑनलाइन पंजीकरण फ़ॉर्म को अपडेट करने के की अपेक्षा की जाती है, जो प्रवेश के अंत तक संभव है, जबकि पंजीकरण पोर्टल खुला है।

प्रश्न. मैंने विज्ञान विषयों के साथ बारहवीं कक्षा पास की है। मैं सेंट स्टीफंस और जीसस मैरी महाविद्यालय सहित दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में आवेदन करना चाहता हूँ। क्या मैं ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकता हूँ?

उत्तर. विभिन्न महाविद्यालयों में सभी मेरिट-आधारित पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म लागू है। सेंट स्टीफंस और जीसस एंड मैरी जैसे अल्पसंख्यक कॉलेजों में आवेदन करने के लिए, आपको अपना पंजीकरण फॉर्म अलग से भरने के लिए इन कॉलेजों के पोर्टल पर जाना होगा। हालांकि, अल्पसंख्यक कॉलेजों में आवेदन करना चाहने वाले आवेदकों के लिए अल्पसंख्यक कॉलेजों के ऑनलाइन फॉर्म में विश्वविद्यालय पंजीकरण संख्या दर्ज करना अनिवार्य है। ये महाविद्यालय अपनी वेबसाइट पर अग्रिम रूप से अधिसूचित प्रवेश प्रक्रियाओं का पालन करेंगे।

प्रश्न. क्या मैं ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म जमा कर सकता हूँ, भले ही मेरा परिणाम प्रतीक्षित हो?

उत्तर. हाँ, आप सूचना दर्ज करते समय "शैक्षणिक विवरण" पृष्ठ/अनुभाग पर "परिणाम स्थिति" के ड्रॉप-डाउन मेनू में "प्रतीक्षा" का चयन करके ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म जमा कर सकते हैं। हालांकि, आपको न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा और निर्धारित अवधि के दौरान महाविद्यालय और पाठ्यक्रम के विशिष्ट कट-ऑफ सूची को पूरा करना होगा।

प्रश्न. क्या मैं बारहवीं कक्षा में कंपार्टमेंट होने पर भी ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भर सकता हूँ?

उत्तर. यदि आप पुनर्मूल्यांकन के लिए अपने अंक जमा कर चुके हैं या यदि आपने उस पेपर (रों) के लिए फिर से परीक्षा दी है, जिसमें आप उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, तो आप “पंजीकरण स्थिति” के लिए “प्रतीक्षित” विकल्प का उपयोग करके ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं। आपके अपडेट किए गए अंकों के दिखाई देने के बाद, आप पंजीकरण पोर्टल को अपडेट कर सकते हैं। हालांकि, आपका पंजीकरण फॉर्म केवल तभी मान्य होगा जब आप प्रवेश अवधि के भीतर अपने अंकों को अपडेट करते हैं, और यदि आप पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं, जो उस पाठ्यक्रम/ महाविद्यालय के लिए कट-ऑफ अंकों को पूरा करना और सीटों की उपलब्धता के अधीन है।

प्रश्न. यदि मैं अपनी श्रेणी बदलता हूँ तो क्या पंजीकरण शुल्क वापस या समायोजित किया जाएगा?

उत्तर. पंजीकरण शुल्क सभी श्रेणियों के लिए अनिवार्य है और किसी भी परिस्थिति में वापस या समायोजित नहीं किया जाएगा।

प्रश्न. मैं अपने आवेदन का पूर्वावलोकन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ और शुल्क का भुगतान भी नहीं कर पा रहा हूँ?

उत्तर. कृपया सुनिश्चित करें कि आपने निम्नलिखित किया है:

प्रत्येक पृष्ठ पर अनिवार्य क्षेत्र (लाल तारांकन चिह्न के साथ चिह्नित) को भरना।

आपने "अनिवार्य अपलोड" के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए हैं।

प्रश्न. क्या मैं एक ऑनलाइन फॉर्म में कई पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण कर सकता हूँ?

उत्तर. हाँ, आप एक ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म के माध्यम से अपनी रुचि के सभी पाठ्यक्रमों का चयन कर सकते हैं।

प्रश्न. क्या शुल्क जमा करने के बाद आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी को बदलना/अपडेट करना संभव है?

उत्तर. नहीं, पंजीकरण शुल्क जमा करने के बाद आवेदक जानकारी को परिवर्तित/अद्यतित नहीं कर सकते।

प्रश्न. मैं अ.ज.जा. वर्ग से संबंधित हूँ और एक दूरस्थ स्थान पर रहता हूँ। मैं आपके विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ?

उत्तर. आप इंटरनेट एक्सेस के साथ किसी भी स्थान से पंजीकरण फॉर्म भरकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न. क्या आवेदक के नाम पर जाति या जनजाति प्रमाणपत्र होना जरूरी है?

उत्तर. हाँ, यदि आप किसी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं, तो आपके पास आवेदक के नाम पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रासंगिक आरक्षण प्रमाणपत्र होना चाहिए। अ.पि.व. प्रमाणपत्र में यह भी निर्दिष्ट होना चाहिए कि आवेदक 'नॉन-क्रीमीलेयर' परत से संबंधित है और उसकी जाति केंद्र सरकार की सूची में सूचीबद्ध है।

प्रश्न. क्या अंतराल वाले वर्ष के छात्रों के लिए कोई नुकसान होगा?

उत्तर. नहीं, छात्रों को अंतराल से कोई नुकसान नहीं है और उनसे नियमित छात्रों जैसा व्यवहार किया जाएगा। उन्हें प्रवेश के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम-विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना चाहिए और उनके पास आवश्यक दस्तावेज/प्रमाणपत्र होना चाहिए।

प्रश्न. मैं बारहवीं कक्षा में गणित नहीं पढ़ता था। क्या मैं अर्थशास्त्र (ऑनर्स) या बी. कॉम. (ऑनर्स) का विकल्प चुन सकता हूँ?

उत्तर. नहीं, आप बारहवीं कक्षा में गणित का अध्ययन किए बिना अर्थशास्त्र (आनर्स)) या बी. कॉम. (ऑनर्स) का विकल्प नहीं चुन सकते।

प्रश्न. क्या कट-ऑफ घोषित होने के बाद प्रवेश लेने के लिए आवेदक/उम्मीदवार को उपस्थित रहने के लिए आवश्यक है?

उत्तर. नहीं, कट-ऑफ की आवश्यकता होने पर प्रवेश लेने के लिए आवेदक को उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। लेकिन आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, आवश्यक कट-ऑफ में आता है और एक बार उसका प्रवेश स्वीकृत होने के बाद उसने शुल्क का भुगतान किया है।

प्रश्न. कट ऑफ की घोषणा के बाद क्या मैं दो अलग-अलग पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकता हूँ या अलग-अलग कॉलेजों में एक ही कोर्स कर सकता हूँ?

उत्तर. नहीं, आप दो अलग-अलग पाठ्यक्रमों में एक साथ प्रवेश नहीं ले सकते या अलग-अलग कॉलेजों में एक ही कोर्स नहीं कर सकते हैं। यदि आप दो स्थानों पर प्रवेश लेते हैं, तो आपका प्रवेश दोनों महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों से रद्द कर दिया जाएगा।

प्रश्न. मुझे पिछले वर्ष स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत भर्ती किया गया था, लेकिन पहले वर्ष को क्लीयर नहीं कर पाया। क्या मैं नए सिरे से आवेदन कर सकता हूँ और अपना पाठ्यक्रम भी बदल सकता हूँ?

उत्तर. आप अपने पहले वर्ष को पूर्व छात्र के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं, यदि आपका आंतरिक मूल्यांकन पूरा हो गया है (उपस्थिति सहित)। यदि आप किसी अन्य कोर्स के लिए नए सिरे से आवेदन करना चाहते हैं, तो आप अपना पिछला प्रवेश रद्द करके और फिर से ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरकर ऐसा कर सकते हैं।

प्रश्न. मैंने अपनी कक्षा बारहवीं एन.ओ.एस (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान) से पूरी की है। क्या मुझे नियमित महाविद्यालय में प्रवेश मिल सकता है?

उत्तर. हाँ, आप किसी विशेष पाठ्यक्रम में नियमित महाविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं बशर्ते आपने उस पाठ्यक्रम में आवेदन किया हो और कट-ऑफ मानदंड को पूरा करते हों।

प्रश्न. क्या मैं अपने नियमित स्नातक पाठ्यक्रम के साथ एक प्रमाणपत्र भाषा पाठ्यक्रम के लिए खुद को नामांकित कर सकता हूँ?

उत्तर. हाँ, कई महाविद्यालय ऑफिस मैनेजमेंट, विदेशी भाषाओं आदि में पार्ट टाइम प्रमाणपत्र कोर्स कराते हैं। हालाँकि, यह सलाह दी जाती है कि पहले यह समझने की कोशिश करें कि आपका नियमित पाठ्यक्रम कैसे काम करता है, आपके पास कितना खाली समय है और फिर उसी हिसाब से अपने प्रमाणपत्र कोर्स की योजना बनाएं।

प्रश्न. क्या ऑनर्स सहित स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रम के लिए आवेदक को उसी महाविद्यालय में ऑनर्स के बिना पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विचार किया जा सकता है या नहीं?

उत्तर. आवेदकों को ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म में उन सभी पाठ्यक्रमों का चयन करना होगा जिसमें वे प्रवेश के लिए आवेदन करना चाहते हैं। प्रवेश के लिए भरे हुए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म में आवेदन किए गए पाठ्यक्रमों पर विचार किया जाएगा। यदि आप पाठ्यक्रम-विशिष्ट योग्यता को पूरा करते हैं और निर्दिष्ट अवधि के भीतर कट-ऑफ मार्क की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो आपने अपने ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म के माध्यम से जिनके लिए आवेदन किया था, उन ऑनर्स के बिना और ऑनर्स पाठ्यक्रमों में प्रवेश पर विचार किया जा सकता है।

प्रश्न. छात्र द्वारा अपना प्रवेश रद्द करने की स्थिति में शुल्क वापसी की क्या व्यवस्था है?

उत्तर. आप नियमों को जानने के लिए अंडरग्रेजुएट एडमिशन 2020-21 के लिए बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन के प्रासंगिक अनुबंध (अद्यतन किए जाने वाले) को देख सकते हैं।

प्रश्न. ई.सी.ए और स्पोर्ट्स कोटा उन पाठ्यक्रमों पर लागू होता है जहां प्रवेश प्रवेश परीक्षा पर आधारित है?

उत्तर. नहीं, ईसीए और स्पोर्ट्स कोटा उन पाठ्यक्रमों के लिए लागू नहीं हैं जहाँ प्रवेश-परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।

प्रश्न. ई.सीए या स्पोर्ट्स कोटा के माध्यम से कोई कैसे आवेदन कर सकता है? क्या इन कोटा में आवेदन करने के लिए अलग शुल्क है?

उत्तर. आप पंजीकरण फॉर्म में उपयुक्त विकल्पों का चयन करके ईसीए और स्पोर्ट्स कोटा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ईसीए या स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत आवेदन करने के लिए प्रत्येक पर 100 रुपए का अतिरिक्त शुल्क है, अर्थात यदि कोई आवेदक ईसीए और स्पोर्ट्स कोटा दोनों के लिए आवेदन करता है, तो यह फॉर्म के पंजीकरण शुल्क के अलावा 200 रुपए होगा।

प्रश्न. खेल(स्पोर्ट्स) कोटा के माध्यम से प्रवेश के लिए मुझे कितने प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने चाहिए?

उत्तर. आप खेल /स्पोर्ट्स की अधिकतम तीन श्रेणियों के लिए अपलोड कर सकते हैं। आप प्रत्येक खेल/स्पोर्ट्स के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ/स्कोरिंग/उच्चतम प्रमाणपत्र में से अधिकतम तीन संलग्न कर सकते हैं जो आपको लगता है कि सबसे अच्छा अंक ला सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप बुलेटिन की धारा 6.2 देख सकते हैं।

प्रश्न. ई.सी.ए कोटा के माध्यम से प्रवेश के लिए मुझे कितने प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने चाहिए?

उत्तर. आप 1 मई 2017 से 30 अप्रैल 2020 के बीच जारी किए गए अधिकतम पांच प्रमाणपत्र अपलोड कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप खंड 6.1 का संदर्भ ले सकते हैं।

प्रश्न. क्या एक केंद्रीकृत खेल परीक्षण होगा?

उत्तर. कोविड 2019 की स्थिति को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर खेल परीक्षण की नीति के बारे में अधिसूचित किया जाएगा।

प्रश्न. क्या एक बार अपना पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने के बाद ईसीए/स्पोर्ट्स वर्ग के अंतर्गत आवेदन करना संभव है?

उत्तर. नहीं, एक बार शुल्क का भुगतान करने के बाद, आप ईसीए/खेल श्रेणी के अंतर्गत आवेदन नहीं कर पाएंगे।

प्रश्न. क्या दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रावास की सुविधा प्रदान करता है?

उत्तर. हाँ, विश्वविद्यालय के कुछ महाविद्यालय छात्रों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करते हैं। चयन प्रक्रिया के विवरण के साथ ऐसे कॉलेजों की सूची अंडरग्रेजुएट एडमिशन 2020-21 के लिए बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन के प्रासंगिक अनुबंध में दी गई है।

प्रश्न. छात्रावास में रहने की क्या प्रक्रिया है?

उत्तर. छत्रावास के लिए चयन प्रक्रिया सख्ती से उम्मीदवार की योग्यता पर आधारित है। आवेदक को छात्रावास की सुविधा देने वाले महाविद्यालय में प्रवेश मिल जाने पर उन्हें छात्रावास के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता है; आवास सीटों की उपलब्धता के अधीन है।

प्रश्न. क्या दिल्ली विश्वविद्यालय रैगिंग और यौन उत्पीड़न के संबंध में किसी नीति का पालन करता है?

उत्तर. हाँ, विश्वविद्यालय सभी प्रवेशकों को एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण प्रदान करने में विश्वास करता है। हम कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 में उल्लिखित प्रावधानों का पालन करने के अलावा, रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए और विश्वविद्यालय के एंटी-रैगिंग से संबंधित अध्यादेश, XV-B के अध्यादेश के बारे में, यू.जी.सी के दिशानिर्देशों का पालन करते हैं।